

सामान्य समीक्षा

घटनाक्रमों की समीक्षा

वर्ष 2001-02 का वृहद आर्थिक सिंहावलोकन

भारतीय अर्थव्यवस्था अनेक प्रतिकूल घरेलू और विदेशी घटनाक्रमों से उत्पन्न कठिन दौर से गुजर रही है। पिछले 2 वर्षों में कृषि के कमजोर निष्पादन से घरेलू उत्पादन एवं मांग दशाएं प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई हैं। भूमंडलीय अर्थव्यवस्था में समग्र मंदी का अनुभव किया गया तथा विगत वर्ष के दौरान इसमें 2.4 प्रतिशत की उत्पादन वृद्धि दर्ज होने का अनुमान है। सितम्बर 2001 में संयुक्त राज्य अमरीका में आतंकवादी आक्रमणों के बाद ये प्रवृत्तियां और भी खराब हो गईं। इसके परिणामस्वरूप निर्यात वृद्धि पर असर पड़ा और विश्व में विद्यमान निम्न वस्तु और उत्पाद कीमतों से औद्योगिक लाभकारिता भी अत्यधिक प्रभावित हुई है। इन कठिनाइयों के बावजूद वर्ष 2001-02 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 5.4 प्रतिशत होने की आशा है जैसा कि केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अनुमान लगाया गया है। इस वृद्धि दर में वर्ष 2000-01 में 4 प्रतिशत की निम्न वृद्धि की तुलना में कुछ सुधार प्रदर्शित हुआ है। चालू वर्ष में यह विश्व की सर्वाधिक उच्च वृद्धि दरों में से एक होगी।

1.2 9वीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर अब 5.4 प्रतिशत होने का अनुमान है जो 6.5 प्रतिशत के योजना लक्ष्य से कम है। यद्यपि 10वीं पंचवर्षीय योजना में वृद्धि में तेजी लाने के लिये यह नई चुनौतियां प्रस्तुत करती है, फिर भी, हाल के वर्षों में विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय वृद्धि दर का यह रिकार्ड सर्वाधिक उच्च रिकार्डों में से एक है। इस अवधि के दौरान वर्ष 1997-98 के पूर्वी एशियाई संकट काल, वर्ष 2000-01 में तेल की कीमतों में वृद्धि और अद्यतन वैश्विक आर्थिक मंदी जैसे अनेक बाहरी आघातों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था में समुत्थान शक्ति बनी रही। प्रतिकूल सुरक्षा परिवेश, उड़ीसा के चक्रवात और गुजरात के भूकम्प जैसी

प्राकृतिक आपदाओं और लगातार दो वर्ष कृषि के असंतोषजनक निष्पादन के रूप में घरेलू आघातों का भी हमारी अर्थव्यवस्था ने सफलतापूर्वक सामना किया है। हाल के वर्षों में तथा पिछले दशक के लिए प्रमुख वृहद आर्थिक प्राचलों की घट-बढ़ की प्रवृत्तियां क्रमशः सारणी 1.1 तथा 1.2 में दी गई हैं।

1.3 वर्ष 2001-02 में 5.4 प्रतिशत की समग्र वृद्धि को कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि दर, उद्योग में 3.3 प्रतिशत और सेवाओं में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर ने योगदान किया है। समग्र सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में तेजी मूलतः कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में मूल्यवर्द्धन में महत्वपूर्ण सुधार के कारण है जो 2000-01 में (-) 0.2 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर से बढ़कर 2001-02 में 5.7 प्रतिशत हो गयी थी। उद्योग की वृद्धि दर में काफी मंदी रही है। किन्तु, सेवाओं के क्षेत्रक के निष्पादन में मामूली सुधार हुआ है।

1.4 खनन और खदान की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर पिछले वर्ष 2000-01 में 3.3 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2001-02 में 1.4 प्रतिशत होने का अनुमान है। इसी अवधि के दौरान विनिर्माण क्षेत्रक की वृद्धि 6.7 प्रतिशत से कम होकर 3.3 प्रतिशत हो गई जबकि बिजली, गैस और जल आपूर्ति 6.2 प्रतिशत से कम होकर 5.2 प्रतिशत हो गई और निर्माण में वृद्धि 6.8 प्रतिशत से कम होकर 2.9 प्रतिशत हो गई। औद्योगिक वृद्धि में कमी के अनेक कारण हैं, जैसे सामान्य व्यापार एवं निवेश चक्र, कंपनी पुनर्गठन का अन्तर्निहित समायोजन अन्तराल और उपभोक्ता एवं निवेश मांग दोनों में कमी। निरंतर उच्च वास्तविक ब्याज दरों, विद्युत और परिवहन में आधारभूत सुविधाओं की अड़चनों तथा कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रकों में निजी भागीदारी के लिए विश्वसनीय सांस्थानिक और विनियामक प्रणाली तंत्र स्थापित करने में विलंब ने भी निजी निवेश और औद्योगिक उत्पादन में कमी उत्पन्न की है।

सारणी 1.1
मुख्य संकेतक

मद	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02
	संपूर्ण मूल्य				पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन			
सकल राष्ट्रीय उत्पाद (हजार करोड़ रुपए)								
वर्तमान कीमतों पर	1,583.1	1,740.2 अ1,	878.4क्यू	2,060.6अअ	15.0	9.9अ	7.9क्यू	9.7 अअ
1993-94 की कीमतों पर	1,070.5	1,136.9 अ	1,181.5क्यू	1,245.5अअ	6.4	6.2अ	3.9क्यू	5.4 अअ
सकल घरेलू उत्पाद (हजार करोड़ रुपए)								
वर्तमान कीमतों पर	1,598.1	1,755.6 अ	1,895.8क्यू	2,080.3अअ	15.0	9.9अ	8.0क्यू	9.7 अअ
1993-94 की कीमतों पर	1,082.5	1,148.5 अ	1,193.9क्यू	1,258.8अअ	6.5	6.1अ	4.0क्यू	5.4 अअ
कृषि एवं सहयोगी क्षेत्रक (करोड़ रुपए)								
(1993-94 की कीमतों पर)	2,86,094	2,89,842	2,89,194	3,05,643	6.2	1.3	-0.2	5.7
कृषि उत्पादन का सूचकांक (1)	177.9	176.2 अ	164.6 P	175.9 अ	7.6	-0.9अ	-6.6 अ	6.9 अ
खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन)	203.6	209.8	195.9 P	209.2 अ	5.9	3.0	-6.6 अ	6.8 अ
औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक(2)	145.2	154.9	162.7	163.3 **	4.1	6.7	5.0	2.3 **
उत्पन्न बिजली (बिलियन के.डब्ल्यू.एच.)	448.5	480.7	499.6	383.2 **	6.6	7.2	3.9	2.8 **
थोक मूल्य सूचकांक (3)	141.7	150.9	159.2	160.7 *	5.3	6.5	4.9	1.3 *
औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (4)	414	434	445	469@	8.9	4.8	2.5	5.2@
मुद्रा आपूर्ति (एम 3)(5) (हजार करोड़ रुपए)	981.0	1,124.2	1,311.6	1,458.4(6)	19.4	14.6	16.7	11.2(6)
वर्तमान कीमतों पर आयात (करोड़ रुपए)	1,78,332	2,15,236	2,30,873	1,81,753 **	15.7	20.7	7.3	4.5 **
(मिलियन अमरीकी डालर)	42,389	49,671	50,536	38,362 **	2.2	17.2	1.7	0.3 **
वर्तमान कीमतों पर आयात (करोड़ रुपए)	1,39,752	1,59,561	2,03,571	1,54,445 **	7.4	14.2	27.6	5.1 **
(मिलियन अमरीकी डालर)	33,218	36,822	44,560	32,572 **	-5.1	10.8	21.0	0.6 **
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (7) (करोड़ रुपए)	1,25,412	1,52,924	1,84,482	2,26,195(8)	22.3	21.9	20.6	22.6 (8)
(मिलियन अमरीकी डालर)	29,522	35,058	39,554	46,561(8)	13.7	18.8	12.8	17.7 (8)
विनिमय दर (रुपए/अमरीकी डालर) (9)	42.07	43.33	45.68	47.49(10)	-11.7	-2.9	-5.1	-3.8(10)

टिप्पणी : सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े उपादान लागत के अनुसार (नई शृंखला आधार वर्ष = 1993-94)

क्यू-त्वरित अनुमान अ.अ.-अग्रिम अनुमान अ-अनन्तिम

*19.1.2002 की स्थिति के अनुसार (अनन्तिम)।

@ दिसंबर 2001 तक ** अप्रैल-दिसम्बर 2001

1. कृषि उत्पादन का सूचकांक (46 फसलों का, रोपण फसलों सहित) आधार 1981-82 को समाप्त वर्ष त्रय = 100 (संशोधित)
2. औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक, (आधार 1993-94 = 100)
3. राजकोषीय वर्ष के अंत में सूचकांक (आधार 1993-94 = 100)
4. राजकोषीय वर्ष के अंत में सूचकांक (आधार 1982 = 100)
5. वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया।
6. 11 जनवरी 2002 की स्थिति के अनुसार।
7. राजकोषीय वर्ष के अंत में बकाया।
8. जनवरी 2002 के अंत में।
9. प्रतिशत परिवर्तन अमरीकी डालर की तुलना में रुपए की वृद्धि/ह्रास (-) दर को दर्शाता है।
10. अप्रैल-जनवरी, 2001-2002 का औसत।

1.5 सामान्य मानसून और उचित समय एवं क्षेत्रों में अपेक्षतया अनुकूल अच्छी वर्षा के परिणामस्वरूप वर्ष 2001-02 में कृषि उत्पादन की संभावनाएं उज्ज्वल समझी गई हैं। वर्ष 2001-02 में समग्र कृषि उत्पादन लगभग 7 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। खाद्यान्न उत्पादन के बढ़कर 209 मिलियन टन होने की संभावना है जो वर्ष 2000-01 में 196 मिलियन टन की तुलना में है।

1.6 चालू वर्ष में वित्तीय एवं अन्य सेवाओं का निष्पादन अच्छा चल रहा है। परन्तु, घरेलू और विदेशी मांग दोनों में कमी से परिवहन (रेलवे को छोड़कर), पर्यटन, व्यापार और सामाजिक सेवाएं प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई हैं।

1.7 पेट्रोलियम उत्पादों के प्रशासित मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि के कारण थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में औसत वार्षिक मुद्रा स्फीति दर 1999-2000 में 3.3 प्रतिशत से काफी बढ़कर 2000-01 में 7.1 प्रतिशत हो गई थी। वर्ष 2001-02 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में मुद्रा स्फीति दर में कमी आई। 52 सप्ताह की औसत मुद्रा-स्फीति दर वर्ष 2001-02 के आरंभ में 7 प्रतिशत से गिरकर 19 जनवरी, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए 4.7 प्रतिशत हो गई। बिन्दु-दर-बिन्दु मुद्रा स्फीति दर जनवरी 2002 के अंत तक काफी कम होकर 1.3 प्रतिशत के निम्न स्तर पर पहुंच गई जो पिछले दो दशकों में सबसे कम है।

1.8 औद्योगिक कामगारों (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में मुद्रा स्फीति दर जुलाई 2001 तक 4 प्रतिशत से नीचे रही और अगस्त 2001 में बढ़कर 5.2 प्रतिशत हो गई। सूचकांक ने सितम्बर-अक्टूबर, 2001 में कमी का रुख दिखाया। परन्तु नवंबर में यह पुनः बढ़कर 4.9 प्रतिशत तथा दिसम्बर, 2001 में और बढ़कर 5.2 प्रतिशत हो गई।

1.9 केन्द्रीय बजट में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सकल राजकोषीय घाटे को वर्ष 2000-01 (सं.अ.) के 5.1 प्रतिशत से कम करके 2001-02 (ब.अ.) में 4.7 प्रतिशत पर लाने का विचार है। वर्ष 2000-01 के लिए राष्ट्रीय आय तथा अनन्तिम लेखों के त्वरित अनुमानों और वर्ष 2001-02 के लिए राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमानों की उपलब्धता से वर्ष 2000-01 के लिए राजकोषीय घाटे के संशोधित अनुमानों तथा वर्ष 2001-02 के लिए बजट अनुमानों में परिवर्तन हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद के रूप में सकल राजकोषीय घाटा अब वर्ष 2000-01 के

लिए 5.5 प्रतिशत तथा 2001-02 के लिए 5.1 प्रतिशत होने का अनुमान है। जहां तक राजस्व का संबंध है, औद्योगिक उत्पादन में मंदी और तेल एवं तेल-भिन्न आयातों दोनों में अत्यधिक मंदी के कारण अप्रत्यक्ष करों में काफी गिरावट आई। प्रत्यक्ष कर संग्रहणों के चालू वर्ष में लक्ष्य से नीचे होने की संभावना है। विनिवेश से राजस्व में भी काफी गिरावट रही। विनिवेश प्रक्रिया की अच्छी कार्य प्रणाली के कारण अब आने वाले महीनों में विनिवेश आय में बढ़ोत्तरी हो सकती है। आयोजना-भिन्न और पूंजी-भिन्न व्यय में कमी के लिए सरकार द्वारा किये गये विभिन्न आर्थिक उपायों से भी समग्र व्यय को नियंत्रित रखने में मदद मिली है। इन उपायों के बावजूद इस वर्ष के अन्त में केन्द्र सरकार का सकल राजकोषीय घाटा बजट लक्ष्य से अधिक होने की संभावना है।

1.10 भारत की भुगतान संतुलन स्थिति वर्ष 2000-01 और 2001-02 दोनों में काफी अच्छी रही। गतिशील निर्यात निष्पादन और अदृश्य प्राप्तियों में निरंतर वृद्धि के कारण चालू लेखा घाटा स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में 1999-2000 में 1.1 प्रतिशत से कम होकर 2000-01 में लगभग 0.5 प्रतिशत हो गया। परन्तु चालू वर्ष में निर्यात लगभग ठहराव की स्थिति में है तथा अप्रैल-दिसम्बर, 2001 में केवल 0.6 प्रतिशत की निर्यात वृद्धि दर्ज की गई है। चालू वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किये गये भुगतान संतुलन दृष्टिकोण का आकलन यह प्रदर्शित करता है कि स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में चालू खाता घाटा कुछ हद तक बढ़ सकता है यद्यपि यह स.घ.उ. के 1 प्रतिशत के अन्तर्गत ही रहेगा जो कि पर्याप्त नियंत्रण की स्थिति है।

1.11 वर्ष के दौरान विश्व की प्रमुख मुद्राओं के संदर्भ में रुपये की विनिमय दर उचित रूप से स्थिर रही, यद्यपि आपूर्ति एवं मांग की सामान्य बाजार शक्तियों के कारण समय-समय पर इसमें कुछ उतार-चढ़ाव रहा। जनवरी 2002 के अन्त में विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार (स्वर्ण और विशेष आहरण अधिकार सहित) का स्तर लगभग 50 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गया जो चालू वर्ष के अनुमानित आयातों के लगभग 10 महीनों के बराबर है।

1.12 सरकार द्वारा विदेशी ऋण के प्रभावकारी प्रबंधन के परिणामस्वरूप हाल के वर्षों में भारत के विदेशी ऋण की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। विदेशी ऋण - स.घ.उ. का अनुपात मार्चांत 1991 के 28.7 प्रतिशत से घटकर

सारणी 1.2
मुख्य वृहद आर्थिक संकेतकों की प्रवृत्तियां - 1990-91 से 2001-02

मद	1990-91	1991-92	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02
1. वृद्धि दर (प्रतिशत) :						
सतत उत्पादन लागत पर स.घ.उ.	5.6	1.3	6.5	6.1अ	4.0क्यू	5.4अग्रि.अ.
औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी)	8.2	0.6	4.1	6.7	5.0	2.3 ग
जिसमें से, विद्युत	7.8	8.5	6.5	7.3	4.0	2.7 ग
कृषीय उत्पादन (फसल सूचकांक आधारित)	3.8	-2.0	7.6	-0.9	-6.6अ	6.9 अ
खाद्यान्न उत्पादन	3.1	-4.5	5.9	3.0	-6.6अ	6.8 अ
निर्यात (अम. डालर के रूप में भुगतान संतुलन)	9.0	-1.1	-3.9	9.5	19.6	0.6 ख
आयात (अम. डालर के रूप में भुगतान संतुलन)	14.4	-24.5	-7.1	16.5	7.0	0.3 ख
जिसमें से पेट्रोलियम, तेल एवं स्नेहक	60.0	-11.7	-21.6	97.1	24.1	-14.6 ख
2. खद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन)	176.4	168.4	203.6	209.8	195.9अ	209.2 अ
3. उत्पन्न विद्युत (मिलियन के.डब्ल्यू.एच.)	264.3	287.0	448.5	480.7	499.6	383.2 ग
4. औसत विनिमय दर (रुपए/अमरीकी डालर)	17.94	24.65	42.07	43.33	45.68	47.49 घ
5. मुद्रापूर्ति की वृद्धि दर (एम 3)	15.1	19.3	19.4	14.6	16.7	11.2 ङ
6. मुद्रास्फीति की औसत दर (प्रतिशत)						
थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में	12.1	13.6	5.9	3.3	7.1	4.4 च
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में	13.6	13.9	13.1	3.4	3.7	4.2 छ
7. चालू बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में :						
सकल घरेलू बचत	23.1	22.0	21.7	23.2	23.4	
सकल घरेलू निवेश	26.3	22.6	22.7	24.3	24.0	
केन्द्र सरकार का व्यय	17.3	16.2	14.7	15.4	15.3अअ	16.4 ब.अ.†
केन्द्र सरकार की प्राप्तियां	15.3	15.2	14.7	15.4	15.3अअ	16.4 ब.अ.†
केन्द्र सरकार का सकल राजकोषीय घाटा	6.6	4.7	5.1	5.4	5.5अअ	5.1 ब.अ.†
निर्यात एफओबी (भुगतान सन्तुलन)	5.8	6.9	8.3	8.4	9.8	
आयात सीआईएफ (भुगतान सन्तुलन)	8.8	7.9	11.5	12.4	13.0	
व्यापार सन्तुलन	-3.0	-1.0	-3.2	-4.0	-3.1	
निवल अदृश्य	-0.1	0.7	2.2	3.0	2.6	
चालू लेखा अधिशेष	-3.1	-0.3	-1.0	-1.1	-0.5	
कंल पूंजी प्रवाह	2.7	1.7	1.9	2.4	1.8	
कुल विदेशी निवेश निवल (भुगतान सन्तुलन)	0.03	0.05	0.6	1.2	1.0	
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) निवल	0.03	0.05	0.6	0.5	0.4	
पोर्टफोलिया निवेश	नग.	नग.	-0.02	0.7	0.6	
8. विदेशी ऋण का प्राचल						
विदेशी ऋण/स.घ.उ. अनुपात (प्रतिशत)	28.7	38.7	23.6	22.2	22.3	21.0 ज
ऋण शोधन अनुपात (प्रतिशत)	35.3	30.2	18.0	16.2	17.1	
ऋण/निर्यात अनुपात	454	467	283	262	222	
कुल ऋण के प्रति अल्पावधि ऋण अनुपात (%)	10.2	8.3	4.4	4.0	3.5	2.8 ज
9. विदेशी मुद्रा भंडार (बिलियन अमरीकी डालर)	5.8	9.2	32.5	38.0	42.3	49.5 *
विदेशी मुद्रा भंडार की आयात सुरक्षा (आयात के महीनों की संख्या के रूप में)	2.5	5.3	8.2	8.2	8.6	9.6

अग्रि.अ. = अग्रिम अनुमान, अ = अनंतिम अनुमान, क्यू = त्वरित अनुमान,
अअ. = अनंतिम तथा अलेखापरीक्षित (व्यय विभाग के महालेखानियंत्रक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार)

स.अ. = संशोधित अनुमान, ब.अ. = बजट अनुमान,

नग = नगण्य

ख = अप्रैल-दिसंबर 2001 के दौरान (डीजीसीआई एंड एस आंकड़े)

ग = अप्रैल-दिसंबर 2001 के दौरान

घ = अप्रैल-जनवरी 2001-02 का औसत

ङ = 11 जनवरी 2002 को वार्षिक वृद्धि दर

च = औसत आधारित (अप्रैल से 19 जनवरी, 2002)

छ = अप्रैल-दिसम्बर, 2001 (औसत आधारित)

ज = सितंबर 2001 के अंत में

* = जनवरी 2002 के अंत में

† केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के चालू बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के प्रति अनुपात (आधार वर्ष 1993-94)

मार्च, 2001 के अंत में 22.3 प्रतिशत हो गया और सितम्बर, 2001 के अन्त में और कम होकर 21 प्रतिशत पर आ गया। ऋण शोधन अनुपात 1990-91 में चालू प्राप्तिओं के 35.3 प्रतिशत के उच्चतम स्तर से कम होकर 2000-01 में 16.3 प्रतिशत हो गया। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक ने पहली बार भारत को “अल्प ऋण ग्रस्त” देश के रूप में वर्गीकृत किया है।

सकल घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियां

1.13 31 जनवरी, 2002 को केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा दिए गए 2000-01 के त्वरित राष्ट्रीय आय अनुमानों के अनुसार समग्र स.घ.उ. वृद्धि दर में काफी कमी आयी जो 1999-2000 में 6.1 प्रतिशत से कम होकर 2000-01 में 4 प्रतिशत हो गई। कृषि एवं सहयोगी क्षेत्रों में सकल मूल्यवर्द्धन 2000-01 में 0.2 प्रतिशत कम हो गया जो 1999-2000 में 1.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में है (सारणी 1.3)।

1.14 अकेले कृषि से स.घ.उ. में 2000-01 में 0.4 प्रतिशत की कमी हुई जो 1999-2000 में 1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में है। वर्ष 2000-01 में कृषि की ऋणात्मक वृद्धि दर का मुख्य कारण चावल उत्पादन में 5.4 प्रतिशत की कमी, गेहूं में 10 प्रतिशत की कमी, दालों में 20.4 प्रतिशत की

कमी, तिलहनों में 11.2 प्रतिशत की कमी और कपास में 16.3 प्रतिशत की कमी रही है। परन्तु वर्ष 2000-01 में पशु धन जो कृषि क्षेत्रक के सम्पूर्ण मूल्य के 26 प्रतिशत से भी अधिक है, में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और मोटे अनाजों में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.15 उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत जहां निर्माण ने 2000-01 में कुछ कमी दिखाई वहां विनिर्माण (1999-2000 में 4.2 प्रतिशत की तुलना में 2000-01 में 6.7 प्रतिशत) तथा खनन एवं उत्खनन (इसी अवधि में 2 प्रतिशत से बढ़कर 3.3 प्रतिशत) की वृद्धि दरों में सुस्पष्ट सुधार था। बिजली, गैस और जल आपूर्ति की वृद्धि दर 1999-2000 और 2000-01 दोनों में लगभग 6.2 प्रतिशत पर समान रही।

1.16 सेवा क्षेत्रक की वृद्धि दरें 2000-01 में काफी कम हुईं। विशेष रूप से व्यापार, होटल और रेस्तरां की वृद्धि दर 1999-2000 में 7.3 प्रतिशत की तुलना में काफी कम होकर 2000-01 में 3.8 प्रतिशत हो गई जबकि परिवहन, भंडारण एवं संचार की वृद्धि दर 1999-2000 और 2000-2001 में 8.2 प्रतिशत के आस-पास लगभग अपरिवर्तित रही। वित्तीय स्थावर सम्पदा तथा व्यापार सेवाओं का निष्पादन काफी असंतोषजनक रहा जिनकी वृद्धि दर 1999-2000 में

सारणी 1.3 स.घ.उ. में क्षेत्रक संबंधी वास्तविक वृद्धि दर (उपादान लागत पर)										
मद	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन									
	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000 (अ)	2000-2001 (क्यू)	2001-2002 (अग्रि.अ.)	एन.एफ.आई.पी.*
I. कृषि तथा सहयोगी क्षेत्र	4.1	5.0	-0.9	9.6	-2.4	6.2	1.3	-0.2	5.7	2.1
II. उद्योग	5.2	10.2	11.6	7.1	4.3	3.7	4.9	6.3	3.3	4.5
1. खनन और उत्खनन	1.4	9.3	5.9	0.5	9.8	2.8	2.0	3.3	1.4	3.9
2. विनिर्माण	8.5	12.0	14.9	9.7	1.5	2.7	4.2	6.7	3.3	3.7
3. बिजली, गैस और जलापूर्ति	-0.8	9.4	6.8	5.4	7.9	7.0	6.1	6.2	5.2	6.5
4. निर्माण	0.6	5.5	6.2	2.1	10.2	6.2	8.1	6.8	2.9	6.8
III. सेवाएं	7.7	7.1	10.5	7.2	9.8	8.3	9.5	4.8	6.5	7.8
5. व्यापार, होटल, परिवहन और संचार	7.1	10.4	13.3	7.8	7.7	7.7	7.7	5.3	6.3	6.9
6. वित्तीय, स्थावर संपदा तथा व्यापार सेवाएं	13.4	5.6	8.2	7.0	11.6	7.4	10.6	2.9	7.5	8.0
7. सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं	3.5	3.2	7.9	6.3	11.7	10.4	11.6	6.0	6.0	9.1
IV. कुल सकल घरेलू उत्पाद	5.9	7.3	7.3	7.8	4.8	6.5	6.1	4.0	5.4	5.4

अग्रि.अ. : अग्रिम अनुमान क्यू : त्वरित अनुमान अ. : अनन्तम *एन.एफ.पी.वाई. - नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) वार्षिक औसत वृद्धि।
स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

10.6 प्रतिशत की तुलना में 2000-01 में केवल 2.9 प्रतिशत थी। वित्तीय एवं स्थावर सम्पदा क्षेत्रक का असंतोषजनक निष्पादन बैंकिंग और बीमा में (-) 2.2 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर के कारण था जो कि गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के उत्पादन में गिरावट के कारण था। सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाओं में भी 1999-2000 में 11.6 प्रतिशत की उपलब्धियों की तुलना में 2000-01 में काफी कम अर्थात् 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.17 सीएसओ द्वारा उपलब्ध कराये गये 2001-02 के सकल घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान चालू वर्ष में 5.4 प्रतिशत की अपेक्षाकृत उच्च सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को प्रदर्शित करते हैं। वर्ष 2001-02 में यह सुधार मुख्यतः कृषि एवं सहयोगी क्षेत्रकों तथा वित्त, स्थावर संपदा और व्यवसाय सेवाओं में वृद्धि दरों में महत्वपूर्ण सुधार के कारण है। परन्तु महत्वपूर्ण उद्योग एवं आधार सुविधा क्षेत्रकों द्वारा विगत वर्ष की अपेक्षा काफी कम वृद्धि दर्ज किए जाने की संभावना है।

मांग कारक

खपत, बचत और निवेश

1.18 मांग के संबंध में वास्तविक खपत वृद्धि 1999-2000 में 6.5 प्रतिशत से कम होकर 2000-01 में 2.9 प्रतिशत रह गई। वास्तविक अर्थ में, निजी खपत की वृद्धि दर 1999-2000 में 5.5 प्रतिशत से कम होकर 2000-01 में 2.2 प्रतिशत हो गई, सरकारी उपभोग व्यय इसी अवधि के दौरान 12 प्रतिशत से घटकर 6.5 प्रतिशत हो गया। हाल के वर्षों में वास्तविक सकल घरेलू पूंजी विनिर्माण ने अस्थिरता दर्शाई है। वास्तविक

सकल घरेलू पूंजी विनिर्माण की वृद्धि दर में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई जो 1999-2000 में 15.7 प्रतिशत की तुलना में 2000-01 में 2.0 प्रतिशत हो गई (सारणी 1.4)। यह काफी सीमा तक स्टॉकों/वस्तुसूचियों के उतार-चढ़ाव में अस्थिरता को प्रतिबिम्बित करता है। वास्तविक सकल नियत पूंजी निर्माण में वृद्धि अधिक स्थिर रही है किन्तु यह भी वर्ष 1999-2000 में 8.6 प्रतिशत से कम होकर 2000-01 में 4.7 प्रतिशत हो गई (सारणी 1.6)। वर्ष 1993-94 के मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में मापित स्टॉकों में परिवर्तन 1999-2000 में 1.8 प्रतिशत से कम होकर 2000-01 में 1.1 प्रतिशत हो गया।

1.19 देश के आर्थिक विकास के स्तर से मूल्यांकन करने पर भारत में निवेश और बचत की दरें अधिक हैं। सकल घरेलू बचतों में सामान्य सुधार हुआ जो घरेलू बचतों और निजी कंपनी बचतों के बेहतर निष्पादन के परिणामस्वरूप 1999-2000 में सकल घरेलू उत्पाद के 23.2 प्रतिशत की तुलना में 2000-01 में सकल घरेलू उत्पाद का 23.4 प्रतिशत हो गई। परन्तु सरकारी प्रशासनिक विभागों के व्यय में वृद्धि होने से सरकारी क्षेत्रक की बचतों में काफी गिरावट आई। वास्तव में 1998-99, 1999-2000 और 2000-01 में सरकारी क्षेत्र की बचतें ऋणात्मक थीं। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सरकारी क्षेत्र की बचतें 1999-2000 में (-) 0.9 प्रतिशत से कम होकर 2000-01 में (-) 1.7 प्रतिशत रह गई (सारणी 1.5)।

1.20 चालू मूल्यों पर सकल घरेलू निवेश 1999-2000 में सकल घरेलू उत्पाद के 24.3 प्रतिशत से मामूली सा गिरकर

सारणी 1.4 सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) का संघटन										
संघटक	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन									
	(वर्तमान मूल्यों पर)					(1993-94 मूल्यों पर)				
	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000अ.	2000-2001क्यू.	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000अ.	2000-2001क्यू.
कुल अंतिम उपभोग व्यय	17.3	10.0	17.3	11.8	6.8	7.4	3.8	7.4	6.5	2.9
सरकारी अंतिम उपभोग व्यय	13.1	18.2	24.3	15.9	11.2	4.5	11.1	12.9	12.0	6.5
निजी अंतिम उपभोग व्यय	18.0	8.6	16.1	11.1	6.0	7.9	2.6	6.4	5.5	2.2
सकल घरेलू पूंजी निर्माण, जिसमें से	4.8	11.8	5.6	18.7	6.8	-1.0	7.7	1.3	15.7	2.0
सकल नियत पूंजी निर्माण	7.8	6.0	13.3	11.4	9.6	1.5	2.1	8.7	8.6	4.7
वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात	10.8	14.0	18.2	16.6	27.4	—	—	—	—	—
घटाइए - वस्तुओं और सेवाओं का आयात	11.1	14.5	21.9	18.2	15.2	—	—	—	—	—

क्यू : त्वरित अनुमान। अ: अनन्तिम
स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन।

सारणी 1.5
बचत और निवेश

	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000 (अ)	2000-01 (क्यू)
(चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)							
सकल घरेलू बचतें	24.8	25.1	23.2	23.1	21.7	23.2	23.4
सरकारी	1.7	2.0	1.7	1.3	-1.0	-0.9	-1.7
निजी	23.2	23.1	21.5	21.8	22.7	24.1	25.1
पारिवारिक	19.7	18.2	17.0	17.6	18.9	20.3	20.9
वित्तीय	11.9	8.9	10.4	9.6	10.5	10.8	11.0
वास्तविक	7.8	9.3	6.7	8.0	8.4	9.6	9.9
निजी कॉर्पोरेट	3.5	4.9	4.5	4.2	3.7	3.7	4.2
सकल घरेलू निवेश*	26.0	26.9	24.5	24.6	22.7	24.3	24.0
सरकारी	8.7	7.7	7.0	6.6	6.6	7.1	7.1
निजी	14.7	18.9	14.7	16.0	14.8	16.1	15.8
सकल घरेलू निवेश*	26.0	26.9	24.5	24.6	22.7	24.3	24.0
जी.एफ.सी.एफ.	21.9	24.4	22.8	21.7	21.5	21.6	21.9
स्टॉक में परिवर्तन	1.4	2.2	-1.0	0.9	-0.1	1.7	1.0
बचतनिवेश में अंतर@	-1.2	-1.7	-1.3	-1.5	-1.0	-1.1	-0.6
सरकारी	-7.0	-5.6	-5.4	-5.3	-7.6	-8.0	-8.7
निजी	8.5	4.2	6.8	5.8	7.9	7.9	9.2
टिप्पणी :	(i) सकल घरेलू निवेश सकल घरेलू पूंजी निर्माण (जीडीसीएफ) का द्योतक है।						
	(ii) आंकड़े पूर्णांक कर दिए जाने के कारण संभवतः योग से मेल न खाएं।						
* :	भूल-चूक के लिए समायोजित						
@ :	बचत और निवेश की दरों के बीच अंतर का द्योतक है।						
जी.एफ.सी.एफ. :	सकल नियत पूंजी निर्माण						
अ :	अनन्तिम अनुमान; क्यू : त्वरित अनुमान						
स्रोत :	केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन						

सारणी 1.6
वास्तविक सकल घरेलू पूंजी निर्माण

	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000 (अ)	2000-01 (क्यू)
(बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, 1993-94 मूल्य)							
जी.डी.सी.एफ. *	26.4	27.3	25.1	25.9	24.8	26.7	26.3
सरकारी	8.7	7.6	6.8	6.5	6.6	7.1	7.1
निजी	15.0	19.3	15.5	17.3	16.7	18.5	18.0
निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र	7.1	9.9	8.7	9.0	7.6	7.8	7.0
पारिवारिक क्षेत्र	8.0	9.4	6.9	8.3	9.1	10.6	11.0
जी.एफ.सी.एफ.	22.3	24.7	23.4	22.9	23.4	23.8	23.9
सरकारी	8.8	7.6	6.7	6.2	6.4	6.3	6.7
निजी	13.5	17.1	16.7	16.6	17.0	17.5	17.2
स्टॉक में परिवर्तन	1.4	2.2	-1.0	0.9	-0.1	1.8	1.1
सरकारी	-0.1	-0.0	0.2	0.3	0.1	0.8	0.3
निजी	1.5	2.2	-1.2	0.7	-0.3	1.0	0.8
वृद्धि दर प्रतिशत में							
जी.डी.सी.एफ*	22.9	11.1	-1.0	7.7	1.3	15.7	2.0
सरकारी	13.9	-6.5	-3.1	-0.8	7.3	16.2	3.0
निजी	24.0	38.5	-13.7	16.4	2.6	18.1	1.1
जी.एफ.सी.एफ.	11.8	19.3	1.5	2.1	8.7	8.6	4.7
सरकारी	18.0	-6.5	-5.9	-2.8	9.4	4.9	10.9
निजी	8.1	36.1	4.8	4.1	8.4	10.0	2.4
टिप्पणी :	जीडीसीएफ : सकल घरेलू पूंजी निर्माण;						
	जीएफसीएफ : सकल नियत पूंजी निर्माण;						
	आंकड़े पूर्णांक कर दिए जाने के कारण संभवतः योग से मेल न खाएं।						
* :	भूल-चूक के लिए समायोजित अ: अनन्तिम अनुमान; क्यू : त्वरित अनुमान						
स्रोत :	केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन						

2000-01 में सकल घरेलू उत्पाद का 24 प्रतिशत रह गया था जिसका मुख्य कारण निजी क्षेत्रक निवेश में कमी होना है। वास्तविक अर्थ में सकल पूंजी निर्माण की दर भी 1999-2000 में सकल घरेलू उत्पाद के 26.7 प्रतिशत से कम होकर 2000-01 में सकल घरेलू उत्पाद के 26.3 प्रतिशत पर आ गई थी जिसका मुख्य कारण सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रकों में वास्तविक सकल घरेलू पूंजी निर्माण की वृद्धि दरों में मंदी है। जहां 2000-01 में सरकारी क्षेत्रक द्वारा वास्तविक सकल नियत पूंजी निर्माण 10.9 प्रतिशत बढ़ा था वहां निजी क्षेत्रक में इसी वर्ष 2000-01 में केवल 2.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी 1.6)।

1.21 वस्तुसूचियों के स्टाक में परिवर्तन 2000-01 में काफी घटा जो उत्पादन के लिए मांग और आपूर्ति के बेहतर प्रबंधन का संकेत देता है। पिछले वर्षों की तरह घरेलू निवेश की दरें वर्ष 1999-2000 और 2000-01 दोनों में घरेलू बचत की दरों की तुलना में अधिक थीं। निवेश-बचतों के अन्तराल का वित्त पोषण विदेश से धनात्मक निवल पूंजी प्रवाह के द्वारा किया गया जो 1999-2000 और 2000-01 में सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः 1.1 प्रतिशत और 0.6 प्रतिशत था।

1.22 वर्ष 2001-02 के लिए निवेश संबंधी आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण निवेश प्रवृत्तियों का मूल्यांकन निवेश और वृद्धि के विभिन्न प्रमुख संकेतकों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करके किया जाना है। ये प्रवृत्तियां एक मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। घरेलू उत्पादन और पूंजीगत मालों के आयातों दोनों में चालू वर्ष में काफी गिरावट आई है। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृतियों और वितरणों में भी काफी कमी आई। दूसरी ओर चालू वर्ष में विदेशी निवेश प्रवाहों ने महत्वपूर्ण सुधार दिखाया। परन्तु विदेशी मुद्रा रिजर्व के एक रिकार्ड स्तर के निर्माण के कारण इन अंतर्प्रवाहों में से अधिकांश को संभवतः अभी नये निवेश के रूप में समायोजित किया जाना है। अतः उपलब्ध प्रवृत्तियां 2001-02 में निवेश के महत्वपूर्ण सुधार का संकेत नहीं देती।

1.23 निरंतर उच्च आर्थिक वृद्धि के लिए निवेश में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता होगी। देश के सीमित घरेलू संसाधनों को देखते हुए विदेशी प्रत्यक्ष एवं पोर्टफोलियो निवेश के अंतर्प्रवाहों को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। घरेलू निवेश में वृद्धि भी मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं और वास्तविक

ब्याज दरों में संरचनात्मक कटौती, राजकोषीय घाटे में कमी और घरेलू ऋण एवं पूंजी बाजारों के और अधिक उदारीकरण पर निर्भर करेगी।

1.24 भारत की निजी बचत दर (जिसमें घरेलू और निजी कंपनी बचतें शामिल हैं) न्यूनाधिक उच्च निष्पादनकारी पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों के बराबर है। परन्तु इसकी सरकारी बचतें काफी कम हैं और घरेलू संसाधन जुटाने में यह एक बड़ी बाधा है। घरेलू बचतों को बढ़ावा देने, भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना विकास के लिए संसाधन निर्मुक्त करने और निजी निवेश पर ह्रासकारी प्रभाव कम करने के लिए सरकार सरकारी व्यय का पुनर्गठन कर रही है।

1.25 आयकर आधार को व्यापक बनाने और उत्पाद एवं सीमा शुल्क संरचना को सुप्रवाही बनाने के लिए प्रमुख राजकोषीय सुधार किये गये हैं। व्यापार और विदेशी निवेश के क्षेत्रों में भी समर्थकारी सुधार किये गये हैं। सरकारी वित्त पर दबाव कम करने, सरकारी क्षेत्रक की कार्य-कुशलता बढ़ाने और वर्धनात्मक पूंजी उत्पाद अनुपात (आईसीओआर) को कम करने के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सुधार किये जा रहे हैं। आधारभूत सुविधाओं में निजी निवेश को बढ़ाने के लिए बीमा, बैंकिंग, पूंजी बाजारों, विद्युत, पत्तनों एवं दूरसंचार में वैधानिक, सांस्थानिक एवं विनियामक ढांचों को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। केन्द्र सरकार के 2000-01 और 2001-02 के बजट में पूंजी बाजारों एवं वित्तीय क्षेत्रक को अधिक गहन बनाने और बीमा में निजी कंपनियों के प्रवेश की अनुमति के लिए अनेक उपायों की घोषणा की गई थी। वर्ष 2001-02 के दौरान किए गए मुख्य सुधारों का उल्लेख बॉक्स 1.1 में किया गया है। यह आशा की जाती है कि अर्थव्यवस्था के लिए इन उपायों से अर्थव्यवस्था के लिए बचतों के साथ-साथ निवेश दरों में वृद्धि होगी।

आपूर्ति घटक : उत्पादन

कृषि एवं सहयोगी क्षेत्रक

1.26 वर्ष 1999-2000 में लगभग गत्यावरोध और 2000-01 में 0.2 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि के बाद यह आशा की जाती है कि वर्ष 2001-02 में कृषि क्षेत्रक लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त करेगा। इसका एक कारण यह है कि वर्ष 2001 में व्यापक वर्षा हुई है जो हाल के वर्षों

बाक्स 1.1
वर्ष 2001-02 में आर्थिक सुधार

संरचनात्मक सुधार उपाय

- लघु बचतों पर ब्याज दरें कम कर दी गईं।
- वीएसएनएल, आईबीपी, सीएमसी, एचटीएल, पीपीएल, बाल्को और आईटीडीसी के कुछ होटलों जैसे चुनिंदा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी का विनिवेश किया गया।
- सरप्लस पूल में सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम शुरू की गई।
- वर्ष 2002-03 के दौरान चीनी के पूर्ण विनियंत्रण की घोषणा की गई (भावी कारोबार के आरंभण की शर्त पर)।
- अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की संख्या 29 से घटाकर 17 की गई।
- गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तिलहनों और खाद्य तेलों के भंडारण और उनको लाने-ले-जाने पर प्रतिबंधों तथा लाईसेंस अपेक्षाओं को समाप्त कर दिया गया।
- अनेक प्रपुंज दवाओं और विनिर्माणों पर मूल्य नियंत्रण की अवधि कम करते हुए नई भेषज नीति की घोषणा की गई है।
- लघु क्षेत्रक द्वारा अनन्य रूप से उत्पादन हेतु आरक्षित वस्तुओं की सूची में से 14 वस्तुओं को अनारक्षित कर दिया गया है।
- रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रबंधन) अधिनियम समाप्त करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया गया।
- कंपनी अधिनियम का संशोधन करके एक राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल की स्थापना के लिए विधेयक संसद में पेश किया गया।
- श्रमिक बाजार में विद्यमान संरचनात्मक अड़चनों को दूर करने के लिए केन्द्रीय बजट (2001-02) में औद्योगिक विवाद अधिनियम एवं संविदा श्रम अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया गया।

राजकोषीय सुधार

- कुछ विभागों का आकार छोटा करने सहित अनेक आर्थिक उपाय किए गए।
- उत्पाद शुल्क संरचना को युक्तिसंगत बनाया गया और केवल 16 प्रतिशत के सेनवैट (सीईएनवीएटी) (केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर) को 2000-01 में लागू किया गया। वर्ष 2001-02 के बजट में पहले की तीन विशेष दरों अर्थात् 8 प्रतिशत, 16 प्रतिशत और 24 प्रतिशत के स्थान पर केवल 16 प्रतिशत की एक दर रखी गई।
- सीमा शुल्क पर सरचार्ज को समाप्त करके सीमा शुल्क की शीर्ष दर 38.5 प्रतिशत से कम करके 35 प्रतिशत कर दी गई। विनिर्दिष्ट वस्त्र, मशीनों, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और मनोरंजन उद्योग पर सीमा शुल्क कम कर दिया गया।
- 100 प्रतिशत निर्यातानुखी यूनितों और एफटीजेड एवं विशेष आर्थिक जोन के यूनितों द्वारा आयातित माल को डम्पिंग रोधी और सुरक्षा शुल्कों से छूट दी गई।
- विदेशी कंपनियों को छोड़कर सभी कंपनी-भिन्न और कंपनी कर-निर्धारितियों पर लगाये गये 2 प्रतिशत के गुजरात भूकम्प अधिभार को छोड़कर वैयक्तिक तथा कंपनी आयकर दरों पर सभी अधिभारों को समाप्त कर दिया गया।
- जैव-प्रौद्योगिकी को प्रदान की गई अन्तरंग अनुसंधान एवं विकास सेवा पर व्यय में 150 प्रतिशत की भारित कटौती की गई।

- खाद्यान्नों के एकीकृत संचालन, परिवहन एवं भंडारण में लगे हुए उद्यमों को अगले 5 वर्षों के लिए मुनाफों पर 30 प्रतिशत की कटौती और 5 वर्षीय कर अवकाश प्रदान किया गया।
- राज्यों में राजकोषीय सुधारों को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रोत्साहन निधि की स्थापना की गई।

आधारभूत संरचना

- आधारभूत परियोजनाओं के लिए 10 वर्षीय कर अवकाश की प्रारंभिक अवधि को युक्तिसंगत बनाया गया और बढ़ाकर 15 से 20 वर्ष कर दिया गया।
- इंटरनेट सेवा प्रदायकों और ब्रांडबैण्ड नेटवर्क के लिए अगले 5 वर्षों हेतु मुनाफों पर 30 प्रतिशत की कटौती और 5 वर्षीय कर अवकाश।
- बिजली विधेयक 2001 और संचार अभिसारिता विधेयक 2001 संसद में पेश किया गया।
- राज्यों में विद्युत क्षेत्रक सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम शुरू किया गया।
- ग्रामीण सड़कों से संपर्क जोड़ने के त्वरण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु अधिक बजटीय आवंटन। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का विस्तार ग्रामीण विद्युतीकरण को शामिल करने के लिए किया गया।
- विशेष रेलवे सुरक्षा निधि का सृजन जिसका निधि पोषण यात्री भाड़े पर अधिभार लगाकर और बजटीय सहायता से किया जाना है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का शुभारम्भ।

पूंजी और मुद्रा बाजार

- क्लियरिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि. (सीसीआईएल) की स्थापना। राष्ट्रीय संव्यवहार प्रणाली की शुरूआत की जा रही है।
- अस्थायी दर वाले सरकारी बाण्डों को पुनः शुरू करना।
- “बदला” पर प्रतिबंध और चल-निपटान शुरू करना।
- स्टॉक एक्सचेंजों के निगमीकरण का प्रस्ताव किया गया जिसमें स्वामित्व, प्रबंधन और व्यापार सदस्यता को एक-दूसरे से अलग करना शामिल है।
- सूचकांक विकल्पों के कारोबार, व्यष्टि प्रतिभूतियों तथा स्टॉक फ्यूचर्स पर विकल्पों की शुरूआत की गई।
- विदेशी संस्थागत निवेशक पोर्टफोलियो निवेश के लिए सकल सीमा बढ़कर 49 प्रतिशत और तदन्तर क्षेत्रक सीमा तक कर दिया गया।

वैदेशिक क्षेत्रक

व्यापार

- शेष 715 मर्दों पर प्रतिबंध हटा कर भुगतान संतुलन आधार पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त किया गया।
- आयकर अधिनियम की धारा 80-ज ज ग के अंतर्गत निर्यातकों के लिए उन कर लाभों की आंशिक बहाली जो वापस ले लिए गए थे।

बाक्स 1.1 (जारी)
वर्ष 2001-02 में आर्थिक सुधार

- विशिष्ट उत्पादों और भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कृषि आर्थिक जोनों की स्थापना।
 - निर्यातों को बढ़ाने के लिए बाजार सुलभता उपाय (एमएआई) शुरू किए गए।
 - पीएलआर संबद्ध अधिकतम दरों के रूप में निर्यात ऋणों पर ब्याज दरें निर्दिष्ट करके निर्यात ऋण पर ब्याज दरों को युक्तिसंगत बनाया गया।
 - चुनिंदा उत्पादों के बड़े मूल्य वाले निर्यातों (वार्षिक निर्यात 100 करोड़ रुपये से अधिक) के लिए विशेष वित्तीय पैकेज शुरू किए गए।
 - अक्टूबर 2001 से 300 से अधिक निर्यात उत्पादों के लिए शुल्क ड्रा बैक दरों और लगभग 400 निर्यात मदों पर डीईपीबी के अंतर्गत मूल्य सीमा समाप्त करना।
 - अगले 5 वर्षों के लिए निर्यातों में मात्रात्मक वृद्धि प्राप्त करने हेतु एक मध्यावधिक निर्यात कार्य योजना तैयार करना।
- पूँजी लेखा*
- निजी बैंकिंग क्षेत्रक में सभी स्रोतों से 49 प्रतिशत तक के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई।
 - बी से बी ई कामर्स, कूरियर सेवाओं, तेल शोधन, होटल एवं पर्यटन क्षेत्रक, औषधि भेषज, जनदुत परिवहन प्रणालियों और स्थावर सम्पदा के सहयोगी वाणिज्यिक विकास के लिए 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई।
 - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को नियंत्रक कंपनियों में 100 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी धारण करने की अनुमति दी गई।
 - विदेशी निवेशकों को भारतीय निकायों में न्यूनतम 25 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश करने की शर्त के बिना 100 प्रतिशत प्रचालनात्मक सहायक कंपनियां स्थापित करने के लिए अनुमति दी गई।
 - 75 प्रतिशत या 75 प्रतिशत से कम विदेशी निवेश वाली संयुक्त उद्यम गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी कार्य-कलाप चलाने के लिए सहायक कंपनियां स्थापित करने की अनुमति दी गई।
 - 22 उपभोक्ता वस्तुओं से लाभांश संतुलन शर्तें वापस ले ली गई हैं। विदेशी उद्यम पूंजी निधियों/कंपनियों को घरेलू उद्यम पूंजी उपक्रमों में निवेश की अनुमति दी गई।
 - एकीकृत नगरों के विकास के लिए सरकार के पूर्वानुमोदन से 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई।
 - 26 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति वाली भारतीय कंपनियों द्वारा 100 प्रतिशत निजी क्षेत्रक की भागीदारी के लिए रक्षा उद्योग को खोल दिया गया, दोनों के लिए लाईसेंस आवश्यक है।
 - एडीबी, आईएफसी, सीडीसी, डीईजी आदि जैसी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को स्वतः मार्ग से सेबी/भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर क्षेत्रक विशिष्ट सीमाओं के अंतर्गत घरेलू कंपनियों में निवेश करने की अनुमति दी गई है।

में सर्वोत्तम रही है। ऐसा मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, केरल, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश राज्यों से संबंधित 17 जिलों में हुई पर्याप्त वर्षा से प्रतिबिम्बित होता है क्योंकि पिछले दो वर्षों में इन जिलों में काफी कम वर्षा हुई थी।

1.27 वर्ष 2001-02 में खाद्यान्न उत्पादन 209.2 मिलियन टन होने की आशा है जो पिछले वर्ष की तुलना में 13 मिलियन टन से अधिक की वृद्धि है। उत्तर-पश्चिमी भारत में फरवरी में विलम्बित शीतकालीन वर्षा के साथ-साथ एक लम्बी शीत लहर चालू वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन को 212 मिलियन टन तक बढ़ाने में भी सहायक हो सकती है।

1.28 तिलहनों, विशेषकर पिछले 2 वर्षों के दौरान मूंगफली उत्पादन में प्रवृत्त अधोमुखी प्रवृत्ति इस वर्ष प्रतिवर्तित हो गई है और देश में 21 मिलियन टन से अधिक तिलहनों का उत्पादन होने की आशा है जो पिछले वर्ष की तुलना में 2 मिलियन टन से भी अधिक है। पिछले वर्ष की तुलना में कपास का उत्पादन भी 2 मिलियन गांठ से और भी अधिक

10.7 मिलियन गांठ पर जूट तथा मेस्ता का उत्पादन भी अधिक होने की आशा है।

1.29 वाणिज्यिक फसलों के सुधरे हुए निष्पादन सहित खाद्यान्नों में 6.8 प्रतिशत की अभिवृद्धि और पशुपालन, मत्स्यपालन आदि जैसे कृषि के अन्य उप-क्षेत्रकों में अभिवृद्धि की संतुलित दर के पूर्व अनुमान के अनुसार चालू वर्ष में कृषि उत्पादन के लिए समग्र अभिवृद्धि दर के 6 प्रतिशत के आसपास रहने की सम्भावना है।

खाद्य अर्थव्यवस्था का प्रबन्धन

1.30 वर्ष 2000-2001 में गेहूँ के उत्पादन में 68.46 मिलियन टन (7 मिलियन टन की गिरावट) की गिरावट के बावजूद इसकी अधिप्राप्ति वर्ष 2001-2002 में उछलकर 20.63 मिलियन टन के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गयी। चालू विपणन वर्ष (अक्टूबर-सितम्बर 2000-2001) के दौरान चावल की अधिप्राप्ति भी 19.10 मिलियन टन के उच्च रिकार्ड पर पहुंच गई। विपणन वर्ष 2001-2002 के लिए

ताजा अधिप्राप्ति में अभी तक (29 जनवरी, 2002 तक) लगभग 13.33 मिलियन टन की प्राप्ति हुई है।

1.31 पिछले दो वर्षों के दौरान चावल और गेहूँ की असामान्य उच्च अधिप्राप्ति से भारी अतिरिक्त भण्डारों का संग्रहण न्यूनतम सुरक्षित भण्डारण मानदण्डों से काफी ऊपर पहुंच गया है। 1 जनवरी को गेहूँ के 8.4 मिलियन टन के न्यूनतम मानदण्ड की तुलना में 1 जनवरी, 2002 को देश के पास 32.4 मिलियन टन का स्टॉक था। इसी तरह 1 जनवरी को चावल के 8.4 मिलियन टन के न्यूनतम सुरक्षित भण्डारण मानदण्ड के विपरीत 1 जनवरी, 2002 की स्थिति के अनुसार चावल का भण्डार 25.6 मिलियन टन अनुमानित था जो जनवरी तक 13.33 मिलियन टन की ताजा खरीद के साथ और बढ़ गया। जनवरी, 2002 में, जनवरी के लिए 16.8 मिलियन टन के न्यूनतम सुरक्षित स्टॉक मानदण्ड की तुलना में भारतीय खाद्य निगम के पास चावल और गेहूँ की धारिता 58.1 मिलियन टन थी।

1.32 अधिप्राप्ति प्रमात्राओं में भारी वृद्धि के पीछे मुख्य कारण हाल के वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुई तीव्र वृद्धि है। जबकि चावल और गेहूँ की अत्यधिक अधिप्राप्ति हुई है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों का उठान कम रहा है जो आवश्यक रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गरीबी रेखा से ऊपर के निर्गम मूल्यों और खुले बाजार मूल्यों के बीच न्यून होते विभेदक के कारण है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधिक होने के कारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिक खरीद, खाद्य सुरक्षा हेतु अपेक्षित स्तरों से कहीं ऊपर खाद्यान्नों के बढ़ते हुए भण्डार और निजी व्यापारियों द्वारा खरीद के गिरते हुए हिस्से से सरकार की आर्थिक सहायता की वचनबद्धताएं बढ़ी हैं। खाद्य आर्थिक सहायता का बिल वर्ष 1991-92 के 2,850 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2000-2001 में 12,010 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 2001-02 के लिए खाद्य सब्सिडी 13,670 करोड़ रुपए होना अनुमानित है जिसमें से 5,680 करोड़ रुपए सुरक्षित स्टॉक सब्सिडी के लिए या खाद्यान्नों के सार्वजनिक भंडारों की संवहन लागत के लिए हैं।

1.33 अतिशेष स्टॉकों की संवहन लागत घटाने के प्रयास में आर्थिक लागत से काफी कम मूल्यों पर खाद्यान्नों की खुले बाजार में बिक्री, आर्थिक लागत से कम मूल्यों पर खाद्यान्नों का निर्यात, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत

गरीबी रेखा से नीचे के लिए बढ़ा हुआ आवंटन और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत निर्गम मूल्यों को कम किये जाने जैसे कुछ उपाय सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम के अत्यधिक स्टॉकों को समाप्त करने के लिए किए गए हैं। खाद्य आर्थिक सहायता बिल और सार्वजनिक भंडारों की संवहन लागत घटाने के लिए कुछ राज्यों द्वारा किए गए दीर्घावधिक उपायों में से एक उपाय खाद्यान्नों की विकेंद्रित खरीद और निजी व्यापारियों की और अधिक भूमिका को प्रोत्साहित करना है। यह प्रणाली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है जबकि अन्य राज्यों को इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

उद्योग

1.34 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक द्वारा मापी गई, वर्ष 2000-01 में परिलक्षित औद्योगिक अभिवृद्धि की महत्वपूर्ण मंदी वर्ष 2001-02 में अधिक गहनता के साथ जारी रही है। विनिर्मित निर्यातों में सुस्पष्ट मंदन और महत्वपूर्ण तथा अवसंरचना उद्योगों की अभिवृद्धि दरों में मंदी थी। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार समग्र औद्योगिक अभिवृद्धि पिछले वर्ष की तदनु रूपी अवधि के दौरान 5.8 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, 2001-02 के दौरान सिर्फ 2.3 प्रतिशत थी। वास्तव में, चालू वर्ष के प्रथम नौ महीनों के दौरान औद्योगिक अभिवृद्धि पिछले दस वर्षों के दौरान सबसे कम दर्ज की गई है। समग्र औद्योगिक अभिवृद्धि में तीव्र गिरावट सामान्य व्यवसाय और निवेश चक्र तथा घरेलू और विदेशी मांग दोनों की कमी जैसे अनेक संरचनात्मक और चक्रीय कारकों के कारण है। अभी भी, उच्च वास्तविक ब्याज दरों, अवसंरचनात्मक अवरोधों और भूमि तथा श्रम बाजारों में सुधारों की कमी ने निजी निवेश व औद्योगिक उत्पादन को अवमंदित कर दिया है।

1.35 औद्योगिक मंदी सभी प्रमुख क्षेत्रों में देखी गई है। विनिर्माणकारी क्षेत्रक अप्रैल-दिसंबर, 2001 के दौरान मात्र 2.4 प्रतिशत ही बढ़ा जो 2000 में इसी अवधि के दौरान दर्ज 6.0 प्रतिशत की अभिवृद्धि से काफी कम है। इसी तरह, अप्रैल-दिसंबर, 2001 के दौरान विद्युत उत्पादन मात्र 2.7 प्रतिशत बढ़ा (अप्रैल-दिसंबर, 2000 में 4.8 प्रतिशत की तुलना में) और खनन तथा उत्खनन ने अप्रैल-दिसंबर, 2001 के दौरान मात्र 1.1 प्रतिशत की अभिवृद्धि दर्ज की

(अप्रैल-दिसंबर, 2000 में 4.4 प्रतिशत की तुलना में) (सारणी 1.7)।

1.36 औद्योगिक मंदी की व्यापक आधार की प्रकृति औद्योगिक उत्पादन के प्रयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार उप-क्षेत्रों की असकल अभिवृद्धि दरों से भी स्पष्ट है। पूंजीगत सामानों के उत्पादन में स्पष्ट गिरावट हो रही है (अप्रैल-दिसंबर, 2001 में -4.8 प्रतिशत अभिवृद्धि थी)। बुनियादी, मध्यवर्ती और उपभोक्ता सामानों में भी पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में काफी कम अभिवृद्धि दरें रही हैं। सिर्फ टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के निष्पादन में एक आशा की किरण रही है जो पिछले वर्ष (अप्रैल-दिसंबर, 2000 में 17.8 प्रतिशत) की तुलना में कम अभिवृद्धि के बावजूद दो-अंकों की दर (अप्रैल-दिसंबर, 2001 में 12.5 प्रतिशत) से बढ़ रहे हैं।

1.37 चालू वर्ष के दौरान, औद्योगिक क्षेत्रक में पुररुज्जीवन के अभिकल्पन के लिए सरकार ने अनेक राजकोषीय और अन्य नीतिगत प्रोत्साहनों की घोषणा की थी। प्रमुख राजकोषीय उपायों में उत्पाद शुल्क ढांचे का 16 प्रतिशत सेनवेट की एकल दर में यौक्तिकीकरण; सीमा शुल्क के शीर्ष स्तर को घटाकर 35 प्रतिशत करना; सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और मनोरंजन उद्योग के लिए प्रयुक्त होने वाले विनिर्दिष्ट उत्पादों पर सीमा शुल्क में कटौती; और वैयक्तिक तथा कम्पनी की आयकर दरों पर अधिभारों की समाप्ति शामिल हैं। अन्य राजकोषीय प्रोत्साहनों में 100 प्रतिशत इ ओ यू और एफ टी जैड व एस ई जैड में इकाइयों द्वारा आयातित सामानों के लिए डंपिंग-रोधी और संरक्षा शुल्कों से छूट; खाद्यान्नों के एकीकृत

संचालन, ढुलाई और भंडारण में लगे उद्यमों को पांच वर्षीय करावकाश की सुविधा की अनुमति; और चाय के विकास भत्ते को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर करके 40 प्रतिशत करना शामिल है।

1.38 वर्ष के दौरान अनेक दूरगामी ढांचागत सुधार पहलों की घोषणा भी की गई। लघु क्षेत्र में चल रही अनारक्षण प्रक्रिया के भाग के रूप में चौदह और मदों को लघु क्षेत्रक द्वारा अनन्य विनिर्माण के लिए आरक्षित मदों की सूची से अनारक्षित किया गया था। रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम को समाप्त करने के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया गया था। श्रम बाजार में विद्यमान ढांचागत अनम्यताओं को हटाने के लिए केन्द्रीय बजट (2001-02) में औद्योगिक विवाद अधिनियम और संविदा श्रम अधिनियम में संशोधनों का प्रस्ताव किया गया। बजट में कंपनी अधिनियम संशोधित करते हुए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के गठन का प्रस्ताव भी किया गया। इस संबंध में विधेयक संसद में प्रस्तुत कर दिया गया है।

अवसंरचना

1.39 चालू वर्ष के दौरान अवसंरचना उद्योगों का असंतोषजनक निष्पादन अर्थव्यवस्था में विद्यमान समग्र मंदी का प्रतिबिंब है। छः महत्वपूर्ण तथा अवसंरचना उद्योग अर्थात् बिजली, कच्चे तेल, पेट्रोलियम परिशोधनशाला उत्पाद, कोयला, इस्पात और सीमेंट जिनका समग्र औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में भार 26.7 प्रतिशत बैठता है, ने पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि के दौरान 6.8 प्रतिशत की अभिवृद्धि की तुलना में चालू वर्ष की पहली तीन तिमाहियों के दौरान (अर्थात् अप्रैल-दिसंबर, 2001) सिर्फ 2 प्रतिशत की औसत अभिवृद्धि दर प्राप्त की है। कच्चे तेल और इस्पात की अभिवृद्धि दर में स्पष्ट गिरावट प्रदर्शित हुई है जबकि सीमेंट को छोड़कर अन्य उद्योगों की अभिवृद्धि दरों में चालू वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण रूप से अवमंदन रहा है। अन्य अवसंरचना क्षेत्रों में से, रेलवे में माल यातायात, प्रमुख पत्तनों में माल के संचालन और नए टेलीफोन कनेक्शनों की अभिवृद्धि सकारात्मक किन्तु तुलनात्मक रूप से कम हुई है (सारणी 1.8)।

1.40 अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान अनेक राजकोषीय प्रोत्साहनों की घोषणा की गई थी। सड़क, राजमार्ग, जल मार्ग, जलापूर्ति, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परियोजनाओं

सारणी 1.7 औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दरें (आधार वर्ष: 1993-94 = 100)				
	1999- 2000	2000- 2001	2000- 2001	(प्रतिशत) 2001- 2002 (अप्रैल-दिसंबर)
प्रमुख क्षेत्र				
खनन तथा उत्खनन	1.0	3.7	4.4	1.1
विनिर्माण	7.1	5.3	6.0	2.4
बिजली	7.3	4.0	4.8	2.7
सामान्य	6.7	5.0	5.8	2.3
प्रयोग आधारित				
बुनियादी वस्तुएं	5.5	3.9	5.1	2.2
पूंजीगत वस्तुएं	6.9	1.8	3.0	-4.8
मध्यवर्ती वस्तुएं	8.8	4.7	4.8	2.0
उपभोक्ता वस्तुएं	5.7	8.0	8.2	5.0
जिनमें से				
(i) उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	14.1	14.5	17.8	12.5
(ii) उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं	3.2	5.8	5.3	2.3

को प्रस्तावित दस वर्ष के करावकाश को अब आरंभिक बीस वर्षों के दौरान लिया जा सकता है। वायु पत्तनों, पत्तनों, अंतर्देशीय पत्तनों, औद्योगिक पार्कों और विद्युत के उत्पादन व वितरण की परियोजनाएं शुरू के पंद्रह वर्षों के दौरान अब दस वर्ष के करावकाश का लाभ ले सकती हैं। 31 मार्च, 2000 तक दूर संचार क्षेत्र को उपलब्ध पांच वर्षीय करावकाश की सुविधा 31 मार्च, 2003 को या उससे पहले अपने कार्य प्रचालन शुरू करने वाली इकाइयों के लिए भी पुनः शुरू की गई है। ये रियायतें इंटरनेट सेवा प्रदायकों और ब्रोडबैंड नेटवर्क को विस्तारित की गई थी। उन निवेशकों के लिए भी कर प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गई थी जो अवसंरचना में लगे उद्यमों को दीर्घावधिक वित्त पोषण उपलब्ध करा रहे हैं। बिजली विधेयक 2001 और संचार अभिसारिता विधेयक, 2001 संसद में पेश किए गए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाया गया और इस योजना का विस्तार कर ग्रामीण विद्युतीकरण को इसमें शामिल किया गया। यात्री किरायों पर अधिभार द्वारा और छः वर्षों में 17,000 करोड़ रुपए के सुरक्षा संबद्ध निवेश को अनुसमर्थित करने के लिए बजटीय सहायता से निधिपोषित विशेष रेलवे सुरक्षा निधि का सृजन किया गया। इस वर्ष के दौरान सामान्य राजस्व

से अंशदान के रूप में 1000 करोड़ रुपए विशेष रेलवे सुरक्षा निधि को आवंटित किए गए। रेलवे की 'अंतिम चरण' में चल रही परियोजनाएं पूरी करने के लिए चालू वर्ष के दौरान 898 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी आवंटित की गई।

सेवाएं

1.41 वर्ष 1993-94 से 1999-2000 के दौरान सेवा क्षेत्र ने 7.1 प्रतिशत से 10.5 प्रतिशत के बीच अनिरुद्ध उच्च अभिवृद्धि दरें प्राप्त की थी। परन्तु वर्ष 2000-01 में पहली बार सेवा क्षेत्र की अभिवृद्धि दर वित्तीय क्षेत्र, व्यापार, होटल एवं रेस्तराओं और सामुदायिक व सामाजिक सेवाओं द्वारा कमजोर निष्पादन के कारण अवमंदित होकर 4.8 प्रतिशत हो गई।

1.42 पिछले वर्षों में समग्र सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का हिस्सा बढ़ा है। यहां यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि सेवा क्षेत्र वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का 49 प्रतिशत बैठता है, विश्वसनीय आंकड़ों और अधिकांश सेवा क्षेत्रों के उत्पादन को मापने के तरीके की कमी के कारण सेवा क्षेत्र की अभिवृद्धि दर के लिए कोई नियमित रिपोर्टिंग प्रणाली नहीं

सारणी 1.8					
महत्वपूर्ण तथा अवसंरचना क्षेत्रों की वृद्धि दरें					
क्षेत्र	भार (आई आई पी)	1999- 2000	2000- 2001*	(प्रतिशत प्रतिवर्ष)	
				2000- 2001	2001- 2002
(अप्रैल-दिसम्बर)*					
अवसंरचना क्षेत्र (औद्योगिक उत्पादन सूचकांक)					
1. विद्युत उत्पादन	10.2	7.2	3.9	4.8	2.8
(a) जलीय		-2.5	-7.9	-5.4	-3.6
(b) तापीय (नाभिकीय सहित)		9.3	6.3	7.0	4.0
2. कोयला उत्पादन	3.2	3.1	3.0	5.4	3.5
3. इस्पात	5.1	15.0	6.3	9.2	-0.3
4. कच्चे तेल	4.2	-2.4	1.2	0.7	-1.9
5. परिशोधनशाला थ्रुपुट	2.0	25.4	19.7	25.9	4.2
6. सीमेंट	2.0	14.2	-0.9	2.1	6.4
समग्र	26.7	9.1	5.0	6.8	2.0
अन्य अवसंरचना क्षेत्र					
1. रेलवे राजस्व-अर्जक माल यातायात		8.4	3.7	5.2	2.7
2. प्रमुख पत्तनों पर संचालित कार्गो		8.0	3.4	3.9	1.7
3. दूरसंचार : प्रदत्त नए टेलीफोन कनेक्शन (डीईएल)		29.7	20.5	29.8	7.0#
* अनंतिम #सरकारी तथा निजी क्षेत्र मिलाकर					

हैं। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के साथ मिलकर सेवा क्षेत्र के लिए आंकड़ा आधार सुधारने व औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की पद्धति पर सेवा उत्पादन सूचकांक का निर्माण करने की तरफ बढ़ने के उपाय शुरू किए हैं।

1.43 महत्वपूर्ण सेवाओं में से एक जिसने हाल के समय में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है, बीमा है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसका गठन 19 अप्रैल, 2000 को किया गया था, ने विद्यमान सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा कंपनियों के अतिरिक्त दस जीवन बीमा कंपनियों और छः साधारण बीमा कंपनियों को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए हैं। आई आर डी ए ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (परिसंपत्तियां, देयताएं और बीमाकर्ताओं का शोधक्षम मार्जिन) विनियम, 2000 के अनुरूप शोधक्षम मार्जिन अपेक्षाएं भी शुरू की हैं।

1.44 बीमा क्षेत्र द्वारा अर्थ व्यवस्था में पात्र समूहों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करना जारी है। अधिकांशतः गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति समूहों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा जून, 2000 में शुरू की गई जनश्री बीमा योजना द्वारा जनवरी, 2002 तक 763,436 व्यक्तियों का बीमा किया गया था। जीवन बीमा निगम ने 18-50 वर्ष के आयु समूह में भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लाभ के लिए पहली जुलाई, 2001 को कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना नामक एक नई योजना भी शुरू की। इस योजना ने 1 जुलाई, 2001 से 7 फरवरी, 2002 के बीच 16 जिलों में 24,936 लाभार्थियों को शामिल किया है। सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों ने आर्थिक पुनर्संरचनात्मक उपायों के क्रियान्वयन के कारण छंटनी किए गए श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए 10 अक्टूबर, 2001 को एक नई नीति, आश्रय बीमा योजना शुरू की। सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों ने भी किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए वैयक्तिक दुर्घटना बीमा सुरक्षा योजना शुरू की है।

1.45 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने छोटे उधारकर्ताओं को सरलीकृत और उधारकर्ता अनुकूल ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। यह योजना लघु व्यवसायियों, खुदरा व्यापारियों, कलाकारों, पेशेवर लोगों, स्व-नियोजित व्यक्तियों और लघु औद्योगिक इकाइयों को परेशानीमुक्त ऋण सुविधा

उपलब्ध कराएगी। इस योजना के अंतर्गत ब्याज बैंकों की सर्वोच्च उधार दर पर प्रभारित होगा।

1.46 साफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थकारी सेवाएं सार्वभौम परिप्रेक्ष्य में भारत के लिए एक बढ़िया क्षेत्र के रूप में उभरी हैं। साफ्टवेयर उद्योग पिछले दशक में 50 प्रतिशत से अधिक की यौगिक वार्षिक वृद्धि दर के साथ तेजी से बढ़ते हुए क्षेत्रों में से एक था। साफ्टवेयर सेवा निर्यात वर्ष 1999-2000 में 4.02 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 2000-01 में 6.3 बिलियन अमरीकी डालर हो गए जिससे 57 प्रतिशत अभिवृद्धि दर्ज की गई है। साफ्टवेयर क्षेत्र में भारत की सफलता का अधिकतर श्रेय गहन अनुसंधान और विकास प्रयासों के माध्यम से श्रेष्ठ जानकारी के सृजन की उद्योग की योग्यता और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य प्रौद्योगिकियों में जानकारी लागू करने की विशेषज्ञता को जाता है।

सामाजिक क्षेत्र

1.47 देश के विस्तृत मानव संसाधन की संभाव्यता का विकास उच्चतर आर्थिक अभिवृद्धि स्तरों को बनाए रखने और लोगों के बढ़िया रहन-सहन के मानकों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। नब्बे के पूरे दशक में देश में मानव संसाधन और सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता उत्तरोत्तर रूप से बढ़ी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पोषाहार, स्वच्छता, ग्रामीण विकास, आवास, सामाजिक कल्याण, आदि संबंधी केन्द्रीय सरकार के व्यय (आयोजना और आयोजना-भिन्न) वर्ष 1992-93 के 9,608 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2001-02 (ब.अ.) में 40,205 करोड़ रुपए हो गए हैं। कुल व्यय के अनुपात के रूप में इन क्षेत्रों पर संयुक्त आयोजना और आयोजना भिन्न केन्द्रीय व्यय वर्ष 1992-93 के 8.1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2001-02 (ब.अ.) में 10.7 प्रतिशत हो गया। इसी तरह, चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में, सामाजिक सेवाओं पर केन्द्र सरकार का व्यय वर्ष 1992-93 के 1.3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2001-02 (ब.अ.) में 1.8 प्रतिशत हो गया।

जनसंख्या : जनगणना 2001

1.48 भारत का क्षेत्र विश्व सतह क्षेत्र का 2.4 प्रतिशत बैठता है परन्तु यह विश्व जनसंख्या के 16.7 प्रतिशत हिस्से

को भरण पोषण देता है। भारत की जनगणना, 2001 के अनंतिम परिणामों के अनुसार 1 मार्च, 2001 को भारत की जनसंख्या एक बिलियन को पार कर गई और इसकी गिनती 1.027 बिलियन थी। वर्ष 1999-2001 के बीच जनसंख्या की 21.34 प्रतिशत की दशकीय अभिवृद्धि स्वतंत्रता के बाद से देखी गई जनसंख्या की वृद्धि दर में तीव्रतम गिरावट थी जिसमें पिछले दशक के दौरान औसत घातीय वृद्धि दर 2.14 प्रतिशत प्रति वर्ष से गिरकर 1.93 प्रतिशत प्रति वर्ष हो गई। गिरावट की प्रवृत्तियां दर्शाती हैं कि देश जनसांख्यिकीय परिवर्तन की प्रक्रिया में तेजी से गिरावट वाली जननक्षमता के चरण में प्रवेश कर रहा है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में 2045 तक स्थायी आर्थिक अभिवृद्धि और विकास की आवश्यकताओं के समनुरूप स्तर पर स्थिर जनसंख्या रखने के दीर्घावधिक लक्ष्य की रूपरेखा दी गई है।

1.49 वर्ष 2001 को समाप्त दशक में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या की प्रतिशत दशकीय अभिवृद्धि क्रमशः 17.9 प्रतिशत और 31.2 प्रतिशत थी। देश की कुल जनसंख्या का 27.8 प्रतिशत शहरी जनसंख्या है जो 1991 की स्थिति की तुलना में 2.1 प्रतिशत बिंदु अधिक है। जनसंख्या सघनता संतुलित रूप से बढ़कर 1951 में 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से 2001 में 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गई। देश में समग्र लिंग, अनुपात 1991 में 1000 पुरुष प्रति 927 महिला से सुधरकर 2001 में 1000 पुरुष प्रति 933 महिला हो गया है।

रोजगार

1.50 योजना आयोग के अनुसार समग्र रोजगार में वर्ष 1987-88 से 1993-94 की अवधि के दौरान 2.43 प्रतिशत प्रति वर्ष की अभिवृद्धि की तुलना में वर्ष 1993-94 से 1999-2000 की अवधि के दौरान मात्र 1 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। रोजगार अभिवृद्धि में यह अवमंदन जनसंख्या (वर्ष 1987-88 से 1993-94 के दौरान 2.10 प्रतिशत प्रति वर्ष की तुलना में वर्ष 1993-94 से 1999-2000 के दौरान 1.93 प्रतिशत प्रति वर्ष) के साथ-साथ श्रमिक बल (वर्ष 1987-88 से 1993-94 के दौरान 2.29 प्रतिशत प्रति वर्ष की तुलना में वर्ष 1993-94 से 1999-2000 के दौरान 1.03 प्रतिशत प्रति वर्ष) की न्यूनतर अभिवृद्धि के कारण है। वर्ष 1993-94 से 1994-2000 के दौरान संगठित क्षेत्र के रोजगार 0.53 प्रतिशत बढ़े हैं,

जबकि 1994-2000 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार स्पष्ट रूप से 0.03 प्रतिशत गिरे हैं; इसी अवधि के दौरान निजी क्षेत्र में रोजगार में 1.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार अभिवृद्धि दर में कमी विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में चल रही पुनर्गठन की प्रक्रिया के साथ-साथ आयोजना-भिन्न सरकारी व्यय घटाने के लिए विभिन्न राज्यों के विभागों/संगठनों द्वारा क्रियान्वित भर्ती पर रोक के कारण है।

1.51 युवा आयु वर्गों में, श्रम बल भागीदारी दरों में दीर्घावधिक प्रवृत्ति का एक भाग है, जो शिक्षा की ओर तत्परता स्थिति में परिवर्तन का द्योतक है। कृषि में नियोजित व्यक्तियों की निरपेक्ष संख्या में पहली बार ह्रास के साथ कृषि क्षेत्र में रोजगार में भी मंद वृद्धि हुई है। तथापि, व्यापार, निर्माण, वित्तीय सेवाओं तथा परिवहन, भंडारण एवं संचार जैसे क्षेत्रों में वृद्धि दरें वर्ष 1994-2000 के दौरान 5-7 प्रतिशत वार्षिक के बीच रही हैं, जो इस अवधि के दौरान कुल रोजगार की वृद्धि की औसत दर से काफी उच्च थीं। अतः यह कहा जा सकता है कि नब्बे के दशक में सरकारी-भिन्न क्षेत्र में वर्धमानात्मक रूप से सृजित होते रोजगारों से रोजगार सृजन में संरचनात्मक परिवर्तन हुआ है।

रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

1.52 रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से अभिकल्पित कार्यक्रमों पर सरकार का निरंतर बल रहा है। वर्ष 2000-01 (ब.अ.) में ग्रामीण विकास, ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए 9270 करोड़ रुपए (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसके लिए वर्ष 2000-01 और 2001-02 में अलग-से 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, को छोड़कर) की तुलना में वर्ष 2001-02 (ब.अ.) में आयोजना-प्रावधानों के अंतर्गत बजटीय परिव्यय 9,765 करोड़ रुपए रखा गया था। फरवरी, 2001 में पांच महीनों के लिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था तथा इसे और आगे बढ़ा दिया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सूखा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। 5 दिसंबर, 2001 तक काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत 11 राज्यों को 3.01 मिलियन टन खाद्यान्न (1.90 मिलियन टन चावल और 1.11 मिलियन टन गेहूं) की मात्रा आवंटित की गई है। 23 नवंबर, 2001 तक खाद्यान्नों का

उठान 2.25 मिलियन टन हुआ है। विभिन्न चालू स्व-ग्रामीण कार्यक्रमों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा और मज़दूरी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सितंबर 2001 में *संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना* शुरू की गई थी। यह योजना केन्द्र और राज्यों द्वारा 75:25 की लागत-हिस्सेदारी आधार पर क्रियान्वित की जा रही है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के बच्चों के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के लिए 100 रुपए प्रतिमाह का शैक्षिक भत्ता उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया गया है। वर्ष 2000-01 में शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना एक प्रमुख पहल है जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के रहन-सहन के स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, आवासन और ग्रामीण सड़कों जैसे पांच संवेदी क्षेत्रों में ग्राम स्तर के विकास पर केंद्रित है। 1000 व्यक्तियों से अधिक की जनसंख्या वाली ग्रामीण रिहायशों के लिए 2003 तक और 500 व्यक्तियों से अधिक की जनसंख्या वाली ग्रामीण रिहायशों के लिए 2007 तक सब मौसमों के लिए अनुकूल सड़कों के सड़क संपर्क की व्यवस्था करने के लिए दिसंबर, 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी।

शिक्षा

1.53 शिक्षा के लिए कुल केंद्रीय आयोजना आवंटन वर्ष 2000-01 (ब.अ.) के 5450 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2001-02 (ब.अ.) में 5,920 करोड़ रुपए कर दिया गया है। प्रारम्भिक शिक्षा को वर्ष 2001-02 (ब.अ.) में 3800 करोड़ रुपए का सर्वोच्च परिव्यय प्राप्त हुआ है। देश में सकल नामांकन अनुपात महत्वपूर्ण रूप से सुधरकर प्राथमिक स्तर के लिए 42.6 प्रतिशत (1950-51) से 94.90 प्रतिशत (1999-2000) और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 12.7 प्रतिशत (1950-51) से 58.79 प्रतिशत (1999-2000) हो गया है। जनगणना 2001 के अनुसार, देश में सकल साक्षरता दर 1991 के 52 प्रतिशत से बढ़कर 65 प्रतिशत हो गई है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पुरुष व महिला दोनों की साक्षरता में प्रशंसनीय सुधार हुआ है।

स्वास्थ्य

1.54 वर्ष 2001-02 के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य क्षेत्र योजनाओं के लिए आयोजना परिव्यय 1,450 करोड़ रुपए था। यह वर्ष 2000-01 में 1,300 करोड़ रुपए के परिव्यय की तुलना में

11.5 प्रतिशत की वृद्धि है। केंद्रीय आयेजना परिव्यय का लगभग 54 प्रतिशत मलेरिया, तपेदिक, कुष्ठ रोग, एड्स, दृष्टिहीनता आदि के नियंत्रण हेतु केंद्रीय प्रायेजित रोग नियंत्रण कार्यक्रमों हेतु रखा गया है। रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों से भारी विदेशी सहायता भी जुटाई गई है। स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों क्षेत्रों के लिए प्रयोक्ता प्रभारों के आरोपण के माध्यम से लागत वसूली का तत्व और सेवा सुपुर्दगी के तंत्र में सुधार लाना, प्रमुख चिंतन विषय हैं।

ग्रामीण जलापूर्ति

1.55 त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के लिए केंद्रीय आवंटन वर्ष 2000-01 के 1960 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2001-02 में 1975 करोड़ रुपए कर दिया गया था। जनवरी 2002 की समाप्ति तक केन्द्र द्वारा 1637 करोड़ रुपए और राज्यों द्वारा 1496 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अब तक 10.5 मिलियन जनसंख्या वाली कुल 26,803 रिहायशों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लिया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण पेयजल परियोजना) ग्रामीण स्तर पर स्थायी मानव विकास की प्राप्ति के लिए एक अन्य पहल है।

राजकोषीय घटनाक्रम

1.56 वर्ष 2000-01 में 4.0 प्रतिशत की न्यूनतर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद अभिवृद्धि से वर्ष 2000-01 के दौरान राजस्व संग्रहण में गिरावट हुई है। महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी अनंतिम लेखों के अनुसार वर्ष 2000-01 के लिए 1,35,193 करोड़ रुपए की वास्तविक कर प्राप्तियां (केन्द्र को निवल) 1,44,403 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान की तुलना में 9,210 करोड़ रुपए कम थीं। वर्ष 2000-01 के लिए 55795 करोड़ रुपए की कर-भिन्न प्राप्तियां भी संशोधित अनुमानों से 5,968 करोड़ रुपए कम थीं। तथापि, व्यय मद में हुई बचतों ने न्यूनतर राजस्व वसूली के प्रभाव को काफी कम कर दिया। परिणामतः वर्ष 2000-01 के लिए 1,14,369 करोड़ रुपए का वास्तविक सकल राजकोषीय घाटा संशोधित अनुमान से 2397 करोड़ रुपए अधिक था। वर्ष 2000-01 के लिए चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में संशोधित अनुमान में 5.1 प्रतिशत का सकल राजकोषीय घाटा अब अनंतिम अलेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर 5.5 प्रतिशत अनुमानित

है। इसी तरह, संशोधित अनुमान में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में 3.6 प्रतिशत पर अनुमानित राजस्व घाटा अब वर्ष 2000-01 में सकल घरेलू उत्पाद का 3.9 प्रतिशत होना अनुमानित है। वर्ष 2001-02 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के क्रमशः 4.7 प्रतिशत और 3.2 प्रतिशत की बजटीय व्यवस्था वाला केन्द्र का सकल राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा अब संशोधित सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः 5.1 प्रतिशत और 3.4 प्रतिशत अनुमानित है।

राजकोषीय नीतियाँ

प्रत्यक्ष कर

1.57 केन्द्रीय बजट 2001-02 में कर प्रस्तावों का मार्ग दर्शन करने वाले मूल सिद्धांत थे—राजस्व उत्प्लावकता, कर प्रशासन के और सरलीकरण तथा अधिक प्रभावी कर अनुपालन की आवश्यकता। प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में कर दरों में स्थायित्व बनाए रखने, कराधार का विस्तार करने और कर ढांचे के यौक्तिकीकरण एवं सरलीकरण पर बल था। विदेशी कंपनियों को छोड़कर सभी कंपनी-भिन्न और कंपनी निर्धारितियों पर लगने वाले 2 प्रतिशत के गुजरात भूकंप अधिभार को छोड़कर सभी अधिभार समाप्त कर दिए गए थे।

1.58 आधारभूत ढांचे के विकास हेतु करावकाश के रूप में राजकोषीय प्रोत्साहनों को युक्तिसंगत बनाया गया और इन्हें सड़क, राजमार्ग, रेलवे प्रणाली, जल उपचार और आपूर्ति, सिंचाई, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, वायुपत्तन, पत्तन, अंतर्देशीय पत्तन और जल मार्ग, औद्योगिक पार्क एवं विद्युत का उत्पादन तथा वितरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए विस्तारित किया गया। इसके अतिरिक्त, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विकास करने वालों के लिए अवसरचरणात्मक गतिविधियों हेतु 10 वर्षीय करावकाश के रूप में रियायतें उपलब्ध कराई गईं। खाद्यान्नों के संचालन, ढुलाई और भंडारण के एकीकृत व्यवसाय में लगे उद्यमों को पांच वर्षों का करावकाश और अगले पांच वर्षों के लिए लाभों के 30 प्रतिशत की कटौती के माध्यम से राजकोषीय प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गई। आधारभूत ढांचे में निवेशों से ब्याज, लाभांश और दीर्घावधिक पूंजी लाभों के रूप में अर्जित आय को पूर्णतया करमुक्त बनाया गया था और इस क्षेत्र से अर्जित गारंटी कमीशन और क्रेडिट वृद्धि शुल्क को छूट प्रदान की गई।

1.59 पूंजी बाजार में अभिवृद्धि को गति प्रदान करने के लिए घरेलू कंपनियों के लाभांशों और म्यूचुअल फंडों व यूटीआई की यूनियों के संबंध में आय के वितरण पर देय कर को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। कराधार का विस्तार करने और स्रोत पर कटौती के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए किए गए उपायों में, कमीशन या दलाली (शेयरों व प्रतिभूतियों से संबंधित लेन-देनों को छोड़कर) के माध्यम से 2500 रुपए से अधिक अर्जित आय के लिए 10 प्रतिशत की दर से स्रोत पर आयकर काटना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त खेलों से जीतों पर स्रोत पर 30 प्रतिशत की दर से आयकर की कटौती होगी। देश में 1991 की जनगणना के अनुसार यथा परिभाषित सभी शहरी क्षेत्रों में संभावित कर-दाताओं की पहचान करने के लिए '6 में से एक योजना' का विस्तार किया गया था।

अप्रत्यक्ष कर

1.60 कर घटाने, कर प्रशासन को युक्तिसंगत बनाने और प्रक्रियाओं के सरलीकरण की चालू प्रक्रिया को अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में आगे बढ़ाया गया। वर्ष के दौरान अपनायी गई महत्वपूर्ण पहलों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है :

सीमा शुल्क

1.61 सीमा शुल्क के शीर्ष स्तर को 10 प्रतिशत अधिभार की समाप्ति के साथ घटाकर 35 प्रतिशत किया गया था। केन्द्रीय बजट में सरकार के इस संकल्प को दोहराया गया है कि दरों की संख्या को प्रगामी रूप से घटाते हुए तीन वर्ष के भीतर 20 प्रतिशत की शीर्ष दर के साथ न्यूनतम करना है। सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्षेत्रों के लिए आयातित निविष्टियों पर सीमा शुल्क घटाए गए थे। चाय, कॉफी, कोपरा और नारियल पर बुनियादी सीमा शुल्क बढ़ाकर 70 प्रतिशत और कच्चे खाद्य तेलों व परिष्कृत तेलों पर क्रमशः 75 और 85 प्रतिशत किया गया था। आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति के साथ प्रयुक्त कारों, बहु-उपयोगी वाहनों और दुपहिया वाहनों के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 105 प्रतिशत किया गया। सोने की तस्करी को हतोत्साहित करने के लिए आशयित प्रस्ताव में सोने पर सीमा शुल्क 400 रुपए प्रति दस ग्राम से घटाकर 250 रुपए प्रति दस ग्राम कर दिया गया।

उत्पाद शुल्क

1.62 वर्ष 2000-01 में उत्पाद शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाते हुए 16 प्रतिशत सेनवेट (केन्द्रीय मूल्य वर्द्धित कर) की एकल दर की गई थी जिसमें और सुधार करते हुए 8 प्रतिशत, 16 प्रतिशत और 24 प्रतिशत की तीन विशेष उत्पाद शुल्क दरों को 16 प्रतिशत की एकल दर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि के लिए संसाधन जुटाने हेतु सिगरेट, पान मसाला, बीड़ी आदि पर अतिरिक्त शुल्क (राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क) लगाया गया था। फलों और सब्जियों पर आधारित खाद्य सम्पाकों को उत्पाद शुल्क से पूर्णतया मुक्त रखा गया था जबकि वातित साफ्ट पेयों पर शुल्क घटाकर 32 प्रतिशत किया गया था। अब तक उत्पाद शुल्क से मुक्त संपीड़ित प्राकृतिक गैस को 8 प्रतिशत की दर के उत्पाद शुल्क के दायरे में लाया गया। पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 32 प्रतिशत और हाई-स्पीड डीजल पर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 16 प्रतिशत किया गया। इसके अलावा दिनांक 11-12 जनवरी, 2002 की मध्यरात्रि से पेट्रोल और डीजल पर शुल्क बढ़ाकर क्रमशः 90 प्रतिशत और 20 प्रतिशत किए गए थे (उत्पाद शुल्क की नई दरें 31 मार्च, 2002 के आगे लागू नहीं रहेंगी)। कर योग्य सेवा के मूल्य पर 5 प्रतिशत की दर पर सेवा कर के क्षेत्र का विस्तार करते हुए उसमें पन्द्रह नई सेवाओं को शामिल किया गया था।

1.63 असमुचित राजकोषीय समंजन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निरंतर एक बड़ी समस्या बना हुआ है। पेंशन अदायगियों में उछाल सहित बढ़ती हुई ब्याज अदायगियों, आर्थिक सहायता के बढ़ते हुए स्तर और पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के दीर्घावधिक प्रभाव के कारण हाल के वर्षों में केन्द्र सरकार की राजकोषीय स्थिति अधिक दबाव में आ गई है। ये सब बढ़ते हुए राजस्व घाटे और सार्वजनिक क्षेत्र की बचतों में क्षरण के रूप में प्रकट हुए हैं जिससे अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्रों में निवेश करने की सरकार की क्षमता बुरी तरह सीमित हो गई है।

वर्ष 2001-02 में राजकोषीय व बजटीय घटनाक्रम

1.64 सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में राजकोषीय घाटा (अनंतिम अलेखापरीक्षित आंकड़ों के अनुसार) जिसके लिए वर्ष 2000-01 के 5.5 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2001-2002 के बजट में 4.7 प्रतिशत की बजटीय व्यवस्था

की गई थी, अब सकल घरेलू उत्पाद अनुमान के पुनरीक्षण के कारण सकल घरेलू उत्पाद का 5.1 प्रतिशत है। वर्ष 2001-02 में सकल घरेलू उत्पाद के 3.2 प्रतिशत का बजटीय राजस्व घाटा, जो चालू प्राप्तियों की तलना में चालू व्यय की अधिकता को प्रतिबिंबित करता है, वर्ष 2000-01 के 3.9 प्रतिशत की तुलना में अब सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत होने का पुनः अनुमान लगाया गया है। प्राथमिक घाटा, (अर्थात् ब्याज अदायगियों को घटाकर राजकोषीय घाटा) वर्ष 2000-01 के 0.8 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2001-02 में सकल घरेलू उत्पाद का 0.2 प्रतिशत होने की बजटीय व्यवस्था की गई है।

राजस्व निष्पादन

1.65 चालू वर्ष के पहले नौ महीनों (अप्रैल-दिसंबर 2001) के लिए प्रमुख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के सकल संग्रहण के आंकड़े असंतोषजनक निष्पादन दर्शाते हैं। प्रत्यक्ष करों के मामले में, वैयक्तिक आयकर और कंपनी कर से 44,021 करोड़ रुपए के संग्रहण पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि में 30.8 प्रतिशत की सशक्त वृद्धि की तुलना में 1.2 प्रतिशत कम थे। उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क से संग्रहणों ने अप्रैल-दिसंबर, 2000 में 4.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2001 में 3.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है।

1.66 चालू वर्ष की पहली तीन तिमाहियों (अर्थात् अप्रैल-दिसंबर, 2001) के लिए राजकोषीय मानदंड यह दर्शाते हैं कि पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में अभिवृद्धि कम और व्यय में वृद्धि अधिक हुई है। राजस्व प्राप्तियां (केन्द्र को निवल) पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि में 1,32,691 करोड़ रुपए की तुलना में 1,32,690 करोड़ रुपए के साथ लगभग उसी स्तर पर बनी हुई हैं। अन्य प्राप्तियां (मुख्यतया विनिवेश प्राप्तियां) पूरे वर्ष में 12,000 करोड़ रुपए के बजटीय लक्ष्य की तुलना में 280 करोड़ रुपए पर अनुमानित हैं जिनके विनिवेश प्रक्रिया के बेहतर कार्यकरण के कारण चालू वर्ष के शेष महीनों में महत्वपूर्ण रूप से सुधरने की प्रत्याशा है। उधार और अन्य देयताएं पिछले वर्ष की तुलनीय अवधि में 64,628 करोड़ रुपए की तुलना में 37.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए 89,014 करोड़ रुपए थीं। कुल व्यय पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि की तुलना में 14 प्रतिशत की वृद्धि प्रतिबिंबित करते

सारणी 1.9 कर राजस्व एवं व्यय							
	1990-91 वास्तविक आंकड़े	1996-97 वास्तविक आंकड़े	1997-98 वास्तविक आंकड़े	1998-99 वास्तविक आंकड़े	1999-2000 वास्तविक आंकड़े	2000-01* (अंतिम)	2001-02# (ब.अ.)
(सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)							
1. राजकोषीय घाटा	6.6	4.1	4.8	5.1	5.4	5.5	5.1
2. राजस्व घाटा	3.3	2.4	3.1	3.8	3.5	3.9	3.4
3. प्राथमिक घाटा	2.8	-0.2	0.5	0.7	0.7	0.8	0.2
4. सकल कर राजस्व	10.1	9.4	9.1	8.3	8.9	9.0	9.9
(क) प्रत्यक्ष कर जिसमें से निम्न का अंश:	1.9	2.8	3.2	2.7	3.0	3.3	3.7
(i) आय कर	0.9	1.3	1.1	1.2	1.3	1.5	1.8
(ii) निगम कर	0.9	1.4	1.3	1.4	1.6	1.7	1.9
(ख) अप्रत्यक्ष कर जिसमें से निम्न का अंश :	7.9	6.5	5.9	5.5	5.8	5.7	6.1
(i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	4.3	3.3	3.2	3.1	3.2	3.3	3.6
(ii) सीमा शुल्क	3.6	3.1	2.6	2.3	2.5	2.3	2.4
5. कुल व्यय	17.3	13.9	14.2	14.7	15.4	15.3	16.4
जिसमें से:							
(i) ब्याज अदायगियों	3.8	4.3	4.3	4.5	4.7	4.7	4.9
(ii) मुख्य आर्थिक सहायता	1.7	1.0	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2
(iii) रक्षा	2.7	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.7
(iv) अन्य योजना-भिन्न व्यय	4.1	2.5	2.5	2.9	3.2	3.0	3.2
(v) योजना के लिए बजट सहायता	5.0	3.9	3.9	3.8	3.9	4.0	4.4
* महालेखानियंत्रक, व्यय विभाग, वित्र मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अंतिम तथा अलेखापरीक्षित। # वर्ष 2001-02 के लिए चालू बाजार कीमतों पर स.घ. उत्पाद के प्रति अनुपात केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अग्रिम अनुमानों पर आधारित है। टिप्पणी: 1. केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) द्वारा जारी चालू बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के प्रति अनुपात। 2. इन आंकड़ों में निवल लघु बचत संग्रहणों के राज्य के भाग के अंतरण को शामिल नहीं किया गया है।							

हुए 2,33,718 करोड़ रुपए था। तथापि, अर्थव्यवस्था में सामान्य मंदी और खासकर औद्योगिक अभिवृद्धि में अवमंदन के कारण अप्रैल-दिसंबर, 2001 के दौरान कर राजस्व (केन्द्र को निवल) लगभग 7 प्रतिशत गिर गया था (सारणी 1.9)।

व्यय प्रबंधन

1.67 केन्द्र सरकार के व्यय के संघटन में परिवर्तन लाने और आयोजना-भिन्न व्यय में मितव्ययिता लाने के लिए केन्द्रीय बजट (2001-02) में विशिष्ट प्रस्तावों की घोषणा की गई थी। बजट में सरकार और इसकी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई गई कतिपय सेवाओं के लिए प्रयोक्ता प्रभारों के संशोधन, बढ़ते ढाक घाटे के नियंत्रण हेतु ढाक दरों में सामान्य वृद्धि, नई भर्ती कुल सिविल कर्मचारियों की संख्या के 1 प्रतिशत तक सीमित करने के दृष्टिगत भर्ती आवश्यकताओं की जांच, केन्द्रीय सरकार के रिहायशी आवास की विभिन्न श्रेणियों के लिए लाईसेंस फीस में संवृद्धि, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा के अस्थायी

निलंबन और दक्षता संवर्धन हेतु भारी सार्वजनिक अंतरापृष्ठ वाले सरकारी कार्यकलापों में सूचना प्रौद्योगिकी के अधिक प्रयोग की घोषणा की गई थी। बजट में यह भी घोषित किया गया था कि सभी विद्यमान योजनाएं शून्य-आधारित बजटीय व्यवस्था के अधीन होंगी और सिर्फ उन्हीं योजनाओं को ही रखा जाएगा जो प्रदर्शनात्मक रूप से दक्ष और आवश्यक पाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं, जिन्हें राज्यों को स्थानान्तरित किया जा सकता है, की पहचान की जाएगी और संसाधन प्रवाहों को उनके निष्पादन के साथ संबद्ध किया जाएगा।

मुद्रास्फीति

थोक मूल्य सूचकांक

1.68 थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार दिनांक 19 जनवरी, 2002 को समाप्त सप्ताह के लिए बिंदु-दर-बिंदु मुद्रास्फीति की दर 1.3 प्रतिशत थी, जो पिछले दो दशकों में सबसे कम

थी। 52 सप्ताह की औसत मुद्रास्फीति दर वर्ष के शुरू में 7.0 प्रतिशत से गिरकर 19 जनवरी, 2002 को समाप्त सप्ताह में 4.7 प्रतिशत हो गई।

1.69 वर्ष 2001-02 के दौरान मूल्य स्थिति नियंत्रण में बनी रही। वर्ष 1999-2000 में पहले घोषित और तत्पश्चात वर्ष 2000-01 में दो बार घोषित ईंधन मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव सितंबर 2001 तक मुद्रास्फीति को घटाकर 5 प्रतिशत से नीचे लाते हुए चालू वर्ष के दौरान कम हो गया। मूल्यों में मंदी अक्टूबर और नवंबर, 2001 के महीनों में बनी रही है। दिसंबर, 2001 के आरंभ में मुद्रास्फीति (दिसंबर, 1999 से सबसे कम) 2.21 प्रतिशत दर्ज की गई थी और जनवरी, 2002 के अंत में और गिरकर 1.3 प्रतिशत हो गई।

1.70 दैनिक प्रयोग की आवश्यक वस्तुओं को शामिल करते हुए प्राथमिक उत्पाद समूह के मूल्य वर्ष के ज्यादातर समय में संतुलित बने रहे और वर्तमान में 19 जनवरी, 2002 को समाप्त सप्ताह के लिए अनुमानतः 3 प्रतिशत बढ़े हैं। विनिर्मित उत्पादों के लिए कम मांग प्रतिबिंबित करते हुए वर्ष 2001-02 के दौरान विनिर्मित उत्पाद समूह ने नाममात्र मूल्य वृद्धि दर्ज की है। मुख्यतया ऊर्जा उत्पादों, जो ज्यादातर आयातित होते हैं, वाले ईंधन, विद्युत, रोशनी व लुब्रीकेंट उपसमूह में प्रशासित ऊर्जा मूल्यों में क्रमिक बढ़ोत्तरी के कारण पिछले वर्ष तीव्र वृद्धि हुई थी। इसके विपरीत, चालू वर्ष के दौरान इस समूह की मुद्रास्फीति स्थिर रही और पिछले वर्ष की 31.0 प्रतिशत की तुलना में वर्तमान में 3.2 प्रतिशत है।

*उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक श्रमिक
(सी.पी.आई. - आई.डब्ल्यू)*

1.71 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आईडब्ल्यू) द्वारा यथा अनुमानित मुद्रास्फीति की दर चालू वर्ष के दौरान सामान्य से न्यून के बीच रही है। जुलाई, 2001 तक यह सूचकांक 4 प्रतिशत से नीचे रहा और तत्पश्चात अगस्त, 2001 में बढ़कर 5.2 प्रतिशत हो गया। यह सितंबर और अक्टूबर में और गिरा और नवंबर, 2001 के दौरान 4.9 प्रतिशत अनुमानित था। दिसंबर, 2001 में 5.2 प्रतिशत की मामूली उच्च मुद्रास्फीति के साथ 2001 का वर्ष समाप्त हुआ।

मुद्रा आपूर्ति

1.72 स्थूल मुद्रा (एम 3) में वर्षानुवर्ष अभिवृद्धि एक वर्ष पहले 16.6 प्रतिशत की तुलना में 11 जनवरी, 2002 की

स्थिति के अनुसार 14.4 प्रतिशत थी। दिनांक 16 नवंबर, 2001 से मुद्रा आपूर्ति में तीव्र गिरावट पिछले वर्ष की तदनुसूची तिथि से इंडिया मिलेनियम डिपाजिट्स के कारण स्थूल मुद्रा की मात्रा में अचानक विस्तार को प्रतिबिंबित करती है। मुद्रा आपूर्ति के विभिन्न संघटकों में सिर्फ जनता के पास धन ने पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि की तुलना में चालू वर्ष में (11 जनवरी, 2002 तक) अभिवृद्धि की अपेक्षाकृत उच्च दर दर्ज की है। जहां तक स्थूल मुद्रा के स्रोतों का संबंध है, सरकारी प्रतिभूतियों में बैंक के निवेश में वृद्धि और भारतीय रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा की परिसंपत्तियों में बढ़ोतरी ने चालू वर्ष में स्थूल मुद्रा की अभिवृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान किया है। भारतीय रिजर्व बैंक की निवल घरेलू परिसंपत्तियों की अभिवृद्धि में पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में गिरावट हुई है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों की अभिवृद्धि में सुस्पष्ट त्वरण द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित किया गया था। आरक्षित मुद्रा ने पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि के दौरान 5 प्रतिशत की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष (11 जनवरी, 2002 तक) के दौरान 2.6 प्रतिशत की अभिवृद्धि दर्ज की है।

वित्तीय घटनाक्रम

1.73 बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं पर विशेष संकेन्द्रण के साथ वित्तीय क्षेत्र में सुधारों की प्रक्रिया चालू वर्ष में जारी रही है। किए गए विशिष्ट सुधारों में बैंकों को उनकी संबंधित पीएलआर से कम ब्याज दरों पर उधार देने की अनुमति देना, वरिष्ठ नागरिकों को अधिक ब्याज दरों की पेशकश करते हुए नियत दर जमा योजनाएं बनाने की अनुमति देना, नकद उधार और ऋण घटकों के बीच कार्यशील पूंजी की संरचना में नम्यता, उधारकर्ताओं के लिए उद्भासन सीमाओं में कटौती, पूंजीबाजार में बैंकों के उद्भासन हेतु पुनरीक्षित मार्गनिर्देश तथा निजी नियोजन मार्ग के माध्यम से एसएलआर-भिन्न प्रतिभूतियों में निवेश हेतु मार्गनिर्देश शामिल हैं। ये पहलें बैंकों की कार्य प्रचालन दक्षता को सुदृढ़ करने के लिए विशेष रूप से लक्षित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों की समाप्ति और इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण सुविधा तक पहुंच व इसके क्षेत्र के विस्तार से संबंधित हैं। वित्तीय संस्थाओं से संबंधित उपायों में सार्वभौम बैंकिंग की ओर संक्रमण से संबंधित प्रचालनात्मक और विनियामक मुद्दे, कंपनी ऋण पुनर्गठन के लिए पारदर्शी तंत्र,

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बीच समन्वय, आस्ति-देयता प्रबंधन के लिए संशोधित मार्गनिर्देश तथा निवेशों का वर्गीकरण व मूल्यांकन शामिल हैं। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में सार्वजनिक जमाशायियों पर अधिकतम ब्याज की दरें 14 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत करना प्रमुख नीतिगत पहल है।

1.74 नम्य ब्याज दर व्यवस्था की तरफ बढ़ने के अभिकल्पित उपाय इस चालू वर्ष की विशेषता रहे हैं। संविदाकारी बचतों पर प्रशासित ब्याज दरों में कमी ने ब्याज दर व्यवस्था को अधिक नम्य बनाया है। बैंक दर को कम करके 6.5 प्रतिशत (मई 1973 से सबसे कम) करने की अनुपूर्ति नकद प्रारक्षित अनुपात को कम करके 5.5 प्रतिशत करके की गई है जिसने बैंकिंग प्रणाली में नकदीकरण में और सुधार किया है। पांच प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पीएलआर दिसंबर 2000 में 12.00-12.50 प्रतिशत से मंद होकर दिसम्बर, 2001 तक 11.00-12.00 प्रतिशत हो गई। पूर्व-लदान व पश्च-लदान रुपया निर्यात ऋण पर एससीबी द्वारा प्रभारित ब्याज दरें 31 मार्च, 2002 को समाप्त छः महीनों के लिए 1.0 प्रतिशत बिंदु कम हो गई थीं। 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों पर लाभ द्वारा प्रदर्शित अल्प अवधि की ब्याज दर अप्रैल तथा दिसंबर, 2001 के बीच 125 आधार बिंदु गिरकर 7.25 प्रतिशत हो गई। लाभ वक्र के दीर्घ अंत में 10-12 वर्ष के बीच सरकारी दस्तावेज पर द्वितीयक बाजार लाभ इस अवधि के दौरान 10.05-10.41 प्रतिशत से गिरकर 8.15-8.35 प्रतिशत हो गए।

1.75 खाद्य उधार और खाद्य-भिन्न उधार को शामिल करते हुए बैंक उधार पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि में 14.3 प्रतिशत की तुलना में 11 जनवरी, 2002 तक 10.6 प्रतिशत की निम्न दर पर बढ़े हैं। खाद्य सुरक्षा और मूल्य समर्थन के दोहरे उद्देश्यों के समर्थन में अधिप्राप्त खाद्यान्नों की प्रमात्रा के साथ-साथ मूल्य में वृद्धि की प्रतिक्रिया स्वरूप हाल के वर्षों में खाद्य क्रेडिट में मजबूत अभिवृद्धि देखी गई है। खाद्य-भिन्न उधार की अभिवृद्धि में पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि के दौरान 12.1 प्रतिशत से कम होकर 11 जनवरी, 2002 तक 8.7 प्रतिशत होना आर्थिक मंदी के कारण वाणिज्यिक उधार के लिए कमजोर मांग को प्रतिबिंबित करता है जो आर्थिक क्रिया-कलापों में सार्वभौम अधोमुखी प्रतिवर्तन से और बदतर हो गई है।

1.76 अखिल-भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृतियों में पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि में 18.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में अप्रैल दिसंबर, 2001 के दौरान 32.1 प्रतिशत की गिरावट हुई है। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा संवितरण पिछले वर्ष की इसी अवधि में 16.1 प्रतिशत की वृद्धि के विपरीत 16.9 प्रतिशत गिरे हैं। महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण व्यापक अंतर-बैंक भिन्नताएं दर्शाता है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए, परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ देना बैंक और इंडियन बैंक के मामले में शून्य से लेकर कार्पोरेशन बैंक के लिए 1.55 प्रतिशत तक रहा है। छः अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए यह 0.5 प्रतिशत से अधिक था। निवल गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों का निवल अग्रिमों के प्रति अनुपात कार्पोरेशन बैंक के लिए 1.98 प्रतिशत से देना बैंक के लिए 18.37 प्रतिशत रहा। जोखिम भारित परिसम्पत्ति के प्रति ऋणात्मक अनुपात (सीआरएआर) वाले इंडियन बैंक को छोड़कर सीआरएआर देना बैंक के लिए 7.73 प्रतिशत से आंध्र बैंक के लिए 13.40 प्रतिशत रहा है। भारतीय स्टेट बैंक समूह के संबंध में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर की परिसंपत्तियों पर क्रमशः 0.18 प्रतिशत और 0.27 प्रतिशत प्रतिलाभों को छोड़कर सभी बैंकों की परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ 0.50 प्रतिशत या अधिक रहा है।

1.77 भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 करोड़ रुपए तक के बकाया अधिशेष वाली गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों की वसूली के लिए सरलीकृत, विवेकाधीन-भिन्न और गैर विभेदकारी तंत्र की व्यवस्था करने के लिए लघु क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों हेतु जुलाई 2000 में एक बारगी निपटान योजना शुरू की थी। यह योजना 30 जून, 2001 को समाप्त हो गई। संशोधित मार्गनिर्देशों के तहत, सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैंकों ने 365,000 खातों से 2600 करोड़ रुपए वसूल किए हैं।

1.78 नवंबर, 2001 की समाप्ति तक 43,390 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि वाले कुल 20.4 मिलियन किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्डों के संचित निर्गम में सहकारी बैंकों का अधिकतम हिस्सा (66.2 प्रतिशत) था, इसके बाद एससीबी (27.0 प्रतिशत) और आरआरबी (6.8 प्रतिशत) रहे हैं।

पूंजी और मुद्रा बाजार

1.79 चालू वित्तीय वर्ष से पूर्व के स्टॉक बाजार के घटनाक्रम पूंजी बाजार की सुरक्षा, पारदर्शिता और कार्यकुशलता के संवर्धन की ओर लक्षित और उपायों की आवश्यकता को सामने लाए हैं। तदनुसार मार्च, 2001 में निम्न उपाय घोषित किए गए थे :

- स्वामित्व, प्रबंधन और व्यापार सदस्यता को एक दूसरे से अलग-अलग करते हुए स्टॉक एक्सचेंजों के निगमीकरण का इरादा।
- दिनांक 2 जुलाई, 2001 तक आशोधित अप्रेशनयन योजना, स्वतः उधार देने व उधार लेने का तंत्र और प्रतिभूतियां उधार लेने व उधार देने की योजना में दो सौ “ए” श्रेणी के स्टॉकों तक चल निपटान का विस्तार।
- निवेशक संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेबी अधिनियम, 1992 में उपबंधों को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विधायी परिवर्तन तैयार करना।

1.80 इसके तदनंतर सेबी ने 2 जुलाई, 2001 से किसी स्टॉक एक्सचेंज में या बीएसई 200 सूची में एएलबीएम/बीएलईएसएस/या एमसीएफएस में शामिल सभी स्क्रिपों के लिए चल निपटान का विस्तार किया है। 31 दिसम्बर, 2001 से सभी स्टॉक एक्सचेंजों में सभी स्टॉक चल निपटान के अधीन हैं। यह भारत के पूंजी बाजार के इतिहास में सर्वाधिक दूरगामी सुधारों में से एक होगा। सूचकांकों और स्टॉकों दोनों के विकल्पों में व्यापार के लिये और स्टॉक फ्यूचर्स के लिए इक्विटी व्युत्पादों का क्षेत्र विस्तार करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण था जो अभी तक आस्थगित उत्पादों द्वारा किये जा रहे बचाव व्यवस्था कार्यों को कर सकते हैं।

1.81 केन्द्रीय बजट (वर्ष 2001-02) में ऋण बाजार के और विकास की आवश्यकता पर बल दिया गया और इस प्रयोजनार्थ मुख्य उपाय सूचित किए गए जो क्लीयरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेगोसिएटिड डीलिंग सिस्टम की संस्थापना से संबंधित हैं। अन्य संबद्ध पहलों में चुनिंदा दिनांकित केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों की नीलामी के लिए एक समान मूल्य नीलामी का विस्तार और मुक्त दर वाले सरकारी बांडों को पुनः शुरू किया जाना शामिल है। बैंक-भिन्न प्रतिभागिता को धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से समाप्त करते हुए विशुद्ध अंतर-बैंक मांग मुद्रा बाजार के और निकट जाने के लिए उपायों की भी घोषणा की गई थी।

1.82 बीमा क्षेत्र में सुधार बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधिनियमन से शुरू हो गए थे जिसने भारतीय बीमा बाजार में निजी बीमा कंपनियों के प्रवेश को सुकर बनाया। बीमा पालिसी धारकों के हितों की संरक्षा और बीमा उद्योग के विनियमन, संवर्धन और समुचित अभिवृद्धि सुनिश्चित करने के लिए 19 अप्रैल, 2000 को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था। दस जीवन बीमा कंपनियों और छः साधारण बीमा कंपनियों को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए गए हैं जिनमें से 12 कंपनियों ने व्यवसाय शुरू कर दिया है।

1.83 स्टॉक बाजारों में सुस्पष्ट मंदी की भावनाओं के कारण संवेदी सूचकांक गिरकर 12 अप्रैल, 2001 को 3184 हो गया जिसका अर्थ है मार्चांत 2000 के 5001 से 36.3 प्रतिशत की संचयी गिरावट। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एन.एस.ई) सूचकांक (एस एवं पी.सी.एन.एक्स निफ्टी) में भी इस अवधि के दौरान समान गिरावट आई। 11 सितम्बर, 2001 को संयुक्त राज्य अमरीका में आंतकवादी हमले के पश्चात प्रमुख विदेशी स्टॉक बाजारों में इक्विटी मूल्यों में गिरावट से देश में स्टॉक सूचकांकों में और गिरावट आई। 21 सितम्बर, 2001 को संवेदी सूचकांक गिरकर 2600 पर आ गया जिससे चालू वित्तीय वर्ष से पूर्व के 3604 से एक हजार बिन्दुओं से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। 11 सितम्बर के संकट के मद्देनजर सरकार तथा विनियामक प्राधिकरणों, दोनों द्वारा किए गए उपायों ने विदेश में निवेशक मनोभावों में सुधार के समर्थन से स्टॉक बाजार में महत्वपूर्ण सुधार को सुकर बनाया। संवेदी सूचकांक 800 बिन्दु सुधरकर 10 दिसम्बर, 2001 को 3443 पर बंद हुआ। किन्तु भारतीय संसद पर आंतकवादी हमले (13 दिसम्बर, 2001) के पश्चात की घटनाओं से प्रेरित होकर स्टॉक बाजार पुनः बिक्री दबाव में आ गया तथा दिसम्बर 2001 के अंत तक संवेदी सूचकांक में लगभग 180 बिन्दु की हानि हुई। नए वर्ष (2002) में स्टॉक बाजार की संभावनाएं सुधरी और सूचकांक 232 बिन्दु के लाभ के साथ 8 फरवरी, 2002 को 3494 पर बंद हुआ।

1.84 द्वितीयक बाजार में प्रतिकूल मनोभावों ने प्राथमिक बाजार से संसाधनों के संग्रहण को भी प्रभावित किया है। चालू वर्ष के पहले नौ महीनों के दौरान सार्वजनिक तथा राईट्स निर्गमों से जुटाई गई राशि (3,777 करोड़ रुपए) पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि के दौरान जुटाई गई 4240 करोड़ रुपए की सापेक्षतया संतुलित राशि का लगभग 90 प्रतिशत बैठती

है। आरंभिक सार्वजनिक पेशकशों के माध्यम से संसाधन संग्रहण (208 करोड़ रुपए) पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि में 56.7 प्रतिशत की तुलना में इस अवधि के दौरान कुल संसाधन संग्रहण का सिर्फ 5.5 प्रतिशत बनता है। संसाधन संग्रहण का निम्न स्तर विद्यमान आर्थिक मंदी और निजी नियोजन को प्राथमिकता देने के कारण है। यूटीआई का निष्पादन भी स्टॉक बाजार में अधोमुखी प्रवृत्ति के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ। अप्रैल-दिसंबर, 2001 के दौरान यूटीआई से निधियों का बहिर्वाह 5,151 करोड़ रुपए के अंतर्वाहों से अधिक था जबकि पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि के दौरान अंतर्वाह बहिर्वाहों से 480 करोड़ रुपए अधिक थे। अप्रैल-दिसंबर, 2001 के दौरान म्यूचुअल फंडों द्वारा इक्विटी की सकल खरीद 7489 करोड़ रुपए बैठती है जबकि सकल बिक्री 8,762 करोड़ रुपए की हुई थी जिसने निवल इक्विटी निवेश को नकारात्मक बना दिया।

1.85 सितंबर, 2001 को छोड़कर, चालू वर्ष के पहले दस महीनों के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों का निवल निवेश सकारात्मक था। विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवल निवेश तदनुसूची पिछली अवधि के दौरान 1379 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में अप्रैल, 2001-जनवरी, 2002 के दौरान 1295 मिलियन अमरीकी डालर थे। संयुक्त राज्य अमरीका पर हुए आतंकवादी हमले के परिणामस्वरूप अनिश्चितता और सन्नाह से बिक्री में अचानक तेजी आई जिससे बिक्री खरीद से लगभग 16 प्रतिशत से अधिक हो गई। इसके परिणामस्वरूप सितंबर, 2001 में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवल निवेश 113 मिलियन डालर गिर गए।

वैदेशिक क्षेत्र

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक माहौल

1.86 वर्ष 2001 में सार्वभौम आर्थिक मंदी में गहराई व सुदृढ़ता देखी गई जो 2000 के अंत में आरम्भ होनी शुरू हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्व आर्थिक दृष्टिकोण द्वारा किए गए अद्यतन अनुमान विश्व उत्पादन में 2000 के दौरान 4.7 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2001 के दौरान मात्र 2.4 प्रतिशत की अभिवृद्धि की तरफ इशारा करते हैं। विश्व व्यापार की मात्रा में अभिवृद्धि वर्ष 2000 में 12.4 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2001 के दौरान तीव्रता से गिरकर 1 प्रतिशत अनुमानित है। ऊर्जा मूल्यों में गिरावट के साथ वर्ष 2001 में ऊर्जा और ऊर्जा-भिन्न दोनों के मूल्यों में स्पष्ट गिरावट

अनुमानित है जिनकी वर्ष 2002 में और बदतर होने की संभावना है।

1.87 चालू वैश्विक मंदी 11 सितम्बर, 2001 को संयुक्त राज्य अमरीका पर हुए आतंकवादी हमलों के फलस्वरूप और तीव्र हो गई। हमलों की परिणति विश्व के लगभग सभी प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों के लिए और अधोमुखी वृद्धि अनुमानों के रूप में हुई। संयुक्त राज्य अमरीका की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दरें वर्ष 2001 तथा 2002 के लिए घटाकर क्रमशः 1 प्रतिशत तथा 0.7 प्रतिशत कर दी गई हैं। जापान द्वारा एक दशक में अपनी आर्थिक वृद्धि में चौथी बार मंदी का सामना किए जाने की संभावना है, जबकि यूरो क्षेत्र में आर्थिक पुररुत्थान के संकेत अल्प हैं। हाल की अवधि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापक-आधारित प्रकृति की वैश्विक मंदी के परिणामस्वरूप घटे हुए पूंजी अंतर्प्रवाहों तथा अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों की निधियों तक सीमित पहुंच के रूप में उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं की संभावना बदतर हो गई है। तथापि, विकासशील एशिया की अर्थव्यवस्थाओं में चीन तथा भारत के समग्र स.घ.उ. में विदेशी क्षेत्र के अपेक्षाकृत अल्प महत्व के कारण उनके वैश्विक मंदी से अपेक्षाकृत पृथक् रहने की उम्मीद है।

भुगतान संतुलन

चालू खाता

1.88 वर्ष 2000-01 में भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति पर्याप्त रूप से सहज रही है तथा विदेशी क्षेत्र में सुस्पष्ट सुधार हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में काफी मजबूती, अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी मूल्यों में तीव्र गिरावट तथा संयुक्त राज्य एवं यूरोप में ब्याज दरों में क्रमिक वृद्धियों के परिणामस्वरूप वर्ष के प्रथमार्ध में भुगतान संतुलन पर कुछ दबाव बढ़ा। तथापि, इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट के अंतर्गत निधि संग्रहण, जिससे विदेशी प्रारक्षित भंडारों की ह्रासमान प्रवृत्ति प्रतिवर्तित हो गई, के साथ स्थिति में सुधार हुआ। परिणामस्वरूप, वर्ष 2000-01 के उत्तरार्ध के दौरान भुगतान संतुलन की स्थिति में बदलाव आया। समग्र रूप में, वर्ष 2000-01 में चालू खाते का घाटा वर्ष 1999-2000 के स. घ.उ. के 1.1 प्रतिशत से कम होकर स.घ.उ. का लगभग 0.5 प्रतिशत हो गया। चालू खाते में सुधार मुख्यतया अधिक गतिशील निर्यात निष्पादन, दृश्य प्राप्तियों में निरंतर वृद्धि, जो सॉफ्टवेयर सेवा निर्यातों तथा निजी अंतरणों में तीव्र वृद्धि

सारणी 1.10
भुगतान संतुलन : सारांश@
(त्रैमासिक)

(मिलियन अमरीकी डालर)

	2000-2001			2001-2002		
	अप्रैल-जून	जुलाई-सित.	अक्तू-दिस.	जन.-मार्च	अप्रैल-जून	जुलाई-सित.
1. निर्यात	10,397	11,345	11,179	11,973	10,734	10,824
2. आयात	14,990	15,186	14,790	14,298	14,466	13,346
जिसमें पी.ओ.एल.	3,935	4,366	4,149	3,203	3,897	3,733
3. व्यापार संतुलन	-4,593	-3,841	-3,611	-2,325	-3,732	-2,522
4. अदृश्य खाते (निवल)	2,623	2,946	3,290	2,932	3,400	1,916
उपादान-भिन्न सेवाएं	384	461	942	691	348	176
निवेश से प्राप्त आय	-1,183	-884	-868	-886	-691	-563
निजी अन्तरण	3,362	3,307	3,121	3,008	3,704	2,231
सरकारी अनुदान	60	62	95	119	39	72
5. चालू खाता अधिशेष	-1,970	-895	-321	607	-332	-606
6. विदेशी सहायता (निवल)	-343	-34	299	505	28	199
7. वाणिज्यिक उधार (निवल)#	-411	-191	5,144	-531	-474	-229
8. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (निवल)	-26	0	0	0	0	0
9. अनिवासी जमा (निवल)	752	525	469	639	520	587
10. रुपया ऋण सेवा	-460	-1	0	-156	-388	-1
11. विदेशी निवेश (निवल)	1,383	889	220	2,097	1,390	1,218
जिसमें से :						
(i) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (निवल)	594	488	258	488	440	958
(ii) विदेशी संस्थागत निवेश	344	116	-79	1,466	632	62
(iii) यूरो इक्विटी तथा अन्य	445	285	41	143	318	198
12. अन्य प्रवाह (निवल)	28	0	-1,642	-40	718	0
13. कुल पूंजी खाता (निवल)	923	482	4,490	2,514	1,794	1,089
14. प्रारक्षित उपयोग (- बढ़ोतरी)	1,047	413	-4,169	-3,121	-1,462	-483
ज्ञापन मर्दें :-						
निर्यात की संवृद्धि — भुगतान संतुलन (%)*	27.6	17.4	9.9	16.2	3.2	-4.6
आयात की संवृद्धि — भुगतान संतुलन (%)*	21.8	16.3	5.8	-10.9	-3.5	-12.1
जिसमें, पी.ओ.एल. (%)*	94.2	79.5	64.3	-8.4	-1.0	-14.5

@ वास्तविक आंकड़े

आंकड़ों में अक्तूबर - दिसम्बर, 2000 के इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट की प्राप्ति तथा संबंधित वापसी-अदायगियां शामिल हैं।

* गत वर्ष की तदनुसूची समयावधि के निर्यात, आयात तथा पी.ओ.एल. से सम्बन्धित संवृद्धि दर।

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई

दर्शाती है एवं मंद तेल-भिन्न आयात मांग के कारण हुआ (सारणी 1.10)।

व्यापार घाटा

1.89 भुगतान संतुलन के आधार पर वर्ष 2000-01 में निर्यातों में अमरीकी डालर के रूप में 19.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि पूर्ववर्ती वर्ष की 9.5 प्रतिशत वृद्धि से काफी अधिक है। वर्ष 2000-01 के दौरान कुल आयातों में 7.0 प्रतिशत की साधारण वृद्धि हुई, जो कि वर्ष 1999-2000 में हुई 16.5 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि से काफी कम है। वर्ष 2000-01 के दौरान आयातों में सामान्य वृद्धि के लिए अनिवार्यतः तेल आयात बिल में 24.1 प्रतिशत की वृद्धि उत्तरदायी है। भुगतान संतुलन आधार पर तेल-भिन्न आयात वृद्धि मात्र 2.0 प्रतिशत पर मंद रही।

1.90 निर्यात एवं आयात प्रवृत्तियों को दर्शाते हुए भुगतान संतुलन के व्यापार खाते का घाटा वर्ष 1999-2000 के 17.84 बिलियन अमरीकी डालर (स.घ.उ. का 4.0 प्रतिशत) से कम होकर वर्ष 2000-01 में 14.37 बिलियन अमरीकी डालर अथवा सं.घ.उ. का 3.1 प्रतिशत हो गया। 11.79 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर अदृश्य अर्जनों का निवल अंतर्प्रवाह वर्ष 2000-01 के व्यापार खाते घाटे का लगभग 82 प्रतिशत था, जिससे चालू खाते में 2.58 बिलियन अमरीकी डालर का वित्त-पोषण अंतराल रह गया। चालू खाते का यह घाटा वर्ष 1999-2000 के स.घ.उ. के 1.1 प्रतिशत (4.70 बिलियन अमरीकी डालर) के घाटे की तुलना में स.घ.उ. के लगभग 0.5 प्रतिशत का द्योतक था।

पूंजी खाता

1.91 वर्ष 1998-99 में पूर्वी एशियाई संकट के कारण उत्पन्न गत्यावरोध तथा भारत पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के उपरांत वर्ष 1999-2000 में पूंजी अंतर्प्रवाहों में हुआ समुत्थान वर्ष 2000-01 के दौरान व्यापक रूप से कायम रहा है। वर्ष 2000-01 में भुगतान संतुलन खाते में निवल पूंजी अंतर्प्रवाहों (आई.एम.एफ. के अतिरिक्त) की राशि 9.02 बिलियन अमरीकी डालर थी, जो कि पूर्ववर्ती वर्ष में हुए 10.44 बिलियन अमरीकी डालर के तदनुसूची अंतर्प्रवाहों की तुलना में कम थे। निवल पूंजी अंतर्प्रवाहों में कमी मुख्यतया वाणिज्यिक उधारों की वापसी-अदायगियों के समूहन तथा बैंकिंग पूंजी के अंतर्गत काफी मात्रा में निवल बहिर्प्रवाह के कारण थी। इसके साथ ही अक्तूबर-नवम्बर, 2000 में इंडिया

मिलेनियम डिपॉजिट के अंतर्गत 5.51 बिलियन अमरीकी डालर की राशि जुटाए जाने से पूंजी अंतर्प्रवाहों में मजबूती आई। वर्ष 2000-01 में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारत में पोर्टफोलियो निवेश के लिए निधियों के नए अंतर्प्रवाह की राशि लगभग 1.85 बिलियन अमरीकी डालर थी, जो कि वर्ष 1999-2000 के 2.14 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में केवल किंचित कम थी। वर्ष 2000-01 के दौरान अनिवासी जमाओं की निवल वृद्धि 50 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 2.32 बिलियन अमरीकी डालर हो गई। 2.94 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर विदेशी सहायता का सकल संवितरण हाल के वर्षों की सामान्य प्रवृत्तियों के तुलनीय था। वर्ष 2000-01 में 3.81 बिलियन अमरीकी डालर का वाणिज्यिक शर्तों पर लिया गया सकल उधार (आई.एम.डी. के अतिरिक्त) पूर्ववर्ती वर्ष के 3.19 बिलियन अमरीकी डालर के ऐसे सामान्य उधारों की तुलना में अधिक था।

विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार

1.92 चालू खाता घाटे में तीव्र कमी तथा आई.एम.डी. योजना के अंतर्गत जुटाई गई निधियों की परिणति वर्ष 2000-01 के दौरान लगातार पांचवें वर्ष सरकारी विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार में विशाल संग्रहण के रूप में हुई। भुगतान संतुलन आधार पर भंडार में 5.83 बिलियन अमरीकी डालर की भारी वृद्धि हुई। यह वर्ष 1999-2000 की 6.14 बिलियन की वृद्धि तथा पूर्ववर्ती तीन वर्षों, अर्थात् वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान औसतन 4.51 बिलियन की वार्षिक वृद्धि से अधिक थी।

वर्ष 2001-02 के लिए भुगतान संतुलन के अनुमान

1.93 वर्ष 2001-02 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा संकलित भुगतान संतुलन के आधिकारिक आंकड़े केवल चालू वर्ष के प्रथमार्ध के लिए ही उपलब्ध हैं। चालू वर्ष के भुगतान संतुलन परिदृश्य का अनंतिम आकलन यह इंगित करता है कि यद्यपि वर्ष 2001-02 में चालू खाता घाटे में कुछ हद तक वृद्धि हो सकती है, इसके स.घ.उ. के 1 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत रहने की उम्मीद की जाती है। चालू लेखा घाटे की वृद्धि का मुख्य कारण खराब निर्यात निष्पादन है। वर्ष 2001-02 के प्रथम नौ महीनों के लिए डी.जी.सी.आई. एंड एस द्वारा रिकार्ड किए गए आंकड़ों के अनुसार पण्य निर्यात (अमरीकी डालर में) केवल 0.6 प्रतिशत की निर्यात वृद्धि के साथ में लगभग स्थिर रहा।

दूसरी ओर, सितम्बर, 2001 के पश्चात् अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में कमी के फलस्वरूप तेल आयात बिल में मंदन के कारण व्यापार खाते पर दबाव में काफी कमी आई।

1.94 ब्याज तथा लाभांश भुगतान के कारण अधिक मात्रा में बहिर्प्रवाहों के बावजूद अदृश्य मदों के निवल अंतर्प्रवाह के व्यापक रूप से पिछले वर्ष के स्तर पर रहने की उम्मीद की जाती है, जो कि सॉफ्टवेयर सेवा निर्यातों तथा निजी अंतरणों में निरंतर जारी अभिवृद्धि द्वारा समर्थित है। तथापि, चालू लेखा घाटे में वृद्धि सामान्य स्रोतों से प्रत्याशित निवल पूंजी अंतर्प्रवाह की तुलना में अधिक होगी, जिसके परिणामस्वरूप प्रारक्षित भंडार में भारी अभिवृद्धि होगी।

1.95 चालू वित्तीय वर्ष (2001-02) के दौरान अभी तक भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियां मार्च-अंत 2001 के 39.55 बिलियन अमरीकी डालर से लगभग 7.01 बिलियन अमरीकी डालर अधिक होकर जनवरी, 2002 की स्थिति के अनुसार 46.56 बिलियन अमरीकी डालर हो गईं। जनवरी, 2002 के अंत की स्थिति के अनुसार कुल विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार (स्वर्ण तथा एस.डी.आर. को शामिल कर) की राशि 49.48 बिलियन अमरीकी डालर हो गई, जो कि वर्ष 2001-02 में लगभग 10 महीने के अनुमानित आयातों के बिल को पूरा कर सकती है।

विनिमय दर उतार-चढ़ाव

1.96 अमरीकी डालर के प्रति रुपए की विनिमय दर व्यापक रूप से बाजार निर्धारित बनी रही। वर्ष 1999-2000 के दौरान विनिमय दर बाजार में पर्याप्त स्थिरता देखने में आई, रुपए का मूल्य वर्ष 1998-99 के 42.07 रुपया प्रति अमरीकी डालर के वार्षिक औसत से लगभग 2.9 प्रतिशत घटकर वर्ष 1999-2000 में 43.33 रुपए हो गया। इसके विपरीत, वर्ष 2000-01 में मध्य-मई 2000 से रुपया-डालर दर पर भारी अधोमुखी प्रभाव पड़ा। विदेशी मुद्रा बाजार भारी अनिश्चितता से प्रभावित हुए तथा अंत-अप्रैल तथा अंत-अक्टूबर 2000 के बीच रुपए का मूल्य 6.7 प्रतिशत गिरकर 43.655 रुपए प्रति अमरीकी डालर से 46.775 रुपए प्रति अमरीकी डालर हो गया। नवम्बर 2000 से स्थिति में काफी सुधार हुआ था तथा विदेशी मुद्रा बाजार अपेक्षतया स्थिर थे। समग्रतः, वर्ष 2000-01 के दौरान अमरीकी डालर की तुलना में रुपए का मूल्य 5.15 प्रतिशत कम होकर 45.68 रुपए प्रति अमरीकी डालर हो गया।

1.97 संयुक्त राज्य अमरीका में हुई 11 सितम्बर, 2001 की घटना के पश्चात् विश्व अर्थव्यवस्था को सबसे बड़े झटकों में से एक का सामना करना पड़ा। भारत में विदेशी मुद्रा बाजार भी अस्थिर हो गया तथा सितम्बर 10-20, 2001 के दौरान अमरीकी डालर के बनिस्पत रुपए के मूल्य में 1.3 प्रतिशत की कमी आई। 11 सितम्बर, 2001 के पश्चात् के प्रतिकूल विदेशी घटनाक्रमों तथा भारत के वित्तीय बाजारों पर उनके प्रतिकूल प्रभाव ने बाजारों में नकदीकरण लाने तथा समग्र सहजता प्रदान करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया को अनिवार्य कर दिया। 15-25 सितम्बर, 2001 की अवधि के दौरान घरेलू वित्तीय बाजारों को स्थिर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कई उपायों की घोषणा की। संभावित संक्रास प्रतिक्रियाओं को मंद करने तथा वित्तीय बाजारों, विशेषकर मुद्रा, विदेशी मुद्रा एवं सरकारी प्रतिभूति बाजारों में अस्थिरता कम करने पर इन उपायों का वांछित प्रभाव पड़ा। जनवरी, 2002 की अंत की स्थिति के अनुसार रुपए की विनिमय दर मार्च, 2001 के अंत की स्थिति के अनुसार 46.64 रुपए प्रति अमरीकी डालर की तुलना में 4.0 प्रतिशत कम होकर 48.58 रुपए प्रति अमरीकी डालर हो गई।

वैदेशिक क्षेत्र में सुधारात्मक उपाय

1.98 वर्ष के दौरान वैदेशिक क्षेत्र में जारी सुधार प्रक्रिया के भाग के रूप में कई उपायों की घोषणा की गई।

व्यापार

मात्रात्मक प्रतिबंधों का हटया जाना

1.99 मार्च 2001 में घोषित निर्यात-आयात नीति में 715 शेष मदों पर प्रतिबंध समाप्ति के द्वारा भुगतान संतुलन आधारों पर परिमाणात्मक प्रतिबंधों को हटाए जाने की प्रक्रिया को पूरा कर दिया गया है। इन 715 मदों में 342 वस्त्र उत्पाद हैं, 147 अल्कोहलीय पेयों सहित कृषि उत्पाद हैं तथा 226 ऑटोमोबाइल सहित अन्य विनिर्मित उत्पाद हैं। तथापि, नीति में आयातों की तुलना में घरेलू उत्पादकों को एक समान कार्य क्षेत्र प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रक्रमों की व्यवस्था की गई है। इन प्रक्रमों में राज्य व्यापार श्रेणी के अंतर्गत कतिपय उत्पादों के आयातों का अंतरण किया जाना, आयातों को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा पर्यावरण संबंधी विभिन्न विद्यमान घरेलू विनियमों के अधीन किया जाना, तथा पादप एवं जंतु मूल के प्राथमिक उत्पादों के आयात हेतु जैव सुरक्षा एवं स्वास्थ्य तथा पादप स्वास्थ्य परमिट की आवश्यकता

शामिल है। नीति में 300 संवेदनशील आयातों का नियमित आधार पर अनुवीक्षण करने के लिए अनुवीक्षण तंत्र की स्थापना भी की गई है

दोहा सम्मेलन

1.100 विश्व व्यापार संगठन की भावी कार्य योजना का विनिश्चय करने के लिए 9 से 14 नवम्बर, 2001 के बीच दोहा, कतर में चौथे विश्व व्यापार संगठन मंत्रिमंडलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। यद्यपि निवेश संबंधी बहुपक्षीय व्यवस्था, प्रतिस्पर्धा नीति, व्यापार सरलीकरण, सरकारी अधिप्रापण तथा पर्यावरण मुद्दों सहित वार्ताओं का व्यापक दौर शुरू करने हेतु भारी दबाव था, भारत कार्य सूची में बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली पर व्यापार-भिन्न अथवा नए मुद्दों के किसी ऐसे अतिभार को लादने के विरुद्ध था। इसका विचार था कि विश्व व्यापार संगठन के पास अधिदेशित वार्ताओं एवं अधिदेशित समीक्षाओं सहित पर्याप्त विस्तृत कार्यसूची थी और इसलिए भारत ने वार्ताओं के लिए नए मुद्दों पर विचार करने से पूर्व वर्तमान करारों से उत्पन्न क्रियान्वयन मुद्दों का समयबद्ध आधार पर समाधान किए जाने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

1.101 दोहा में आयोजित चौथे मंत्रिमंडलीय सम्मेलन के विचार-विमर्श में भारत ने सक्रिय भूमिका निभायी। यह क्रियान्वयन संबंधित मुद्दों के वास्तविक समाधान, कृषि में वर्धमान बाजार पहुंच, जन स्वास्थ्य नीतियों के लिए ट्रिप्स के अंतर्गत पर्याप्त सुनम्यता एवं स्पष्टता के पक्ष में था तथा कार्यसूची में श्रम जैसे व्यापार-भिन्न मुद्दों को शामिल किए जाने के सख्त विरुद्ध था। यह ऐसी कार्यसूची को अपनाए जाने को सुनिश्चित करने में समर्थ रहा जिसमें न सिर्फ व्यापार पर, बल्कि विकासशील देशों के विकासात्मक लक्ष्यों एवं प्राथमिकताओं पर भी जोर दिया गया है। सम्मेलन के निष्कर्ष में भारत द्वारा व्यक्त की गई अनेक चिंताओं को ध्यान में रखा गया है। दोहा घोषणा-पत्र द्वारा भावी व्यापार वार्ताओं के लिए कार्यसूची निर्धारित किए जाने के साथ ही केन्द्र बिंदु अब विश्व व्यापार संगठन में कार्य योजना की ओर बदलेगा। अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर भारत यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य योजना में उनके हितों एवं चिंताओं पर यथेष्ट ध्यान दिया जाए।

प्रशुल्क तथा निर्यात-आयात नीति

1.102 सीमाशुल्कों पर 10 प्रतिशत के विद्यमान अधिभार को वापस ले लिया गया, इस प्रकार सीमाशुल्कों का शीर्ष

स्तर नीचे होकर 35 प्रतिशत हो गया। निर्यातकों को आयकर अधिनियम की धारा 80-जजग के अंतर्गत वापस लिए गए कर लाभों की आंशिक बहाली की अनुमति दी गई। 10 वर्ष के करावकाश के रूप में आधारभूत ढांचा क्षेत्र को उपलब्ध रिआयत विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के विकासकर्ताओं को दी गई। कृषि-आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की घोषणा के द्वारा कृषीय निर्यातों पर विशिष्ट बल दिया गया। निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए बाजार पहुंच उपाय (मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव) योजना की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत सरकार चुनिंदा देशों में अनुसंधान एवं विकास, बाजार अनुसंधान, विशिष्ट बाजार एवं उत्पाद अध्ययनों, भांडागारण एवं खुदरा विपणन अवसंरचना तथा मीडिया विज्ञापन एवं क्रेता-विक्रेता बैठकों के जरिए प्रत्यक्ष बाजार संवर्धन गतिविधियों में उद्योगों की सहायता करेगी। निर्यात ऋण पर ब्याज दरों को पी.एल. आर. सम्बद्ध उच्चतम दरों (विशिष्ट दरों की तुलना में) के रूप में निर्दिष्ट कर युक्तियुक्त बनाया गया है। निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए शुल्क ड्राबैक दरों में उर्ध्वमुखी संशोधन किया गया तथा अनेक निर्यात उत्पादों के लिए डीईपीबी के अंतर्गत मूल्य की उच्चतम सीमाओं को समाप्त किया गया। चुनिंदा उत्पादों के अधिक मूल्य वाले निर्यातों (100 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक निर्यात) के लिए एक विशेष वित्तीय पैकेज की घोषणा की गई। इन अल्पावधिक उपायों के अतिरिक्त सरकार ने अगले पांच वर्षों में निर्यातों में काफी वृद्धि हासिल करने के लिए एक मध्यावधिक निर्यात कार्यनीति की भी घोषणा की।

पूँजी खाता

1.103 जैसा कि बॉक्स 1.1 में दर्शाया गया है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश व्यवस्था के और उदारीकरण के लिए अनेक उपाय किए गए। रक्षा उद्योग को लाइसेंसिंग की शर्त के अंतर्गत 26 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई है। 22 उपभोक्ता मदों के लिए लाभांश तुलन शर्त वापस ले ली गई, साथ ही विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश संबंधी उच्चतम सीमा भी वापस ले ली गई। ए.डी.बी., आई. एफ.सी., सी.डी.सी. आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी सेबी/भारतीय रिजर्व बैंक दिशानिर्देशों तथा क्षेत्रक विशिष्ट उच्चतम सीमाओं के अधीन स्वतः अनुमोदन मार्ग के जरिए घरेलू कंपनियों में निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई।

1.104 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन.बी.एफ.सी.) को धारक कम्पनियों में 100 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी

धारण करने की अनुमति दी गई है। विदेशी निवेशकों को भारतीय इकाइयों में न्यूनतम 25 प्रतिशत इक्विटी के विनिवेश की शर्त के बिना 100 प्रतिशत प्रचालनात्मक सहायक कंपनियों (सहायक कंपनियों की संख्या पर बिना किसी प्रतिबंध के) की स्थापना की अनुमति प्रदान की गई है, जो कि विशिष्ट निवेश दायित्वों की शर्त के अधीन है। 75 प्रतिशत अथवा 75 प्रतिशत से न्यून विदेशी निवेश वाली संयुक्त उद्यम गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी अन्य एन.बी.एफ.सी. क्रियाकलापों के लिए अनुषंगी कंपनियां स्थापित करने की अनुमति दी गई है। स्वतः अनुमोदन मार्ग को सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए भी उपलब्ध कर दिया गया है, बावजूद इसके कि आवेदक कंपनी के पास इसी क्षेत्र में पूर्व संयुक्त उद्यम अथवा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करार है। विदेशी उद्यम पूंजी निधियों/कंपनियों को स्वतः अनुमोदन मार्ग के जरिए घरेलू उद्यम पूंजी उपक्रमों के साथ ही अन्य कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी सेवा विनियमों तथा क्षेत्र विशिष्ट उच्चतम सीमाओं के अंतर्गत निवेश करने की अनुमति दी गई है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के बिना विदेशी भागीदार के ट्रेडमार्क तथा ब्रांड नाम का उपयोग करने पर स्वतः अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत निर्यातों पर 2 प्रतिशत तथा घरेलू बिक्री पर 1 प्रतिशत रायल्टी का भुगतान करने की अनुमति प्रदान की गई है।

विदेशी ऋण

1.105 विदेशी ऋण-स.घ.उ. अनुपात में विगत वर्षों में निरंतर ह्रास हुआ है। यह अनुपात मार्च अंत, 1992 के 38.7 प्रतिशत से सुधर कर मार्च-अंत 2001 में 22.3 प्रतिशत तथा सितम्बर 2001 के अंत में और सुधर कर 21 प्रतिशत हो गया। विदेशी ऋण का निरपेक्ष स्तर मार्च-अंत, 2001 के 99.61 बिलियन अमरीकी डालर से मामूली रूप से बढ़कर सितम्बर-अंत, 2001 में 100.38 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। कुल ऋण में अल्पावधिक ऋण का हिस्सा मार्च-अंत, 1991 के 10.2 प्रतिशत से गिरकर सितम्बर-अंत, 2001 में 2.8 प्रतिशत हो गया। ऋण शोधन अनुपात वर्ष 1990-91 में चालू प्राप्तिओं के 35.3 प्रतिशत के शीर्ष स्तर से गिरकर वर्ष 2000-01 में 16.3 प्रतिशत हो गया। यह सुधार सरकार द्वारा शुरू की गई विवेकपूर्ण विदेशी ऋण प्रबंध कार्यनीति के संयुक्त एवं अनवरत प्रयासों का परिणाम है। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक ने पहली बार भारत को “अल्प-ऋणग्रस्त” देश के रूप में वर्गीकृत किया है।

1.106 भारत अब आर्थिक सुधारों के एक दशक से अधिक की अवधि से गुजर चुका है। 1991 में प्रारंभ हुए सुधारों का जोर राजकोषीय स्थिरीकरण तथा प्रमुख संरचनात्मक सुधारों की शुरूआत पर था, जिसका लक्ष्य अर्थव्यवस्था का विनियमन कर त्वरित निवेश, वृद्धि, रोजगार को प्रेरित करना और इस प्रकार निर्धनता में कमी लाना था। इन मूल उद्देश्यों में से अधिकांश को हासिल कर लिया गया है। वर्ष 1991-92 में सुधारों के आरम्भिक वर्ष के पश्चात् 1990 के दशक में स.घ.उ. की वृद्धि 1980 के दशक में प्राप्त की गई स.घ.उ. की वृद्धि से अधिक थी। विदेशी क्षेत्र को सुविधाजनक भुगतान संतुलन, जिसे कायम रखा जा सकता है, के साथ संतुलित कर लिया गया है; विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियां वर्ष 1991 के 1 बिलियन अमरीकी डालर से कम के स्तर से बढ़कर आज लगभग 45 बिलियन अमरीकी डालर हो गई हैं; तथा ऋण शोधन को काफी सुविधाजनक स्तर पर ले आया गया है, जिससे भारत को अब अंतर्राष्ट्रीय रूप से “अल्प-ऋणग्रस्त” देश माना जाता है। औसत मुद्रास्फीति वर्ष 1990-91 के 10.6 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 1990-91 से 1995-96 के विगत 5 वर्षों में 5 प्रतिशत हो गई है। वैकल्पिक अनुमानों के अनुसार गरीबी वर्ष 1993-94 के 36 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 1999-2000 में 23 से 26 प्रतिशत हो गई है; तथा साक्षरता वर्ष 1991 के 52 प्रतिशत से उल्लेखनीय रूप से बढ़कर वर्ष 2001 में 65 प्रतिशत हो गई है। तथापि, इन सभी उपलब्धियों के बावजूद आगामी वर्षों में उच्च आर्थिक वृद्धि की अनवरतता से संबंधित अनेक प्रमुख चुनौतियां हैं।

1.107 सुधार प्रक्रिया की आरम्भिक अवधि के दौरान स.घ.उ. वृद्धि में आरम्भिक आधिक्य के पश्चात् परवर्ती वर्षों के दौरान अचूक मंदी रही है। वर्ष 1993-94 से 1996-97 के दौरान औद्योगिक मूल्य संवर्धन में वृद्धि का औसत 8.5 प्रतिशत वार्षिक था। यह वर्ष 1997-98 से 2000-01 के पिछले चार वर्षों में गिरकर 4.8 प्रतिशत वार्षिक रह गया है। इसी प्रकार, कृषि तथा सहयोगी क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन की वृद्धि का औसत वर्ष 1993-94 से वर्ष 1996-97 की अवधि में 4.5 प्रतिशत वार्षिक था, जबकि विगत चार वर्षों की वार्षिक वृद्धि का औसत मात्र 1.2 प्रतिशत है। कृषि में मंदी कम से कम अंशतः बाद की अवधि के दौरान मानसून के अनियमित तथा विषम वितरण के कारण हुई है। आधारभूत

ढाँचे, विशेषकर विद्युत क्षेत्र की वृद्धि भी मंद रही है। अतः आज अर्थव्यवस्था के समक्ष मुख्य समस्या वर्तमान दशक में आर्थिक वृद्धि को पुनर्जीवित करना है। 1990 के दशक में हासिल संवेग में रुकावट नहीं आनी चाहिए। प्रतिस्पर्धी बलों को उन्मुक्त करने तथा वृद्धि को उद्दीप्त करने के लिए इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में नीतिसंबंधी पहलों तथा सुधारों को गहन किए जाने की आवश्यकता है।

1.108 आर्थिक वृद्धि की मंदी उच्च राजकोषीय घाटों की असाध्यता से और भी तीव्र हो गई है। व्यय में कटौती तथा राजस्व में वृद्धि के लिए किए गए प्रयासों के बावजूद राजकोषीय घाटे को स.घ.उ. के 5 प्रतिशत से नीचे लाना कठिन सिद्ध हुआ है। इतने अधिक घाटे का अर्थव्यवस्था पर हानिकर प्रभाव राज्य सरकारों द्वारा दर्ज किए गए घाटों के समान स्तरों के कारण बढ़ता हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप केन्द्र तथा राज्य सरकारों का कुल राजकोषीय घाटा स.घ.उ. का लगभग 10 प्रतिशत हो गया है, जो कि 1990 के दशक के शुरुआत में विद्यमान स्थिति से भिन्न स्थिति नहीं है। राजकोषीय घाटों के ऐसे उच्च स्तरों का स्थायित्व तथा निरंतर वर्धमान ऋण शोधन भुगतान आवश्यक लोक सेवाओं की व्यवस्था के लिए उत्पादक निवेश हेतु आवश्यक व्यय करने की किसी भी स्तर पर सरकार की क्षमता को बाधित करते हैं तथा अधिक कुशल निजी क्षेत्र को भी हतोत्साहित कर देते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा लिए गए बाजार उधार के दबाव ने अर्थव्यवस्था में अन्य सभी आर्थिक घटकों की लागत पर वास्तविक ब्याज दरों में वृद्धि की है। राजकोषीय घाटे में महत्वपूर्ण एवं स्थिर कमी के बगैर उच्च आर्थिक वृद्धि की बहाली मुश्किल होगी।

1.109 भारत के वित्तीय क्षेत्र तथा पूंजी बाजार ने पिछले कुछ दशकों में अर्थव्यवस्था की अच्छी सेवा की है। यद्यपि 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से देश में बैंकिंग के विस्तार में काफी मदद मिली है, तथापि, इसने इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बलों को भी कुचला है। इसी प्रकार, बीमा के राष्ट्रीयकरण के समय से ही लोगों को सुरक्षित बीमा उत्पाद उपलब्ध हैं, लेकिन क्षेत्र के विस्तार की गति मंद हुई। इन व्यवस्थाओं ने 1970 के दशक तथा 1980 के दशक की नियंत्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अच्छी तरह से कार्य किया। 1990 के दशक के वित्तीय क्षेत्र सुधारों, ब्याज दरों के विनियंत्रण तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के विवेकपूर्ण नियमन को कड़ा करने से बैंकिंग उद्योग में कुशलता, पारदर्शिता तथा प्रतिस्पर्धा प्रदान करने में काफी योगदान किया है। निजी क्षेत्र के नए बैंकों तथा बीमा कंपनियों की शुरुआत ने वित्तीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा

तथा नवीन गतिशीलता डाल दी है। वित्तीय क्षेत्र के सुधारों को और आगे बढ़ाने का अभी उपयुक्त समय है, ताकि वास्तविक अर्थव्यवस्था एक ऐसे आधुनिकीकृत वित्तीय क्षेत्र से लाभान्वित हो सके जो उच्च उत्पादकता स्तर, वित्तीय क्षेत्र की अधिक विविधता दर्शाता है तथा अर्थव्यवस्था की उभरती आवश्यकताओं तथा निवेश एवं उत्पादन के लिए वास्तविक क्षेत्र की अधिक कुशलतापूर्वक सेवा करने वाली लिखतों में अधिक विविधता का प्रावधान करता है।

1.110 1990 के दशक की मूल निराशा अपर्याप्त रोजगार सृजन रही है। 1990 के दशक में रोजगार वृद्धि पूर्ववर्ती दशक की रोजगार वृद्धि की तुलना में काफी कम हो गई है। तथापि, इसके साथ ही श्रमबल की वृद्धि में तदनुसूची कमी हुई है। यह विगत वर्षों में नए श्रम बल प्रवेशकर्ताओं की विद्यालय शिक्षा के औसत वर्षों में वृद्धि का परिणाम है। समग्रतः सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार के नियंत्रण के साथ ही संगठित सार्वजनिक क्षेत्र रोजगार में वृद्धि प्रत्याशित रूप से कम रही है। निजी क्षेत्र की उच्च वृद्धि के फलस्वरूप संगठित निजी क्षेत्र रोजगार वृद्धि भी बढ़ी है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की मंदी की क्षतिपूर्ति के लिए इसकी मात्रा पर्याप्त नहीं रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन कृषि रोजगार में निरपेक्ष कमी द्वारा इंगित होता है, जो कि पहली बार हुई है। तथापि, कृषि भिन्न रोजगार वृद्धि ने कृषि में वृद्धि की कमी को पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति नहीं किया है।

1.111 कृषीय वृद्धि में हाल की मंदी के परिणामस्वरूप एक नई नीति पर संकेन्द्रण हुआ है, जिसमें लाइसेंसिंग, स्टॉक सीमा तथा संवहन प्रतिबंधों को समाप्त किए जाने जैसे विभिन्न सुधारों के जरिए कृषि विविधीकरण पर अधिक जोर दिया गया है। यह कृषि उत्पादों में मूल्य संवर्धन को नया संवेग देगा तथा कृषि कामगारों के लिए अतिरिक्त मांग सृजित करेगा। अतः जोर दिए जाने हेतु एक प्रमुख मुद्दा उच्च वृद्धि पथ की उपलब्धि है, जो कि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारोन्मुखी होगी।

वृद्धि के लिए नीति संबंधी सुधार

राजकोषीय मुद्दे

राजस्व अभिवृद्धि

1.112 आर्थिक समीक्षा में कई वर्षों से राजकोषीय स्थिरीकरण तथा सुधारों के मुद्दे पर बल दिया गया है। यह देश के आर्थिक

प्रबंध के समक्ष सर्वाधिक कठिन समस्या बनी हुई है। इस समस्या को स्वीकार करते हुए सरकार ने दिसम्बर 2000 में संसद में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध विधेयक पेश किया। विधेयक में सरकार को अपने राजकोषीय तथा राजस्व घाटों को घटाकर अगले 5 वर्षों की अवधि में विनिर्धारित वहनीय स्तरों पर लाने का अधिदेश दिया गया है।

1.113 वर्ष 2000-01 में केन्द्र तथा राज्य सरकारों का संयुक्त राजकोषीय घाटा स.घ.उ. का 9.6 प्रतिशत हो गया है, फलतः आम सरकार का संयुक्त लोक ऋण वर्ष 2001 में स.घ.उ. का 85 प्रतिशत हो गया है। विगत 10 वर्षों में भारतीय कर प्रणाली के सुधार में इसके सभी पहलुओं में काफी प्रगति हुई है, लेकिन पूरी अवधि के दौरान कर राजस्व प्राप्तियां स.घ.उ. के 10 प्रतिशत से नीचे रहीं।

1.114 जारी शुल्क सुधार, जिसका उद्देश्य सीमा शुल्कों को आसियान स्तरों के अनुरूप लाना है, के परिणामस्वरूप सीमाशुल्क संग्रहणों में उम्मीद के अनुसार ही काफी कमी आयी है। मॉडवेट/सेनवैट व्यवस्था का विस्तार अधिक से अधिक क्षेत्रों में किए जाने के साथ ही विगत पांच वर्षों में औद्योगिक वृद्धि में मंदी के कारण उत्पाद शुल्क प्राप्तियां में भी वृद्धि नहीं हुई है। औद्योगिक वृद्धि में समुत्थान से उत्पाद शुल्क प्राप्तियां में कुछ वृद्धि होगी। उत्पाद शुल्क में वृद्धि का अन्य स्रोत अभी तक जारी छूटों की समाप्ति तथा लघु पैमाने के उद्योगों की दी गई छूटों से सृजित कमियों को नियंत्रित करना हो सकता है। अतः अप्रत्यक्ष करों से कर/स. घ.उ. अनुपात में वृद्धि की संभावना सीमित है। देश में अप्रत्यक्ष कर अत्यधिक रूप से औद्योगिक क्षेत्र पर निर्भर हैं। चूंकि औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि मंद हो गई है, अतः अप्रत्यक्ष करों का संग्रहण भी मंद हो गया है। अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के परिणामस्वरूप तृतीयक क्षेत्र की अधिक वृद्धि से सेवा कर के जरिए इस क्षेत्र को अप्रत्यक्ष करों को विस्तार का महत्व काफी अधिक हो जाता है। राज्य स्तरीय मूल्य वर्धित कर (वैट) अब अप्रैल 2003 में लागू किया जाना है। तब सभी तृतीयक क्षेत्र क्रियाकलापों पर सेवाकर के विस्तार का काफी आवश्यक नीतिगत सुधार किया जा सकता है। तब एक अंतः सम्बद्ध पूर्ण वैट प्रणाली के बारे में विचार किया जा सकता है। स.घ.उ. में तृतीयक क्षेत्र के बढ़ते हुए भाग के साथ ही कर/स.घ.उ. अनुपात में सुधार करने के लिए इसका प्रभावी करारोपण आवश्यक हो गया है।

1.115 दशक के दौरान प्रत्यक्ष कर वर्ष 1990-91 में स.घ.उ. के लगभग 1.9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2000-01 में स.घ.उ. के लगभग 3.3 प्रतिशत हो गये। फलतः इसी अवधि में सकल कर राजस्व में इनका हिस्सा 19 प्रतिशत से बढ़कर 36 प्रतिशत हो गया। कर/स.घ.उ. अनुपात में सुधार की मुख्य संभावना प्रत्यक्ष करों, विशेषकर वैयक्तिक आयकर के क्षेत्र में बनी हुई है। देश में आय वितरण पर उपलब्ध आंकड़ों की जांच से यह पता चलता है कि आयकर दरों में हुई भारी कमी के बावजूद वेतन प्राप्तकर्ता-भिन्न आयकर दाताओं के बीच अनुपालन का स्तर काफी निम्न है। अतः महत्वपूर्ण कर नीति तथा अभिशासन मुद्दा वैयक्तिक आयकर क्षेत्र में अधिक अनुपालन के प्रवर्तन से जुड़ा हुआ है। छः में से एक योजना की शुरूआत ने कर योग्य आमदनी वाले अधिकाधिक लोगों को कर जाल में लाने में काफी योगदान किया है। लेकिन उच्च आयकर दाताओं द्वारा सुधरे हुए अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बेहतर प्रणाली की आवश्यकता है। देश के राजकोषीय स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार की सम्भावना महत्वपूर्ण रूप से प्रत्यक्ष करों के संग्रहण में काफी अधिक वृद्धि पर निर्भर करती है।

1.116 कर सुधारों के आवश्यक घटकों को लागू किए जाने से वर्धमान कर राजस्वों की संभावना मुख्यतः देश में प्रभावी कर संग्रहण विधियों की स्थापना में निहित है। कर प्रशासन को पूर्णतया आधुनिक बनाए जाने की आवश्यकता है, जो जांच, जब्ती तथा इस तरह के अन्य परम्परागत पुलिस उपायों की अपेक्षा अनुपालन लागू करने के लिए उन्नत व्यवस्था पर अधिक निर्भर हो। सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग, डाटा भांडागारण, डाटा खनन तथा विश्लेषण, आर्थिक अनुसंधान के विश्लेषण तथा उपयोग पर अधिक बल दिए जाने से यह व्यवहार्य हो जाएगा। विशिष्ट कर पहचान संख्याओं की शुरूआत से विभिन्न करों के बीच बेहतर समन्वय से भी प्रवर्तन में सहायता मिलेगी।

व्यय प्रबंध

1.117 व्यय प्रबंध पर दिए गए लगातार ध्यान के परिणाम स्वरूप पिछले दशक में केन्द्र सरकार का कुल व्यय स.घ. उ. के 14 से 15.8 प्रतिशत के दायरे में रहा है। आम सरकारी व्ययों को वास्तव में नियंत्रित कर लिया गया है, तथापि, व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के माध्यम से व्यय में और कमी करना संभव है। व्यय के बढ़ रहे मुख्य संघटक हैं, ब्याज अदायगियां, राजसहायताएं, तथा पेंशन

(पांचवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन के पश्चात्)। मुद्रास्फीति में कमी, जो सांकेतिक ब्याज दरों में क्षतिपूरक कमी के बिना है, ने भी सरकार को शेष अर्थव्यवस्था के साथ ही उच्च वास्तविक ब्याज दरों के अधीन ला दिया है। पिछले बजट में प्रशासित ब्याज दरों में 1.5 प्रतिशत की कटौती से कुछ असंतुलनों का समाधान हुआ है। तथापि, हमारे साथ उच्च प्रशासित वास्तविक ब्याज दरों की समस्या बरकरार है। अतः सरकार के ब्याज भुगतानों को नियंत्रित करने के साथ ही अर्थव्यवस्था के लिए ब्याज दरों को कम करने हेतु भी बाज़ार सम्बद्ध ब्याज दरों के अंतर्गत संविदात्मक बचतें करना अनिवार्य है।

1.118 केन्द्र सरकार के व्यय ढांचे में राजसहायताएं एक अनवरत समस्या बनी हुई हैं। वर्ष 1991 में निर्यात राजसहायताओं को खत्म किए जाने के उपरांत अन्य प्रचलित राजसहायताओं को समाप्त नहीं किया गया है। गरीब परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्य राजसहायता को बनाए रखना हमेशा आवश्यक होगा। तथापि, यह युक्तिसंगत है कि गरीबी की गिरती हुई दरों के साथ ही न्यायसंगत खाद्य राजसहायता की मात्रा में निरंतर कमी आनी चाहिए। देश में खाद्य प्रबंध तथा मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कारण यह संभव नहीं हो सका है। गेहूँ तथा चावल के लिए प्रयुक्त उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एम.एस.पी.) की निरंतरता तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा लगभग एकाधिकारपूर्ण अधिप्रापण के परिणामस्वरूप ऐसी अवहनीय स्थिति हो गई है जिसमें भारतीय खाद्य निगम के खाद्य स्टॉक का स्तर इतना अधिक हो गया है, जिसके उपयोग की संभावना कम है। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए निम्न मूल्यों के विस्तार के बावजूद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्य की बिक्री में वृद्धि नहीं हुई है। अतः, मौजूदा खाद्यान्न प्रबंध प्रणाली का सुधार ऐसी दिशा में किया जाना आवश्यक है जिसमें एक ओर तो गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा तथा वहनीय मूल्य पर खाद्यान्नों की उपलब्धता तथा दूसरी ओर, निजी व्यापार को अधिक कुशलता तथा अधिक निवेश सुनिश्चित किया जा सके। इन आवश्यकताओं से अधिक मात्रा में सरकारी खाद्य स्टॉक कायम रखने से कोई प्रयोजन पूरा नहीं होगा। खाद्य राजसहायता पर व्यय आवश्यक आधारभूत ढांचे एवं सामाजिक आवश्यकताओं पर अधिक प्रभावी व्यय को कारगर रूप से समाप्त कर रहा है। सहवर्ती रूप से, खाद्य भंडारों के लिए सरकार की गारंटी प्राप्त क्रेडिट अन्य बैंक उधारों को भी बाहर कर देता है। अतः, सम्पूर्ण खाद्य

अर्थव्यवस्था तथा विपणन प्रणालियों को प्रभावित किए बिना गरीबों को खाद्य राजसहायता प्रदान करने हेतु अधिक नवीन उपायों की खोज करने का समय है। खाद्य स्टाम्प अथवा इनके परिवर्तियों जैसी सरल व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है।

1.119 उर्वरक राजसहायता काफी समय से चिंता का विषय रही है तथा विभिन्न उच्च स्तरीय समितियों ने संभावित कार्रवाइयों की अनुशंसा की है। वर्ष 2001-02 के बजट भाषण में यथा घोषित उर्वरक मूल्य संशोधनों सहित उर्वरक की प्रतिधारण मूल्य प्रणाली के सुधार संबंधी व्यय सुधार आयोग की रिपोर्ट के क्रियान्वयन से अगले पांच वर्षों में उर्वरक राजसहायता में क्रमिक कमी करने में मदद मिलेगी। उर्वरकों की मौजूदा प्रतिधारण मूल्य प्रणाली निवेश उत्पादकता में सुधार अथवा उर्वरक संयंत्रों में ऊर्जा कुशलता के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं देती है। उर्वरक राजसहायता का एक महत्वपूर्ण भाग वास्तव में कृषकों की बजाय अकुशल उच्च लागत उत्पादन पर व्यय हो जाता है। उर्वरक मूल्य सुधार का त्वरित क्रियान्वयन उर्वरक राजसहायता को वहनीय स्तरों तक नीचे लाने के साथ ही राजसहायता को बेहतर लक्ष्य अभिमुख तथा अधिक पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक है।

1.120 राजकोषीय घाटे की अनम्यता का अन्य महत्वपूर्ण कारण केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर अधिकांश लोक सेवाओं के लिए अपर्याप्त प्रयोक्ता प्रभार लिए जाने का राजकोष पर अप्रत्यक्ष प्रभाव है। राज्य स्तर पर विद्युत, सड़क परिवहन, सिंचाई जैसे क्षेत्रों में अलाभकर तथा निम्न प्रयोक्ता प्रभार राज्य बजटों को क्षति पहुंचाते हैं। ये केन्द्र सरकार की जनोपयोगी सेवाओं को भुगतान नहीं किए जाने अथवा अपर्याप्त भुगतान के माध्यम से केन्द्रीय बजट पर भी प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार केन्द्रीय सेवाओं, यथा रेलवे में असंतुलित शुल्कों के फलस्वरूप वित्तीय हानियां होती हैं, जिनकी क्षतिपूर्ति तब केन्द्रीय बजट द्वारा करनी पड़ती है। रेलवे की बदतर हो रही वित्तीय स्थिति के कारण वे केन्द्र सरकार को विगत दो वर्षों में यथेष्ट लाभांश भुगतान नहीं कर सके हैं। प्रभावी रूप से अधिक बजटीय आवंटन करना पड़ता है, अन्यथा मामला दूसरा होता। ऐसी अधिकांश राजसहायताएं अपर्याप्त रूप से निदेशित हैं तथा इनका लाभ अनिवार्यतया गरीबों को नहीं मिलता है। राजकोषीय स्वास्थ्य की बहाली के लिए अधिकांश सेवाओं पर उपयुक्त प्रयोक्ता प्रभार लगाना आवश्यक है। चूंकि ऐसी सेवाओं पर आर्थिक प्रयोक्ता प्रभार लगाए जाते

हैं, अतः समुचित प्रबंध सुधार के माध्यम से प्रचालनात्मक कुशलता सुनिश्चित करनी होगी ताकि मूल्यों को वहनीय स्तर पर रखा जा सके।

1.121 उच्च राजकोषीय घाटा अक्सर केवल शैक्षणिक रुचि का विषय माना जाता है। यह तर्क भी दिया जाता है कि उच्च राजस्व घाटे चिंता के कारण हैं, न कि राजकोषीय घाटे। यह सत्य हो सकता है, बशर्ते राजस्व-भिन्न राजकोषीय घाटे के परिणामस्वरूप निवेश हो, जो उधार की लागत के आनुपातिक पर्याप्त लाभ प्रदान करें। अभी तक स्थिति ऐसी नहीं रही है, जिसके परिणामस्वरूप आज का राजकोषीय घाटा कल के राजस्व घाटे में बदल जाता है। अतः राजस्व तथा राजकोषीय घाटे दोनों को नियंत्रित करने पर समान रूप से ध्यान देना होगा। सार्वजनिक निवेश के लिए सार्वजनिक उधार वास्तव में युक्तिसंगत है तथा यह लिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निवेश प्रभावी रूप से किया जाए ताकि सरकार को पर्याप्त लाभ हो। ऐसा लोक सेवाओं पर उपयुक्त प्रयोक्ता शुल्क अधिरोपित कर के किया जा सकता है।

1.122 सारांशतः, राजकोषीय घाटे की समस्या का समाधान राजस्व पक्ष तथा व्यय पक्ष दोनों में किया जाना है। व्यय में कमी पर अत्यधिक ध्यान केन्द्रित किए जाने की लोकप्रिय प्रवृत्ति रही है, लेकिन सरकारी व्यय के ढांचे की अनम्यता के कारण यह कठिन सिद्ध हुआ है। अभी राजस्व अभिवृद्धि प्रत्यक्ष करों का अनुपालन प्रवर्तित करने तथा सेवाकर का विस्तार करने में अधिक निहित है।

कृषि

1.123 अर्थव्यवस्था में कृषि की वर्तमान स्थिति प्राचुर्य के मध्य निम्न वृद्धि का विषम चित्र प्रस्तुत करती है। खाद्यान्न उत्पादन तथा उत्पादकता की वृद्धि में मंदी के बावजूद 60 मिलियन टन का खाद्यान्न स्टॉक अभूतपूर्व तथा अवहनीय स्तरों पर है। 1980 तथा 1990 के दशकों के दौरान कृषि में पूंजी निर्माण की गति मंद होती रही है तथा सार्वजनिक निवेश में एक खास अधोमुखी प्रवृत्ति देखने में आई है। कृषि में लोक व्यय ने राज सहायताओं की बढ़ती मात्रा तथा विभिन्न निर्धनता निवारण योजनाओं के जरिए अंतरण भुगतानों में निवेश का उपभोग व्यय प्रतिस्थापन प्रदर्शित किया है।

1.124 1960 के दशक के बाद के वर्षों के खाद्य संकट के प्रति अनुक्रिया अनुसंधान एवं विस्तार सेवाओं, उन्नत बीजों, उर्वरक तथा सिंचाई जैसी निविष्टियों एवं एम.एस.पी

आधारित सार्वजनिक अधिप्रापण के जरिए आश्वासित खरीद वाले पैकेज के प्रावधान के माध्यम से चावल तथा गेहूं में हरित क्रांति को प्रोत्साहित करना था। इसे विगत 30 वर्षों में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया। तथापि, खाद्यान्नों के वर्धमान स्टॉक ने कृषि विकास के लिए इस कार्यनीति को असंगत कर दिया है। 7 प्रतिशत से अधिक की उच्च स.घ.उ. वृद्धि दर की प्राप्ति तब तक कठिन है, जब तक कि कृषीय वृद्धि में साथ-साथ तेजी न आए। यह स्पष्ट हो गया है कि इसके लिए पिछले 30 वर्षों की नीति में, जिसमें मुख्यतया अर्थव्यवस्था को आवश्यक खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केन्द्रित किया गया था, प्रतिमानात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है।

1.125 राष्ट्रीय प्रतिमान सर्वेक्षणों से यह प्रदर्शित होता है कि उम्मीद के अनुसार विगत दो दशकों में शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आय की निरंतर वृद्धि से खाद्य-भिन्न मर्दानों पर पारिवारिक व्यय का अनुपात बढ़ रहा है। विलोमतः खाद्य पर पारिवारिक व्यय का उनके कुल व्यय से अनुपात शहरी क्षेत्रों में वर्ष 1977-78 के 60 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1999-2000 में 48.1 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 64.3 प्रतिशत से घटकर 59.4 प्रतिशत हो गया। बढ़ती आय के साथ ही लोगों की भोजन की विविधता बढ़ रही है। उनके भोजन में अनाज का अंश घट रहा है तथा उनकी आहार वरीयताओं में परिवर्तन के साथ ही अन्य खाद्यों द्वारा प्रतिस्थापित हो रहा है। कुल पारिवारिक व्यय में अनाज पर व्यय शहरी क्षेत्रों में वर्ष 1977 के 40.8 प्रतिशत से गिरकर 1999-2000 में 31.8 प्रतिशत हो गया तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 58 प्रतिशत से घटकर 44.1 प्रतिशत हो गया। तदनुसार, अन्य खाद्यों यथा फलों, सब्जियों, मांस, अंडे, मछली तथा दुग्ध पर खाद्य व्यय के अनुपात में काफी वृद्धि हुई है। अतः यद्यपि देश में खाद्यान्नों के पर्याप्त उत्पादन के जरिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है, तथापि, परिवर्तित हो रहे आहार संघटन को स्वीकार करते हुए अब कृषि नीति का जोर अंतरित होकर अनाज-भिन्न खाद्य उत्पादों के तथा अन्य खाद्य भिन्न कृषीय उत्पादों की वृद्धि के त्वरण पर होना चाहिए। दुग्ध, कुक्कुट, मछली तथा मांस के उत्पादन तथा खपत की वृद्धि से यह प्रदर्शित होता है कि इन उत्पादों में और वृद्धि की विशाल संभावनाएं हैं। इसी प्रकार, वर्धनात्मक आय तथा शहरीकरण भी फलों तथा सब्जियों में और अधिक उत्पादन और खपत की मांग प्रेरणा उपलब्ध करा रहे हैं। शहरीकरण के बढ़ने के साथ-साथ

बुनियादी प्रसंसाधित भोजन के लिए आवश्यकता में तीव्रता आएगी।

1.126 अनाज-भिन्न तथा खाद्य-भिन्न फसलों में उत्पादन को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां खाद्यान्न उत्पादन को त्वरित करने के लिए आवश्यक नीतियों से अंतर्हित रूप से अधिक जटिल हैं। उत्पादों का यह समूह खाद्यान्नों से कहीं अधिक विषम है तथा इसीलिए नीतियों का भिन्न उत्पादों तथा भिन्न क्षेत्रों की भिन्न अपेक्षाओं के प्रति कहीं अधिक अनुक्रियात्मक होना आवश्यक है। इन उत्पादों की अधिप्राप्ति, संरक्षण, संवहन तथा विपणन भी खाद्यान्नों की अपेक्षा कहीं अधिक जटिल है। इनमें से प्रत्येक समस्या का हल करने के नीतिगत उपायों का और अधिक विकेन्द्रीकरण करना होगा।

1.127 कृषि क्षेत्र का अनेक नियंत्रणों तथा विनियमों के दबावाधीन होना जारी है जो भंडारण पर सीमाएं आरोपित करते हैं तथा कृषिय उत्पादों का मुक्त संचालन प्रतिबंधित करते हैं। इनमें से अधिकांश नियंत्रण आदेश राज्यों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए गए हैं। जैसा कि वित्तमंत्री के बजट भाषण 2001-02 में घोषणा की गई थी, आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों की समीक्षा की गई है तथा राज्यों को ऐसे आदेश जारी करने की अनुमति देने वाले प्रावधान वापस ले लिए गए हैं। इसके कार्यान्वयन तथा अन्य राज्य नियंत्रण आदेशों को हटाने से देश में कृषिय उत्पादों के भंडारण तथा संचालन को मुक्त बनाने में काफी सहायता मिलेगी। कृषि उत्पाद विपणन अधिनियम जैसे अन्य विधान हैं जो खाद्य प्रसंसाधन हेतु कृषकों द्वारा सीधे क्रेताओं को बिक्री का निषेध करते हैं तथा जिनसे संविदा कृषि कठिन हो जाती है। दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद आदेश (एमएमपीओ) जैसे अन्य विनियम हैं जो बड़े प्रसंस्करणकर्ताओं के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दुग्ध प्रसंस्करण की वृद्धि पर दबाव डालते हैं। इनमें से अनेक विनियमों का निवल प्रभाव कृषकों तथा बाजार के बीच दूरी को बढ़ाना तथा देश में बड़े पैमाने पर खाद्य प्रसंस्करण के विकास को बाधित करना है। परिणामस्वरूप, कृषकों द्वारा वसूल किया गया मूल्य कृषिय उत्पादों के अंतिम खुदरा मूल्य का एक लघु भाग होता है। ऐसे विनियमों को हटाने से विपणन योग्य कृषिय वस्तुओं के उत्पादन में तथा खाद्य प्रसंस्करण में उच्चतर वृद्धि को प्रोत्साहित करने में काफी सहायता मिलेगी। ये ऐसी गतिविधियां हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों-कृषिय तथा कृषि भिन्न दोनों-तथा छोटे व मध्यम कस्बों में रोजगार संवृद्धि में अत्यावश्यक त्वरण लाएंगी।

1.128 कृषक को बाजार के निकट लाने के लिए काफी बेहतर ग्रामीण अवसंरचना की आवश्यकता है। तदनुसार, सरकार ने ग्रामीण अवसंरचना में एक संकेन्द्रित निवेश कार्यक्रम आरम्भ किया है जो विशेष रूप से सभी मौसमों के लिए अनुकूल सड़कों, दूरसंचार तथा ग्रामीण विद्युतीकरण की व्यवस्था के जरिए देश के सभी ग्रामों में संयोजकता को सुधारने पर संकेन्द्रित है।

1.129 कृषि उत्पादन का अनाज से अन्य कृषि उत्पादों की ओर पारगमन भी गेहूं तथा चावल के लिए सापेक्ष रूप से उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्यों की उपलब्धता द्वारा बाधित हो जाता है। खाद्य प्रबंधन पर एक नए संकेन्द्रण से चालू एमएसपी प्रणाली की समीक्षा आवश्यक हो गई है ताकि किसानों को उन अन्य गतिविधियों की ओर पारगमन करने के पर्याप्त संकेत मिले जो मूल्य वर्धन के जरिए आय वसूली में सुधार की अधिक गुंजायश उपलब्ध कराती हैं।

उद्योग

1.130 विगत दशक में किए गए काफी आर्थिक सुधारों का केन्द्र बिन्दु औद्योगिक क्षेत्र रहा है। अतः विगत पांच वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में मंदी विशेष चिंता का विषय है। नब्बे के दशक के उन सुधारों से औद्योगिक उत्पादन में स्थायी उच्च वृद्धि होने की आशा थी, जिन्होंने निवेशों में प्रवेश बाधाओं को दूर किया था, व्यापार को खोला था, विदेशी प्रौद्योगिकी तक मुक्त प्रवेश की व्यवस्था की थी, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी थी, तथा पूंजी बाजारों में प्रवेश को बाधित करने वाली रूकावटों को दूर किया था। यह आशा की गई थी कि देश के तुलनात्मक लाभ के अनुरूप उद्योग में निवेश का ढांचा अधिक पूंजी गहन उद्योगों से अधिक श्रम गहन उद्योगों की ओर अंतरित होगा। यह भी आशा की गई थी कि इस प्रकार के अंतरण से अपेक्षाकृत अधिक लाभप्रदता तथा अर्जन वृद्धि, अधिक निर्यातान्मुख उत्पादन तथा उद्योग में अपेक्षाकृत अधिक रोजगार अवसरों की व्यवस्था होगी। तथापि, आरम्भिक वृद्धि के पश्चात् इस दिशा में प्रगति सीमित रही है।

1.131 इस प्रकार के दूरगामी आर्थिक सुधार तथा परिवर्तनशील अंतर्राष्ट्रीय महौल से भारतीय उद्योग को एक ऐसे आर्थिक विनियामक ढांचे, जो निरंतर आधार पर पुनर्संरचना की अनुमति दे, की व्यवस्था के माध्यम से प्रतिस्पर्धा करने के लिए सक्षम बनाया जाना चाहिए। इसके लिए सक्षम

दिवालियापन प्रक्रिया विधियों, विपद्ग्रस्त आस्तियों के लिए बाजार के विकास, आस्तियों का एक स्वामी से दूसरे को सहज अंतरण करने के लिए प्रावधानों तथा एक लचीले श्रम बाजार की आवश्यकता होगी। सरकार ने ऐसी नम्यता की आवश्यकता को स्वीकार किया है। रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम को निरस्त करने तथा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड को भंग करने संबंधी विधेयक के साथ ही रुग्णता तथा दिवालियापन के मुद्दों का निवारण करने हेतु राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक के अधिनियमित होने से औद्योगिक पुनर्संरचना की प्रक्रिया और अधिक सरल तथा तीव्र हो जाएगी। इसी प्रकार, सरकार ने श्रम नियोजन में अधिक नम्यता की व्यवस्था करने तथा सेवाओं के बहिष्करण के लिए श्रम कानूनों को संशोधित करने की प्रक्रिया आरम्भ की है ताकि श्रम उपयोग अधिक लचीला, तथा दक्ष बन सके। अधिक प्रतिस्पर्धात्मक घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय माहौल का सामना करने के लिए भारतीय उद्योग को अपनी पुनर्संरचना करने में समर्थ बनाने तथा रोजगार-सृजक औद्योगिकीकरण प्रेरित करने के लिए इन उपायों के कार्यान्वयन में प्रगति होना अनिवार्य है।

1.132 निर्यातानुमुखी श्रम प्रयोक्ता गतिविधियों में निवेश करने से भारतीय उद्योग को रोकने वाली प्रमुख अनम्यता लघु उद्योग आरक्षणों का जारी रहना है। लगभग सभी आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाए जाने से यह अनम्यता और भी अधिक असंगत हो गई है। जबकि बड़े विदेशी उद्यम इन सभी उत्पादों का उत्पादन कर सकते हैं तथा अब उनका निर्यात भारत को भी कर सकते हैं, बड़े भारतीय उद्यमों को इन उत्पादों का विनिर्माण करने की अनुमति नहीं है। वस्त्रों, खिलौनों, जूतों तथा चमड़े की वस्तुओं से जुड़ी अनेक मर्दों का अनारक्षण करके एक शुरुआत की गई है। अब यह आवश्यक है कि इस प्रक्रिया को त्वरित किया जाए ताकि भारतीय उद्योग इन क्रियाकलापों में मुक्त रूप से निवेश कर सके तथा शेष विश्व से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इन क्षेत्रों में और अधिक निवेश देश में और अधिक औद्योगिक रोजगार का सृजन करने के लिए आवश्यक रोजगारोन्मुख नीतियों का प्रमुख तत्व होगा। उपलब्ध आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत में संगठित क्षेत्र का औद्योगिक नियोजन चीन में इसी प्रकार के रोजगार के पांचवें हिस्से से कम है। श्रम विधान में अनम्यताओं तथा लघु उद्योग आरक्षणों ने इस विशाल असंतुलन में योगदान किया है।

1.133 विगत सम्पूर्ण पांच वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में निरन्तर उच्च ब्याज दरें बनी रही हैं। अध्ययन दर्शाते हैं कि भारतीय उद्योग की लागतों में ब्याज का हिस्सा तुलनीय विकासशील देशों में से संभवतः सर्वाधिक है। कुछ उद्योगों द्वारा सामना की जा रही एक विशिष्ट समस्या यह है कि वर्ष 1994-1997 की समृद्ध अवधि के दौरान, जबकि अभिहित ब्याज दरें विशेष रूप से उच्च थीं, भारी निवेश किए गए थे। मुद्रास्फीति तथा अभिहित ब्याज दरों, दोनों में कमी होने से अब ये बपौतिक ब्याज दरें इन उद्योगों के लिए अत्यधिक ऋण भार बन गई हैं। सक्रिय पुनर्संरचना नीति द्वारा कम्पनी ऋण पुनर्संरचना के इस मुद्दे का समाधान किया जाना भी आवश्यक होगा। तथापि, यह अत्यंत सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए ताकि नैतिक खतरे के मुद्दे न उठें। क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के मूल्य को बट्टे खाते में डालने से ऐसे उद्योगों का अधिग्रहण अन्यों द्वारा किया जा सकेगा जो उन्हें तब लाभप्रद रूप से चला सकते हैं। यह क्षतिग्रस्त आस्तियों के लिए एक नकदी बाजार की आवश्यकता को दोहराता है। इसके लिए मोचन-निषेध तथा प्रतिभूतिकरण संबंधी विभिन्न विधायी कार्यों की आवश्यकता है जिनकी पहले ही घोषणा की जा चुकी है।

1.134 अंतर्राष्ट्रीय माहौल में वर्धित प्रतिस्पर्धा तथा कुछ अनिश्चितता होने के कारण स्थायी तथा पूर्वानुमेय कर नीतियों की व्यवस्था करने की और भी अधिक आवश्यकता है। कराधान के सभी क्षेत्रों-कम्पनी कर, उत्पाद शुल्क तथा सीमा-शुल्क में किए गए भारी सरलीकरण तथा यौक्तिकीकरण से विगत कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई है। सीमाशुल्क के क्षेत्र में सरकार ने तीन वर्षों में अधिकतम सीमाशुल्क को 35 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से घटाकर 20 प्रतिशत करने की घोषणा की है। उद्योग द्वारा तदनुसार कार्रवाई किये जाने के लिए यह पर्याप्त अग्रिम सूचना होनी चाहिए।

1.135 इन सभी उपायों से देश में औद्योगिक निवेश तथा संवृद्धि को पुनःजीवित करने में सहायता मिलेगी जो समग्र स.घ.उ. की संवृद्धि तथा रोजगार सृजन के लिए आवश्यक है।

अवसंरचना

1.136 उच्चतर संवृद्धि की प्राप्ति में सर्वाधिक चर्चित बाधा होने के कारण अवसंरचना पर नब्बे के दशक के आरम्भिक वर्षों से ही निरन्तर आधार पर उच्चतम नीतिगत ध्यान दिया

जा रहा है। इन वर्षों में कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है।

1.137 डीज़ल तथा पेट्रोल पर 1 रुपया प्रति लिटर का ईंधन उपकर लगाने के पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम का वित्तपोषण व्यवहार्य हो गया है। उपकर से प्राप्तियों का उपयोग राज्य तथा ग्रामीण सड़कों के लिए वित्तपोषण प्रदान करने के लिए भी किया जा रहा है। स्वर्णिम चतुर्भुज के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रगति पर है तथा इसके निर्धारित समयावधि के भीतर क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है। स्वर्णिम चतुर्भुज को अधिकांशतः वर्ष 2003 के अंत में तथा उत्तर दक्षिण पूर्वियाई पश्चिमी राजमार्ग को वर्ष 2007 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। ग्रामीण सड़क कार्यक्रम भी आरंभ हो गया है। सड़कों के वित्तपोषण के लिए एक अत्यधिक प्रभावी प्रयोक्ता प्रभार के रूप में देखे जाने वाले ईंधन उपकर से यह स्पष्ट होता है कि जब तक पर्याप्त प्रयोक्ता प्रभारों का उद्ग्रहण किया जाता है तब तक अवसंरचना में निवेश करना किस प्रकार संभव है तथा इस प्रकार वित्तपोषण सुनिश्चित हो जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एन एच डी पी) के कार्यान्वयन में प्रगति के साथ ही सभी चार-पथीय राजमार्गों पर वहनीय मार्गकर के अनुकूल अनुप्रयोग द्वारा ईंधन उपकर को और उत्तोलित किया जा सकता है। नवाचारों के साथ सीमित प्रयोग यथा वार्षिकी आधारित परियोजनाओं को प्रभावी रूप से विस्तारित किया जा सकता है, विशेषतः यदि उन्हें मार्गकर लगाकर और उत्तोलित किया जाए। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम को पूरा करने तथा राजमार्ग के एक बार प्रचालित हो जाने के बाद उनके अनुरक्षण तथा प्रचालन हेतु पर्याप्त वित्त उपलब्ध कराने में सहायता मिलगी।

1.138 दूसरा क्षेत्र जिसमें सापेक्ष सफलता प्राप्त हुई है, दूरसंचार क्षेत्र है। विगत सम्पूर्ण दशक में सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में तीव्र अभिवृद्धि होने से दूरसंचार में संवृद्धि प्रभावशाली रही है। दूरसंचार क्षेत्रों के सभी संभागों को प्रतिस्पर्धा हेतु खोलने में अनेक विनियामक बाधाओं को दूर करने में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रगति की गई है। इस कार्यक्रम की सफलता प्रतिस्पर्धा की शुरुआत से लम्बी दूरी तथा मोबाइल सेवाओं में गिरती कीमतों द्वारा विशेष रूप से दृष्टिगोचर हुई है। दूरसंचार क्षेत्र में प्राप्त की गई सफलता एक बार फिर निवेशों के वित्तपोषण के लिए तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण

के लिए पर्याप्त प्रयोक्ता प्रभारों के उद्ग्रहण को भी प्रतिबिम्बित करती है। विनियामक पक्ष में, उन सभी मुद्दों पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है जो भिन्न प्रकार की सेवाओं में वर्धमान समाभिरूपता के परिणामस्वरूप उत्पन्न होंगे। सरकार ने एक उपयुक्त विनियामक माहौल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संसद में अभिसारिता विधेयक पहले ही प्रस्तुत कर दिया है।

1.139 नए आधान टर्मिनलों में तथा नए निजी लघु पत्तनों में आने वाले नए निजी निवेश से पत्तन क्षेत्र को भी सफलता का कुछ अंश प्राप्त हुआ है। पत्तनों के निगमीकरण का भी आरंभ हो गया है। प्रमुख पत्तनों के लिए प्रशुल्क प्राधिकरण के अंतर्गत प्रशुल्क विनियामक तंत्र का निष्पादन भी सापेक्ष रूप से अच्छा रहा है। यद्यपि निजी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक निवेश के सरलीकरण के लिए पत्तनों हेतु विनियामक ढांचे में अभी भी कुछ प्रगति की जानी शेष है, यहां भी पर्याप्त प्रयोक्ता प्रभारों की उपलब्धता ने समुचित नए निवेश संभव बनाए हैं जो कि लाभकारी हैं।

1.140 रेलवे, विद्युत, शहरी अवसंरचना तथा नागर विमानन जैसे अन्य अवसंरचना क्षेत्रों में और संवृद्धि करने के लिए निवेश करने से पूर्व कहीं अधिक सुधार किए जाने की आवश्यकता है। प्रत्येक मामले में विनियामक तंत्र अभी भी अपर्याप्त है, साथ ही प्रयोक्ता प्रभारों की व्यवस्था भी अपर्याप्त है। विद्युत क्षेत्र में सुधार करने के लिए काफी प्रयास किया गया है तथा अनेक राज्यों में राज्य बिजली बोर्डों की पुनर्संरचना तथा राज्य बिजली विनियामक आयोगों के निर्माण में प्रगति हुई है। इस क्षेत्र में निवेशों को बाधित करने वाला प्रमुख मुद्दा भारी पारेषण तथा वितरण हानियों की विद्यमानता है जिसका अधिकांश भाग अनिवार्य रूप से चोरी तथा भिन्न उपभोक्ता खण्डों पर अपर्याप्त प्रयोक्ता प्रभारों के उद्ग्रहण के कारण है। इन अपर्याप्ताओं का निवल परिणाम देश में उत्पादित बिजली के प्रत्येक यूनिट के लिए लगभग 1 रुपए की औसत हानि है। निस्संदेह कोई वाणिज्यिक निवेश किया जाना कठिन है जब तक कि सृजित राजस्व कम से कम आपूर्ति लागत के समतुल्य न हो। अतः इस क्षेत्र में सुधार अनन्य रूप से चोरी को रोकने तथा प्रयोक्ता प्रभारों की पुनर्संरचना पर संकेन्द्रित होना चाहिए ताकि इस क्षेत्र में निवेश सार्वजनिक तथा निजी, दोनों में पुनः व्यवहार्य हो सके। अब ये उपाय कुछ सीमा तक अत्यावश्यक रूप से किए जाने चाहिए यदि सार्वजनिक तथा निजी, दोनों क्षेत्रों में अगले

5 वर्षों में पर्याप्त विद्युत निवेश किया जाना है। केन्द्र सरकार को प्रोत्साहनों तथा शास्तियों के संयोजन से राज्य स्तरीय सुधार करने होंगे।

1.141 इसी प्रकार, रेलवे में समस्याएं मौजूद हैं जिसे विगत दशक में गैर-लाभकारी निवेशों से हानि हुई है। अगले 5 से 10 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन से रेलवे को सड़क परिवहन से कहीं अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा। रेलवे परिवहन की अपेक्षाकृत उच्च ईंधन दक्षता तथा अन्य सकारात्मक बाह्यताओं के दृष्टिगत, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अत्यावश्यक रूप से एक सुस्पष्ट सुधार कार्यक्रम आरम्भ किया जाए ताकि आने वाले वर्षों में रेलवे में प्रौद्योगिकीय उन्नयन, आधुनिकीकरण, दक्षता तथा वाणिज्यिक अभिमुखीकरण के माध्यम से अपेक्षाकृत उच्च संवृद्धि हेतु समुचित निवेश किए जाएं। इसमें अत्यधिक सहायता मिलेगी यदि भारतीय रेलवे अभिमुखीकरण में एक दूरगामी सुधार करें जिससे यह वाणिज्यिकोन्मुख रूप से अधिक तथा ग्राहक संकेन्द्रित बन जाए।

1.142 घरेलू नागर विमानन में प्रतिस्पर्धा की शुरुआत करने का लाभ पहले ही स्तर उन्नयन के माध्यम से देखा जा सकता है जो नई निजी एयर लाइनों के प्रवेश से हुआ। किन्तु हवाई पत्तनों के सुधार में प्रगति अत्यधिक अपर्याप्त रही है। भारत में और अधिक पर्यटन रूचि आकृष्ट करने, जिसकी संवृद्धि में महत्वपूर्ण धीमापन आ गया है, के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तनों का उन्नयन अनिवार्य है। वायु यातायात की वर्तमान संरचना तथा पूर्वानुमान निर्दिष्ट करते हैं कि जब तक दिल्ली तथा मुम्बई में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तनों का महत्वपूर्ण रूप से उन्नयन नहीं किया जाता, तब तक निकट भविष्य में क्षमता रूकावटें वायु यातायात की संवृद्धि को तथा इसीलिए पर्यटन की संवृद्धि को भी बाधित करेंगी। चूंकि इन हवाई पत्तनों का निजीकरण किया गया है, एकाधिकार हवाई पत्तनों की देखरेख करने तथा हवाई सेवाओं में निरंतर उन्नयन सुनिश्चित करने के लिए विनियामक प्रणाली की पुनर्संरचना भी आवश्यक होगी।

शहरी विकास

1.143 वर्ष 2001 की जनगणना दर्शाती है कि भारत में शहरीकरण का स्तर वर्ष 1990-91 के 25.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2001 में 27.8 प्रतिशत हो गया है। तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्य अब 40 प्रतिशत से अधिक

शहरी हैं। वर्ष 1991 में 23 शहरों की तुलना में अब 1 मिलियन से अधिक की जनसंख्या वाले 35 शहर हैं। चूंकि शहरी जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि जारी है, अतः सड़क, जलापूर्ति तथा सीवरेज, शहरी परिवहन तथा इसी प्रकार की सेवाओं की व्यवस्था के लिए शहरी अवसंरचना में विगत में किए गए निवेशों की तुलना में कहीं अधिक निवेश करने की आवश्यकता होगी। हाल के अध्ययन यह भी सुझाते हैं कि यदि शहरी क्षेत्रों में भू-संयोजन, विकास तथा संरचना की विनियामक बाधाओं को दूर कर दिया जाए तो बृहत् उत्पादकता लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। उनमें से शहरी भूमि हदबंदी अधिनियम का निरसन केन्द्र सरकार द्वारा पहले ही कर दिया गया है किन्तु अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा इसका अनुसरण किया जाना अभी शेष है। इसी प्रकार, अधिकांश राज्यों में किराया नियंत्रण अधिनियम है जो किराए के मकानों के निर्माण तथा अनुरक्षण को बाधित करते हैं। इसके अतिरिक्त, नगर कर प्रणाली तथा प्रयोक्ता प्रभारों का उद्ग्रहण एक व्यवहार्य तरीके से स्थायी अवसंरचना निवेशों का वित्तपोषण करने के लिए अपर्याप्त है। इस क्षेत्र में सुधार करने के लिए नगर, राज्य तथा केन्द्रीय स्तरों पर नई पहलें अनिवार्य हैं। नगर प्राधिकरणों का उनके सभी पहलुओं में सृद्धीकरण करना अब एक तात्कालिक आवश्यकता है।

1.144 अतः, अवसंरचना के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। कुछ क्षेत्रों में प्राप्त सफलताएं यह सुझाती हैं कि विद्यमान समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अन्य सभी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधियों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए दक्ष तथा वहनीय अवसंरचना की व्यवस्था करना अनिवार्य है।

वित्तीय क्षेत्र तथा पूंजी बाजार

1.145 अस्सी के दशक के बाद के वर्षों तक भारतीय वित्तीय प्रणाली पर बैंकिंग क्षेत्र का प्रभुत्व था जिसमें तत्कालीन अपरिष्कृत प्रतिभूति बाजार की भूमिका बहुत कम थी। वर्ष 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से बैंकिंग क्षेत्र प्रशासित ब्याज दरों तथा आवंटित क्रेडिट द्वारा अभिलक्षित वित्तीय मंदी के उच्चांश सहित सार्वजनिक क्षेत्र के प्रभुत्वाधीन रहा। विनियामक मानकों का भी पर्याप्त विकास नहीं किया गया था।

1.146 इनमें से प्रत्येक विशिष्टता पिछले दशक में पर्याप्त नीतिगत परिवर्तन का केन्द्र बिन्दु रही है। परिष्करण तथा

बैंक-भिन्न मध्यस्थता के आकार में वित्तीय प्रणाली ने भारी संवृद्धि का अनुभव किया है। यद्यपि स्टॉक बाजारों ने विगत दशक में अनेक प्रघातों तथा अनियमितताओं का सामना किया है, फिर भी समय के साथ उन्होंने आधुनिक कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी को प्रयोग में लाकर तथा बाजार अवसंरचना के प्रशासकों के प्रोत्साहनों में सुधार करके परिष्कृत संस्थागत तंत्रों का विकास किया है। म्यूचुअल फंड तथा बीमा उद्योगों को भी नए निजी क्षेत्र के प्रवेश के लिए खोल दिया गया है; म्यूचुअल फंड उद्योग में निजी क्षेत्र का बाजार हिस्सा अब 50 प्रतिशत है।

1.147 ब्याज दरों के अवनियमन तथा पूर्विकता क्षेत्र कोटा को छोड़कर क्रेडिट आवंटन को पर्याप्त रूप से हटाने से वित्तीय मंदी पर्याप्त रूप से सहज हो गई है। बैंकिंग का विनियामक ढांचा परिसम्पत्ति वर्गीकरण, व्यवस्था, आय मान्यता संबंधी विनियमों तथा निम्नतर उत्तोलन की खोज के माध्यम से विकसित हुआ है। नए निजी बैंकों की सीमित प्रविष्टि से बैंकिंग में नवीन प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हुई है।

1.148 नब्बे के दशक के दौरान किए गए नीति परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, निजी क्षेत्र ने वित्त में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस का प्रतिभूति मध्यस्थता में प्रभुत्वाधिकार है, म्यूचुअल फंडों का 50 प्रतिशत बाजार हिस्सा है, बैंकिंग में 20 प्रतिशत से मामूली-सा कम बाजार हिस्सा है, तथा बीमा बाजार में नवीन उपस्थिति है। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के जरिए अभी भी वित्तीय प्रणाली पर प्रभुत्वाधिकार बनाए हुए है।

1.149 पिछले दशक में हुई पर्याप्त प्रगति को देखते हुए भारतीय वित्तीय क्षेत्र का और विकास करने का समय अब आ गया है। बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम में संशोधन के एक बार संसद में पारित हो जाने के पश्चात् सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकारी धारिता को 33 प्रतिशत तक कम करना सम्भव हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की वित्त फर्मों के प्रभुत्व के वित्तीय प्रणाली की आवंटन संबंधी दक्षता तथा देश में कम्पनी अभिशासन के लिए महत्वपूर्ण परिणाम हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय फर्मों के प्रभुत्व से अनेक सूचीबद्ध कम्पनियों में सरकार का सरकारी स्वामित्वाधीन अथवा प्रायोजित संस्थाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावी नियंत्रणात्मक हित होता है। इससे कार्पोरेट नियंत्रण हेतु बाजार तथा व्यापक रूप से धारित, बोर्ड प्रबंधित, व्यावसायिक रूप से संचालित कम्पनियों का विकास बाधित होता है। निजी क्षेत्र में संस्थागत निवेशकों

के अभाव ने भी विनिवेश तथा निजीकरण कार्यक्रम को बाधित किया है। निजी क्षेत्र की बीमा कम्पनियों तथा पेंशन निधियों की शुरुआत से पूंजी बाजार में इनमें से कुछ कठिनाइयों को दूर करने में सहायता मिलेगी। विगत एक या दो दशकों से अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति वित्तीय तथा पूंजी बाजारों के भिन्न खंडों की समाभिरूपता रही है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय संगुटों का अविर्भाव हुआ है। कहीं अधिक बृहत्तर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्र की कम्पनियों के साथ दक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करने में भारतीय संस्थाओं को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक ऐसे संगुटों का विकास समर्थकारी बनाने के लिए भी भारतीय विनियामक प्रणाली का विकास किया जाना आवश्यक है।

1.150 ऋणदाताओं के अधिकारों के प्रवर्तन में कठिनाइयां भी औद्योगिक पुनर्संरचना प्रक्रिया में रूकावटें उत्पन्न कर रही हैं। औद्योगिक पुनर्संरचना वर्ष 1991 से भारत में अनुभव किए जा रहे परिवर्तनशील आर्थिक नीतिगत माहौल का प्राकृतिक परिणाम है। क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के ऋणदाता बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को अपनी देयताएं वसूल करने में कठिनाई आ रही है। अतः ऋणदाताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए मोचन निषेध तथा अन्य प्रक्रियाओं के प्रवर्तन को सुस्थापित करना आवश्यक है। इस प्रकार की नीतिगत व्यवस्था अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में संवृद्धि लाने के उद्देश्य से उच्चतर निवेश हेतु बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण प्रदान करना सुकर बनाएगी।

1.151 प्रतिभूति बाजारों ने नब्बे के दशक में बाजार अनियमितताओं की घटनाओं के एक सतत् प्रवाह का अनुभव किया है। यद्यपि स्टॉक बाजारों में बाजार अभिकल्प में भारी प्रगति हुई है, फिर भी धोखेपूर्ण गतिविधियों का पता लगाने तथा उनके लिए दंड दिए जाने की गति तथा प्रभावात्मकता निरंतर चिंता का विषय बने हुए हैं। स्टॉक बाजारों के विकास का यह प्रमुख केन्द्र बिन्दु होना चाहिए। इसके विपरीत, नियत आय बाजार में बाजार अभिकल्प निरंतर महत्वपूर्ण कमजोरियां प्रदर्शित कर रहे हैं। स्टॉक बाजार एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रतिमान तथा गतिशील संस्थाओं का एक स्रोत हो सकता है जिसका प्रयोग करके ऋण बाजार के बाजार अभिकल्प में सुधार किया जा सकता है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यू.एस.-64 योजना का निवल परिसम्पत्ति मूल्य-आधारित योजना में रूपांतरण एक स्वागत योग्य तथा चिर प्रतीक्षित कदम रहा है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट में अन्य आवश्यक सुधार करने के लिए इस कदम को आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

1.152 देश में सभी आर्थिक अभिकर्ताओं को सट्टेबाजी के लिए तथा जोखिम प्रबंधन के लिए साधनों के एक नए समूह की पेशकश करने में इक्विटी व्युत्पाद बाजार एक महत्वपूर्ण नया मील का पत्थर है। विश्व स्तरों के अनुसार, इक्विटी व्युत्पाद बाजार में नकदीकरण की तीव्र वृद्धि वित्तीय क्षेत्र के स्थायित्व तथा परिष्करण की अनुस्मारक है। सफल बाजार अभिकल्पन अब ब्याज दरों तथा मुद्राओं से लेकर वस्तुओं तथा सराफे तक अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विस्तारित किए जा सकते हैं।

सारांश

1.153 भारतीय अर्थव्यवस्था ने नब्बे के दशक के आर्थिक सुधारों की अनुक्रिया में विगत दशकों की अपेक्षा उच्चतर संवृद्धि निष्पादन किया। अतः अर्थव्यवस्था ने यह प्रदर्शित किया है कि उपयुक्त आर्थिक सुधार नीतियों के क्रियान्वयन की अनुक्रिया में यह उच्च वृद्धि दरें हासिल करने में सक्षम है। परिणामतः शेष दशक के दौरान आर्थिक सुधार प्रक्रिया को और गहन करके वास्तव में उच्च वृद्धि दरें हासिल की जा सकती हैं। सुधारों के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है तथा उनके क्रियान्वयन में प्रगति के साथ ही आगामी वर्षों में आर्थिक वृद्धि में तेज़ी आने की उम्मीद की जा सकती

है। तथापि, अर्थव्यवस्था की समग्र स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से कुछ तात्कालिकता से केन्द्र तथा राज्य—दोनों स्तरों पर राजकोषीय असंतुलन के संवेदी मुद्दे का निवारण किया जाना आवश्यक है।

1.154 आर्थिक सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है जिन्हें घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय—दोनों प्रकार के आर्थिक माहौल के परिवर्तन के साथ-साथ समायोजित करना आवश्यक है। वर्ष 2001 विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक कठिन वर्ष रहा है। वैश्विक आर्थिक संवृद्धि के साथ-साथ व्यापार संवृद्धि धीमी हो गई। वर्तमान संकेतक दर्शाते हैं कि वर्ष 2002 में सुधार होने की संभावना है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार में तथा भारतीय निर्यात संवृद्धि के पुनःसृजन में सहायता मिलेगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ-साथ वस्तुओं तथा विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में दर्शित अपस्फीतिकारी प्रवृत्ति भी प्रतिवर्तित होनी आरम्भ हो जाएगी जिससे भारतीय विनिर्माणकारी क्षेत्र में भी लाभप्रदता में सुधार होगा। आर्थिक माहौल में इस प्रतिवर्तन के साथ सुधारों के सतत् क्रियान्वयन से आने वाले महीनों तथा वर्षों में आर्थिक क्रियाकलाप के पुनः सृजन में सहायता मिलने की संभावना है।